राजस्थान विधान सभा

८ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक--७ अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३६ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २८८

वर्तमान वर्ष में जयपुर डिविजन में स्थानान्तरित किये गये डॉक्टर

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. चालू वर्ष में जयपुर डिविजन में कुल कितने डाक्टरों के तबादले किये गये ?

२. उक्त तबादले में किन किन का तबादला होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किया गया है ?

३. जिन डाक्टरों का तबादला होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किया गया है उनमें २५० से कम वेतन पाने वाले कौन कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—१: चालू वर्ष में अब तक १५४ डाक्टरों के तबादले किये गये।

२. इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। उपलब्ध रिकार्ड से यह पता नहीं चलता कि कौन सा डाक्टर किस जिले का रहने वाला है।

३. जिन डाक्टरों का तबादला डिविजन से बाहर किया गया है उनकी सूची सदन की टेबिल पर रक्खी गई है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

४. ऐसे डाक्टरों की भी सूची सदन की टेबिल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मरदाने अस्पतालों में लेडी डॉक्टर्स के तबादले किये गये हैं और विमेन्स हॉस्पिटल्स में जेन्ट्स डॉक्टरों के तबादले किये गये, क्या ऐसा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा होना तो नहीं चाहिये था, फिर भी आपने कहा है तो इस बारे में जांच की जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसा हुआ है और बहुत हुआ है कि मरदाने अस्पतालों में तो लेडी डॉक्टर्स के तबादले किये गए हैं और वीमेन्स हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के तबादले किये गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने इन्कार नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि मैं पता लगाऊंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह किया गया है तो सेक्स का जो डिफरेंस है उसको मिटाने के लिये किया गया है ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तो ऑपरेशन्स ऐसे होते हैं कि सेक्स बदल जाते हैं, इसके लिये ऐसा करने की आवश्यकता नहीं।

श्री चांदमल मेहता—२५०) रुपयों से कम पाने वाले डॉक्टरों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं किये जायं, ऐसे गवर्नमेंट के आदेश हैं; फिर क्या कारण है कि २५०) रु० से कम पाने वाले डॉक्टरों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट्स से बाहर किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत से नये डॉक्टरों का अपोइन्टमेंट किया गया है, इस वजह से बहुत से पुराने डॉक्टरों को बाहर भेजना पड़ा है क्योंकि अब ऐसा नियम बना दिया है कि नये ग्रेजुएट जो आते हैं उन्हें बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है ताकि वे अच्छी तरह काम कर सकें। इस वजह से बहुत से डॉक्टरों को बाहर भेजना पड़ा।

श्री चांदमल मेहता—मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने यह पूछा है कि सरकार ने नियम बना रखा है कि २५०) रु० से कम तनख्वाह पाने वालों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर

[श्री चांदमल मेहता]

नहीं होंगे। तो २५०) रु० से कम पाने वाले डॉक्टरों के होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर तबादले करना क्या नियम विरुद्ध नहीं है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि नये अपोइन्टमेंट्स किये गए हैं इसलिए पुराने डॉक्टरों के तबादले करने पड़े। अगर उस डिविजन या डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं है तो उससे बाहर तबादला करना पड़ा है।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या ऐसे डॉक्टरों के तबादलों में इन कारणों का, जो अभी बताये गये हैं, उल्लेख किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तबादले में उल्लेख नहीं होता।

श्री भैंरूसिंह—सरकार की स्पष्ट आज्ञा है कि २५०) रु० से कम पाने वालों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं किये जावें ; इस रूल को रिलेक्स किया है तो क्या इसका उल्लेख उन तबादलों के ऑर्डर में किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कानून नहीं है। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये, परन्तु कोई खास वजह हो तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस लिस्ट में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, जिनका एक साल में ४-४ बार तबादला किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहम्मद हादी।

प्रश्न संख्या २८९

पाटन का निवान (त० चोहटन) पंचायत के अशिक्षित सरपंच को पृथक् करना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाटन का निवान तहसील चोहटन पंचायत का चुनाव तारीख २८-८-५५ को हुआ ?

(ख) क्या यह सही है कि वहां का सरपंच अनपढ़ है ?

(ग) क्या यह सही है कि रिटर्निंग ऑफीसर से अनपढ़ सरपंच ने मिल कर नाजायज़ तरीके से चुनाव जीता ?

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(घ) अगर हां, तो पाटन का निवान के अनपढ़ सरपंच 'रघु' को हटाया जाकर फिर से चुनाव कब तक करवाया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—क. हां।

ख. इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

ग. ऐसी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

घ. हां। यदि जांच से शिकायत ठीक पाई गई तो दुबारा चुनाव शीघ्र ही कराया जावेगा।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—पाटन का निवान, तहसील चौहटन, यह क्या है साहब ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या २६०.

वन क्षेत्र का डिमार्केशन वाली जयपुर जिले की तहसीलें

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर जिले में ऐसी कौन कौन तहसीलें हैं जहां फोरेस्ट एरिया का डिमार्केशन नहीं हुआ है ?

(ख) उक्त तहसीलों में क्या काश्त की भूमि में खड़े पेड़ों के फाल को छांगने के ठेके वन विभाग द्वारा दिये जाते हैं ?

(ग) यदि हां, तो ऐसे ठेकेजात गतवर्ष किस किस तहसील में दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा(वन मन्त्री)— (क) निम्न तहसीलों में वन क्षेत्र का डिमार्केशन नहीं हुआ (१) बस्सी (२) रामगढ़ (३) टोडा भीम (४) महुआ (५) बसवा (६) हिन्डौन (७) दौसा (८) लालसोट (९) बौंली (१०) बामनवास (११) सिकराय (१२) किशनगढ़ सिरोंज बीड झाला बीड व जोधा वाला बीड (१३) सीकर (१४) खेतड़ी।

(ख) जी नहीं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में किसानों के काश्त की जमीन ठेके पर गत वर्ष दी गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गत वर्ष दी गयी, मगर आपने सवाल अब का किया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वर्ष भी उसी प्रकार ठेके दिये जा रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री चांदमल मेहता—गत वर्ष दिये जाने का क्या कारण था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फोर्मर किशनगढ़ स्टेट में ऐसा रिवाज़ था कि जितने पेड़ खेतों में होते थे उनके फल को छांगने के ठेके वन विभाग द्वारा दिये जाते थे और चूंकि सेटलमेंट नहीं हुआ था इसलिये पुराने रूल्स के अनुसार काम होता था । रूपनगढ़ में ये गत वर्ष से बन्द कर दिये गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रूपनगढ़ में सेटलमेंट के बाद भी इसी प्रकार ठेके दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस साल नहीं दिये ।

श्री चांदमल मेहता—सेटलमेंट होने के बाद ये ठेके क्यों दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पहले भी आपने यही प्रश्न पूछा उसके उत्तर में मैंने बताया कि किशनगढ़ में पहले से इस प्रकार का रिवाज़ चला आता था और उसी के अनुसार दिये गये।

श्री चांदमल मेहता—जो ठेके गलत दिये गये, क्या उसकी रकम वापिस करने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके लिये आप अलग से कार्यवाही करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री चांदमल मेहता—जिन स्थानों पर अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--डिमार्केशन एक दिन में नहीं हो सकता इसके लिये वर्ष चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता--सरकार कब तक डिमार्केशन कराने का विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--राजस्थान की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए यह कार्य १५ साल में पूरा हो सकता है ।

श्री चांदमल मेहता--मेरा प्रश्न जयपुर जिले के लिये है, न कि सारे राजस्थान के लिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--एक जगह काम समाप्त होने के बाद दूसरी जगह चालू होगा । अभी हिन्डोन और करोली में चल रहा हैं, वहां का काम खत्म होगा तब दूसरी तहसील में शुरू होगा ।

श्री चांदमल मेहता--जयपुर जिले में सरकार क्या विचार कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--एक साथ सब जगह काम नहीं हो सकता । जब एक जगह का काम समाप्त हो जावेगा तब दूसरी जगह लिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २९१.

प्रश्न संख्या २९१.

वन विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता--क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) वन विभाग में किन किन कर्मचारियों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

(ख) उक्त कर्मचारियों के फिक्सेशन नहीं होने के क्या कारण हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आया है और मैं उसका जवाब दे चुका हूँ । फिर भी इसका उत्तर दे रहा हूँ ।

(क) वन विभाग के सब कर्मचारियों का फिक्सेशन तैयार है । एकाउन्टेन्ट जनरल की स्वीकृति होते ही शीघ्र प्रकाशित कर दिया जायगा ।

(ख) कुछ कर्मचारियों के ग्रेड्स में सन्देह था वह दूर किया जा चुका है । सब के ग्रेड्स नियत हो चुके हैं और ग्रेडों के सन्देह के कारण फिक्सेशन रुका हुआ था ।

श्री चांदमल मेहता—अब क्या कोई महीना या तारीख निश्चित की जा सकती है, जब कि यह काम समाप्त हो जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एकाउन्टेन्ट जनरल की स्वीकृति आते ही यह जल्दी हो जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह सन्देह ग्रेड्स के सम्बन्ध में मन्त्रियों को हुआ या कर्मचारियों को।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फोरेस्टर्स के अलग अलग रियासतों में अलग अलग ग्रेड्स थे, गार्ड के अलग थे। वे सब सारी जगह एक से कर दिये गये हैं, इसमें कुछ सन्देह हो गया था।

कु० श्री जसवन्तसिंह—संदेह किसको हुआ, मंत्रियों को या कर्मचारियों को ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—संदेह सबको हो सकता है। जब संदेह हो जाता है तो उसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६२

नर्स एवं दाइयों के प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का शिक्षण

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नर्स दाइयों के प्रशिक्षण के लिए महिलाएं ली गई है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी महिलाएं ली गई हैं ?

(ग) उनकी योग्यता कितनी २ है ?

(घ) प्रशिक्षण केन्द्र कहां रखा गया है और अभी उस केन्द्र में कितनी महिलाएं ट्रेनिंग पा रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) ६६।

(ग) निम्नतम योग्यता ७ वीं श्रेणी निर्धारित है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(घ) जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व अलवर में सम्बन्धित केन्द्र हैं और उनमें ६६ महिलाएं ट्रेनिंग पा रही हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—उनकी योग्यता क्या थी जिनको ट्रेनिंग में लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनकी योग्यता ७ वीं श्रेणी तक निर्धारित है।

श्री किशनलाल शाह—क्या ये योग्यता के नियम प्रकाशित किये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अश्रव्य)

श्री किशनलाल शाह—इस योग्यता से कम योग्यता वाली कितनी महिलाएं ली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिए आप अलग से पूछें तो बता सकता हूँ।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार का झुन्झुनू में भी इस प्रकार का केन्द्र खोलने का विचार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—खोल दिया गया है, काम कर रहे हैं।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि योग्य लड़कियों के प्रार्थना-पत्र होते हुए भी उनको नहीं लिया गया और वे रद्द कर दिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—इन महिलाओं के लिए कौनसी कक्षा तक की योग्यता निर्धारित की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—७ वी कक्षा तक पढ़ी हुई होनी चाहिये।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि अधिकांश महिलाएं जो ली गई है वे ७ वीं कक्षा तक पढ़ी हुई नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—होना तो नहीं चाहिये, अगर आप बतावेंगे तो उसकी जांच की जावेगी।

श्री किशनलाल शाह—उनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसीलिये तो सरकारी केन्द्र खोले हैं।

श्री भैंरूसिंह—सरकार के पास कितनी अर्जियें आईं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रश्न आप अलग से पूछें तो इसका उत्तर दिया जावेगा ?

श्री कंवरलाल जेलिया—यह अलग से प्रश्न कैसा है ? यह तो उसी प्रश्न में शामिल है।

क्या यह सही है कि निर्धारित योग्यता वाली महिलाओं के जो आवेदन पत्र आये उनको रिजेक्ट कर दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि इसी योग्यता की बेकवर्ड क्लास की उम्मीदवार महिलाओं की नियुक्ति नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह आपके खयाल में होगा, मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अगर आपके ध्यान में यह बात भी नहीं और पहले पूछा गया वह बात भी नहीं, तो आखिर आपको किस बात का ध्यान है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप बेकवर्ड क्लास की लिस्ट भेज दीजिये तो इसके लिये कुछ किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २९३.

प्रश्न संख्या २९३.

जोधपुर से शेरगढ़ की सड़क पर रोपे गये वृक्ष

श्री खेतसिंह—क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) जोधपुर से शेरगढ़ जाने वाली सड़क पर वन विभाग ने गत वर्ष में कितने पेड़ रोपे और उनमें से अब कितने मौजूद हैं ?

[श्री खेतसिंह]

(ख) तहसील शेरगढ़ में इस वर्ष वन महोत्सव के उपलक्ष में कितने पेड़ वन विभाग की ओर से रोपने के लिये दिये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में वन विभाग के कर्मचारियों ने कोई भी वन बढ़ाने में प्रगति नहीं की है और न किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न ही किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रोड साइड प्लान्टिंग का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होता है।

(ख) तीन सौ पेड़ दिये गये थे।

(ग) यह सही नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितने मील के लिये ये ३०० पेड दिये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शेरगढ़ तहसील का पूछा गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—शेरगढ़ सड़क का पूछा गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वन विभाग द्वारा ३०० पौधे दिये गये।

श्री खेतसिंह—आपने (ग) के उत्तर में बताया कि यह सही नहीं है। यह आपने किस आधार पर फरमाया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—५० एकड़ भूमि पर वृक्ष लगाये हैं। जोधपुर से पाली जाने वाली लाइन के ४ मील एरोड्रोम के पास ५० एकड़ भूमि में वृक्ष लगाये हैं।

श्री खेतसिंह—पाली की सड़क पर तो आपने पेड़ लगाये हैं और दूसरी जगह लगाने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, यह कैसे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एरोड्रोम के पास ५० एकड़ का ब्लॉक है, वहां पर लगाये।

श्री सन्तोषसिंह—क्या वह एरिया शेरगढ़ में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह आपने शायद जोधपुर के लिये पूछा था, शेरगढ़ के लिये नहीं।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सही है कि शेरगढ़ की भूमि बंजर है इसलिए वहां वृक्ष नहीं उगते ?

(हंसी)

श्री खेतसिंह—दांतारामगढ़ से तो बहुत बहतरीन है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

प्रश्न संख्या २६४

नागौर जिले में स्थापित सहकारी समितियां एवं नावा तहसील की समितियों का पंजीयन

श्री किशनलाल शाहः—क्या सहकारी मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(ख) नावां की तहसील में आज तक कितनी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया ?

(क) उक्त सहकारी समितियों को राजकीय सहायता कितनी २ दी गई ?

(ग) नागौर जिले में आज तक कितनी Co-operative Societies बनाई गई ?

(घ) अब रजिस्ट्रेशन कराने हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है ?

(ङ) उनका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जायगा ?

(च) समितियों को राजकीय सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव (मन्त्री, सहकारी विभाग)—(क) नागौर जिले में १४० सहकारी समितियां बनाई गईं।

(ख) नावां तहसील में ६ सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया।

(ग) श्री हनुमान कोऑपरेटिव उत्पादक समिति को उद्योग विभाग से १८५.० का ऋण हैन्डलूम बोर्ड से दिया गया।

[श्री अमृतलाल यादव]

(घ) छः गृह निर्माण सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न विचाराधीन है।

(ङ) गृह निर्माण समितियों को पहले जमीन मिलना आवश्यक है क्योंकि बिना जमीन मिले समिति रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। इसके लिए कलेक्टर नागोर को लिखा गया है, उनका उत्तर आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(च) योजना के अनुसार ऋण देने की आवश्यकता है, किन्तु सहायता (सबसिडी) की नहीं। अन्य समितियों को सहकारी विभाग से सहायता समिति के मेरिट्स के अनुसार ही दी जा सकती है जिसका आधार २६-६-५५ को पूछे गये एक प्रश्न में बता दिया गया है।

श्री किशनलाल शाह:—स्वीकार्य समितियां हैं, उनको क्या क्या ऋण दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादवः—उनमें से एक समिति को लोन दिया गया।

श्री खेतसिंह:—क्या यह सही है कि डाइरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ओर से ऐसे आदेश हुए हैं कि नई समितियां नहीं खोली जावें ?

श्री अमृतलाल यादव:—रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ओर से ऐसा कोई आदेश कृषि सहकारी समिति के लिए नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६५

राजस्थान की पञ्चायतों के चुनाव सम्बन्धी हाईकोर्ट में रिट प्रार्थना-पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं ?

(२) उक्त पंचायतों में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनके चुनाव रद्द किये जा चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) १२ पंचायतों के विरुद्ध रिट पेश हुए हैं तथा ८ तहसील पंचायतों के।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(२) चुनाव किसी पंचायत का रद्द होने की सूचना नहीं।

श्री खेतसिंह—क्या इस मामले में सरकार कोई अमेन्डमेन्ट पंचायत एक्ट में लाने के बारे में सोच रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरूसिंह (१६)--जिन पंचायतों के खिलाफ रिट्स की गई है उनके फैसले भी सरकार के विचाराधीन हैं क्या ?

श्री अध्यक्षः फैसले हुए हैं ..

श्री भैरूसिंह--हाई कोर्ट का फैसला अभी हुआ है, पंचायतों के बारे में तो वह ध्यान में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ध्यान में है।

श्री भैरूसिंह—किन २ पंचायतों का चुनाव रद्द हुआ है, यह भी ध्यान में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता—जोधपुर का एक फैसला हुआ है वह मेरे ध्यान में है।

श्री भैरूसिंह--उसमें चुनाव रद्द हुए है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट ने कुछ इररेगुलरेटरीज़ बताई है पंचायतों के बारे में। पंचायतों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है और उसके लिए ऑब्जेक्शन हुआ है जिन पर विचार किया जा रहा है।

श्री तनसिंह—क्या उस कानून में फैसले के अनुसार अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस विषय में अब आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि हाईकोर्ट में रिट् करने से पूर्व उन्होंने सरकार को भी नोटिस दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार के ध्यान में है कि ऐसी रिटें पेश होने से सारी पंचायतों का चुनाव राजस्थान में फिर से करना पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट का जो जजमेन्ट है, वह पंचायतों के रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। नई पंचायतों की कार्यवाही है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री खेतसिंह—उस पर ऐसा ढीला विचार कैसे हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ढीला नहीं है। उसको लॉ डिपार्टमेन्ट एग्जामिन कर रहा है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि हाईकोर्ट में जो रिटें पेश हुई हैं उनका (पंचायतों का) ग्रूपिंग गलत हुआ है इस वजह से हुई हैं?

श्री अध्यक्ष—That is the subject matter of that judement-

प्रश्न संख्या २६६

नावा में प्रसूतिगृह की स्थापना

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार नावां में प्रसूतिगृह खोलने के सम्बन्ध में विचार रखती है?

(ख) यदि हां, तो कब तक खोल दिया जावेगा?

(ग) इतने दिन तक क्यों नहीं खोला गया?

श्री बद्रीप्रसास गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) द्वितिय पंचवर्षीय योजना में १५० हैल्थ सेन्टर खोलने की योजना है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि किस २ स्थान पर प्रसूतिगृह खोले जावेंगे।

(ख) विचाराधीन हैं।

(ग) ऐसी कोई मांग नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह—हैल्थ सेन्टर के लिए किन २ बातों का होना आवश्यक समझा गया है?

एक माननीय सदस्य—प्रसूतिगृह है।

श्री भैरोंसिंह—जवाब में हैल्थ सेन्टर कहा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रसूतिगृह अब तक तहसील हैडक्वार्टर पर खोलने की व्यवस्था थी। अब यह विचार किया जा रहा है कि अगले प्लान में राजस्थान में कहां कहां खोले जाने चाहिए।

Page No.15

श्री किशनलाल शाह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले जाने का क्या कारण है, पहले क्यों नहीं खोला गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले आबादी के लिहाज से खोले गये थे और तहसील हैडक्वार्टर पर खोले गये थे। अब आगे कहां कहां खोले जाने हैं, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह(१६)—क्या यह सही है कि किन २ स्थानों पर ये प्रसूतिगृह खोले जावेंगे, सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक तो तहसील हैडक्वार्टर पर ही खोले जाने की बात थी, अब द्वितीय योजना में कहां कहां खोले जाने चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरूसिंह—नई योजना के अनुसार कोई तय नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई तय नहीं किया है।

श्री भैरूसिंह—सरकार किस तरह निर्णय पर पहुँची कि नई योजना में इतने खोलेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हम तो बहुत ज्यादा चाहते थे लेकिन सेन्टर द्वारा सेकिंड फाइव इयर प्लान में कम कर दिये गये। अब दुबारा उन पर विचार करना पड़ेगा कि इतने सेन्टर हैं जो कहां कहां खोले जाने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि बहुत कुछ चुनावों का आधार था और वहां प्रसूतिगृह खोलना आवश्यक समझा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसी बात नहीं। आबादी के हिसाब से कहां कितने होने चाहिए थे, यह तय किया था।

एक माननीय सदस्य—क्या मुख्य आधार आबादी ही माना सरकार ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे सेन्टर जो राजस्थान में खोलने थे वे आबादी के लिहाज से खोले गये थे, किन्तु अब आगे देखा जायगा कि कहां कहां उपयुक्त हो सकते हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—नावां, जिसकी आबादी के गांव दस-पांच और हो सकते हैं तो वहां सब जगह खोले जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१५० सेन्टर हैं, कहां कहां खोले जावेंगे; उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २६७

राजस्थान निर्माण के पश्चात् किशनगढ़ में स्टाम्प्स बेचने के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के निर्माण के बाद किशनगढ़ में स्टाम्प्स बेचने के लाइसेन्स के लिए कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए ?

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र किस किस व्यक्ति के किस किस तारीख को पेश हुये और लाइसेन्स की स्वीकृति कब दी गई ।

(३) ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र हैं जो अभी तक पैंडिंग हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) किशनगढ़ में राजस्थान के निर्माण के पश्चात् स्टाम्प बिचौती के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये दस व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्रेषित हुये ।

(२) प्रार्थियों के नाम उनके प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने और स्वीकृति के दिनांक सहित निम्न प्रकार हैं :

१. श्री नाथूलाल	१५. ३. ५१	
२. श्री बुद्धासिंह	१६. ६. ५२	८.१०.५४
३. श्री रिद्धकरण	२. १. ५३	८.१०.५४
४. श्री बिरधीचन्द	२४. १. ५३	८-१०-५४
५. श्री नन्दलाल	६. ३. ५३	
६. श्री जोरावरसिंह	२१. २. ५३	
७. श्री बंसीलाल	२७. ३. ५३	२५-७-५५
८. श्री उमरावसिंह	१६. २. ५४	८.१०.५४

[श्री अमृतलाल यादव]

६. श्री घीसीलाल		१६. २. ५४	८.१०.५४
१०. श्री मानमल		२३. ६. ५४	

(३) अब इस कार्यालय में कोई प्रार्थना-पत्र पैंडिंग नहीं है। ऊपर वर्णन किये हुए व्यक्ति जिनको लाइसेन्स प्रदान कर दिये गये हैं, वे वही लोग हैं जो किशनगढ़ स्टेट के समय में स्टाम्प्स बिचौती का कार्य करते थे।

सिर्फ एक व्यक्ति बंसीलाल का प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में पैंडिंग था मगर उसको भी कलेक्टर ने तारीख २५. ७. ५५ को उन नये नियमों के आधार पर जो समस्त राजस्थान में लागू हो गये हैं और जिनके द्वारा कलेक्टर को स्टाम्प्स बिक्रेता नियुक्त करने के अधिकार हैं, लाइसेन्स प्रदान कर दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्टाम्प बेचने की स्वीकृति देने में करीब १ वर्ष लग जाता है।

(विराम)

प्रार्थना पत्र बताये गये हैं तो क्या यह सही है उनकी स्वीकृति में एक वर्ष तक का समय लग जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—एक वर्ष का सवाल नहीं है। उनको एग्ज़ामिन करने में, देखने वगैरह में जितना टाइम आवश्यक होता है लग जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— क्या यह समझा जाय कि करीब एक वर्ष का टाइम लग जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—नहीं। एक वर्ष ही लगे, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है। एग्ज़ामिन करते हैं, तो जो उचित समय लगता है वह लगता ही है।

श्री भैरोंसिंह—इन प्रार्थना-पत्रों की जांच के लिए कितना समय निश्चित है ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई खास अवधि का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६८

राजस्थान में वैद्यों को 'ब' श्रेणी के प्रमाण-पत्र प्रदान करने के आधार

श्री किशनलाल शाह--क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में वैद्यों को जो पंजीयन प्रमाण-पत्र दिये गये हैं उनमें 'ब' श्रेणी का प्रमाण-पत्र किस आधार पर दिया गया है ?

(ख) 'अ' श्रेणी के प्रमाण-पत्र कितने वैद्यों को दिये गये है ?

(ग) 'अ' श्रेणी के प्रमाण-पत्र कितने साल तक कार्य करने वाले को और किन योग्यताओं के आधार पर दिये गये है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) राजस्थान इन्डियन मैडिसिन्स एक्ट की धारा ३२ के अन्तर्गत प्राइवेट वैद्यों के रजिस्ट्रेशन की योग्यता निर्धारित की गयी है । उसी आधर पर 'अ' श्रेणी वाले वैद्यों को प्रमाण-पत्र दिये गये है ।

(ख) दिनांक १७.६. ५५ तक कुल २२१ वैद्यों को 'अ' श्रेणी के प्रमाण-पत्र दिये है ।

(ग) राजस्थान इन्डियन मैडिसिन्स की धारा ३२ के अन्तर्गत वर्णित योग्यता प्राप्त वैद्यों व हकीमों को 'अ' श्रेणी का प्रमाण-पत्र दिया जाता है ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि ये प्रमाण-पत्र देने में जो वैद्य 'अ' श्रेणी में आने वाले थे वे नही आये और जो 'ब' श्रेणी में आने वाले थे वे 'अ' श्रेणी में आगये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इन्डियन मैडिसिन्स एक्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइड हैं और अगर ऐसी कोई बात बतायी जायगी तो जांच की जायगी ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि प्रमाण-पत्र देने में रजिस्टर्ड वैद्य बीच में आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनके लिए नियम हैं और उनको एग्जेम्प्ट करना पड़ता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि इस रजिस्ट्रेशन के मामले में रजिस्ट्रार मनमानी करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रकार का सवाल पहले भी हुआ था, उसमें बता चुका हूँ कि यदि ऐसी मिसालें बताई जायेंगी तो जांच की जा सकती है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सरकार जरूरी नहीं समझती कि जब कि ये सब बातें बोर्ड के अधीन हैं तो फिर रजिस्ट्रार किसी के लिये रिकमन्ड करे या उसके पास जाय, यह क्यों आवश्यक है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक ही कार्य किया जाता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में आपत्तियां हुईं, वे माननीय मंत्री के पास भी आई हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास यदि ऐसी आपत्तियां आई होंगी तो उनकी जांच जरूर करवाई जायगी।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि जिन वैद्यों के पास प्रमाण-पत्र हैं उन वैद्यों को भी 'अ' श्रेणी में नहीं लिया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं।

श्री किशनलाल शाह—जिन वैद्यों के पास वैद्यगी के प्रमाण-पत्र हैं और उनको अ श्रेणी के प्रमाण पत्र नहीं मिले तो उनको इस प्रकार के प्रमाण-पत्र दिलाने के लिये सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करूंगा। यदि कानून में कोई इस प्रकार का प्रोवीजन होगा तो विचार किया जा सकता है।

श्री किशनलाल शाह—यदि आपत्तिजनक बातें रजिस्ट्रार के विरुद्ध बताई गईं, तो क्या माननीय मंत्री उनके विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, जरूर।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह जो "पंजीयन" शब्द इस्तेमाल किया है, उसका क्या मतलब है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह रजिस्ट्रेशन का अनुवाद है।

श्री श्रीदास गोयल–यह भारतीय भाषा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह–इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं उनके लिये एक एक डिक्शनेरी भी दे दी जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष–The English corresponding word must be bracketed. But this was used by an hon'ble member of the House and not by the Government.

प्रश्न संख्या २९६

चालू वित्तीय वर्ष में सेलटेक्स की ट्रेनिंग लिये भेजे जाने वाले ऑफिसर्स

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) चालू (वित्तीय) वर्ष में किन किन व्यक्तियों को कितने कितने समय के लिये सेल्स टेक्स की ट्रेनिंग में भेजा गया ?

(२) उक्त व्यक्तियों के नाम और योग्यता क्या क्या हैं।

(३) उक्त व्यक्तियों में राज्य कर्मचारी कितने हैं।

श्री अमृतलाल यादव-(१) जी नहीं। किसी भी व्यक्तिको Training में नहीं भेजा गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नही उठता

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सही है कि राजस्थान के सेल्स टेक्स कमिश्नर सेल्स टेक्स का ज्ञान प्राप्त करने नहीं गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—ज्ञान प्राप्त है।

श्री भैरूंसिंह – मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान सेल्स टेक्स कमिश्नर ने किस जगह सेल्स टेक्स की ट्रेनिंग ली है, कहां से उन्होंने ज्ञान हासिल किया है ?

श्री अमृतलाल यादव—ज्ञान तो हासिल होता ही रहता है।

श्री भैरूंसिंह—सेल्स टेक्स कमिश्नर को सेल्स टेक्स का ज्ञान है या नहीं, अगर ज्ञान प्राप्त करवाया गया तो किस स्थान से और कब !

श्री अमृतलाल यादव—उनको ज्ञान है। स्थान का सवाल पैदा नहीं होता। जिस किसी भी ऑफिसर को कोई भी काम देते हैं और वह उस लायक होता है तो उसके द्वारा किया जाता है और वे कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—सेल्स टेक्स के कुछ ऑफिसरों को ट्रेनिंग दिलाने का मामला क्या सरकार के विचाराधीन है?

श्री अमृतलाल यादव—जी, है।

श्री भैरुंसिंह—क्या सरकार इस बात को आवश्यक समझती हैं कि सेल्स टेक्स कमिश्नर को ट्रेनिंग दिलवाई जाय?

श्री अमृतलाल यादव—जरूरत पड़ी तो दिलाई जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जिन ऑफिसरों को ट्रेनिंग में भेजने के मामले विचाराधीन हैं उनको कब तक ट्रेनिंग में भेज दिया जायगा?

श्री अमृतलाल यादव—तारीख तो निश्चत नहीं की है, सुविधानुसार भेजा जायगा।

श्री भैरुंसिंह—क्या सरकार सेल्स टेक्स कमिश्नर को ट्रेनिंग दिलवाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई जरूरत किसी काम के सिलसिले में हुई तो उनको देखने के लिये भेजा जा सकता है।

श्री भैरूंसिंह—सेल्स टेक्स कमिश्नर के कुछ बातों से अनभिज्ञ होने के कारण सरकार को कुछ दिक्कतें पेश हुईं?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई बात नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—बिना ट्रेनिंग पाये हुए उच्च अधिकारियों के कार्य से क्या सरकार सन्तोष मानती है?

श्री अमृतलाल यादव—इस पद पर आइ० ए० एस ऑफिसर कार्य करते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सेल्स टेक्स की ट्रेनिंग पाये बगैर ही सरकार सन्तुष्ट है?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, पूर्णतया सन्तुष्ट है।

श्री कंवरलाल जेलिया—तो आपने यह किस आधार पर महसूस किया कि गवर्नमेंट इस सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये कुछ अधिकारियों को भेजेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने दूसरे अधिकारियों के लिये बात कही थी; जैसे सेल्स टेक्स इन्स्पेक्टर्स, सेल्स टेक्स ऑफिसर्स आदि।

श्री भैंरूसिंह—क्या सेल्स टेक्स कमिश्नर के पद के लिये आइ० ए० एस होना आवश्यक है ?

श्री अमृतलाल यादव—आइ० ए० एस अधिकारी भी हो सकता है और आर० ए० एस. भी हो सकता है।

श्री भैंरूसिंह—यह किस केडर के लिए पोस्ट निर्धारित है; आइ० ए० एस० केडर का होना चाहिये या आर० ए० एस० ?

श्री अमृतलाल यादव—आइ० ए० एस० ऑफिसर की व्यवस्था है, किन्तु सीनियर आर० ए० एस० भी हो सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सेल्स टेक्स ऑफिसर बिना ट्रेनिंग पाये हुए होने से इनके कार्य के प्रति सरकार को असन्तोष रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह अर्ध-सत्य है।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा, यह बिल्कुल सही नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि सरकार के नियमानुसार सेल्स टेक्स कमिश्नर के पद पर आइ० ए० एस० केडर का ही आदमी रह सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कई चीजों पर एक बार कर निर्धारित करने के बाद पुनः उन पर निर्णय करना पड़ा ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो होता ही रहता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या सरकार को पूरा अन्दाज नहीं हुआ करता है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार को हमेशा अन्दाज होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सेल्स टेक्स के अनुभवी व्यक्ति राजस्थान में न मिलने के कारण कुछ व्यक्तियों को बाहर से लोन पर बुलाना पड़ा ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई बात नहीं।

श्री भैंरूसिंह—सेल्स टेक्स की राय देने के लिये जो संबन्धित ऑफिसर बाहरसे आये हैं वे ऑफिसर्स गेलरी में बैठे हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—वे तो पहले से ही मौजूद हैं।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल उन्हें इसी काम के लिये रखा गया है कि वे सेल्स टेक्स से सम्बन्धित जितने भी काम है उसमें सलाह दें ?

श्री अमृतलाल यादव—इस काम के लिये भी और एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स के लिए भी।

श्री भैंरूसिंह—और उनको बाहर से ही बुलवाया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—बाहर से बुलवाया गया है। इस प्रकार कई अधिकारी बुलवाये गए हैं और बुलवाये जा रहे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—बाहर से बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत पहले से बुला लिया गया था, अब इनको इस पद पर मुकर्रर किया है और वे इस काम को कर रहे हैं; एग्रीकल्चर इनकम टेक्स और सेल्स टेक्स दोनों का।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न है कि क्या केवल सेल्स टेक्स के लिए इनको बुलाया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी बात नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टेक्स का भी काम इन्हीं के पास है।

श्री अध्यक्ष—This House is meant for that.

श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा दिनांक २४ मई, १९५४ तथा २८ जुलाई, १९५४ को प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों की उपस्थिति हेतु नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिवस तक के लिये और बढ़ाये जाने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है इस अवधि को इस सत्र के अन्तिम दिवस तक बढ़ाया जाय।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, हम यह जानना चाहते हैं कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय बढ़ाने की आवश्यकता क्या है; इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाय।

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रिविलेज कमेटी के सामने यह विषय इतने महत्व का है और इसमें इतनी जांच-पड़ताल की आवश्यकता है कि बराबर काम करते हुए भी समिति कार्य समाप्त नहीं कर सकी। इस आधार पर काम बाकी रह गया है, इस समय की अवधि को बढ़ाया जाय।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या यह भी बात रही कि कोरम के नहीं होने की वजह से देरी हुई ?

डा० श्री मंगलसिंह—कभी कभी यह भी हुआ कि कोरम नहीं होता था, लेकिन खास यह वजह नहीं जिसके कारण अवधि बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गई है। खास सवाल तो यह है कि यह बहुत पेचीदा सवाल है जिसकी जांच करने में काफी समय लगता है।

श्री जवानसिंह—कुल कितनी मीटिंग्स हुई, इस प्रिविलेज कमेटी की ?

श्री अध्यक्ष—What is meant is that the Chairman ought to have given information to the House as to the Committee having met for so many times, examind so many witnesses, so many officers and has done so much work. That information perhaps the House wants to now from the Chairman.

श्री मंगलसिंह—कमेटी की ९-१० बैठकें हुई हैं और उनमें क्लेक्टर, कमिश्नर, एस. डी. ओ और सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेल आदि की परीक्षाएं (हंसी) की गई हैं और वे अभी तक विचाराधीन हैं। उन पर विचार हो रहा है और उन परीक्षाओं को करने के समय कुछ ऐसे सवाल आ गये हैं जिन पर बहुत गहराई से विचार करना है तथा और भी कुछ जानकारी करनी है। वह जानकारी आवेगी और पूरी तरह से विचार कर लेंगे तो वह रिपोर्ट सदन के सामने रख दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इसका समय बढ़ाया जावे।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई।

Page No.25

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के प्रारूप की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

श्री **दामोदरलाल व्यास**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली का प्रारूप प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति नियुक्त की गई है उसके प्रतिवेदन की उपस्थिति हेतु नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिवस तक के लिये और बढ़ाया जावे।

श्री **भैंरूसिंह** (१६)—इसमें भी वही प्रश्न उपस्थित होता है। पहला प्रश्न तो यह कि क्या सिलेक्ट कमेटी ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पास किया है और दूसरा प्रश्न यह कि अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं करने का कारण क्या है ? अब तक क्यों नहीं कर सके, इसकी वजह क्या है। इन दोनों बातों के बारे में मेरे माननीय मित्र स्पष्टीकरण कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—सुनिये, गौर से सुनिये।

(हंसी)

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री)—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और उस पर विचार करने के लिये २२ तारीख को मीटिंग थी, पर कोरम उस दिन नहीं हुआ इसलिये उस मीटिंग को मुल्तवी करना पड़ा। अब दुबारा मीटिंग करके उसको पास करना ही बाकी रहा है।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—Sir, I gave a notice of the privilege...

श्री **अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह द्वारा भेजा गया विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री **अध्यक्ष**—Yes, regarding the Information that the Hon'ble member wants in respect of his privilege motion, I have to say that I am conseidering that. I am thinking that. I want to hear the Hon'ble Members of the House on the floor of the House. I want to decide after hearing the Hon'ble Members the admissilbiity of that motion. So date will be fixed in the next week or tomrrow. We will call the treasury benches and the Members who have moved the Motion and then fix up the date. We will fix up a date during the next week.

श्री **जसवन्त सिंह**—May I take it that I will move it tomorrow ?

श्री. **बृजसुन्दर शर्मा**—कल तो नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—After my consent is given, but I will hear about the admissibility. There are two motions and really they are very complicated issues on the first and than the distusses which the Members of the House should throw light.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—That is true. I think I have to make a submission will start. I will make has submission tomorrow.

श्री रामकिशोर व्यास—Are we sitting tomorrow ?

श्री अध्यक्ष—I am so told. The Chief Whip came to me and informed that we are meeting on Saturday,

कुछ माननीय सदस्य—No, no.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Then, Sir what is the programme ? We have been kept in dark. What is the programme ? Please let us know so that we may fix up our programmes accordingly.

श्री अध्यक्ष—By the time we rise I will announce.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Today ?

श्री अध्यक्ष— Yes.

श्री अध्यक्ष—Yes.

The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1955, be taken into consideration. That was the motion moved.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a point of information, Sir. May I know why the Hon'ble Revenue Minister's place has been usurped today and that he has vacated the place ? Why he has been degraded, Sir ? We are very sorry for that.

श्री अध्यक्ष—Microphone facilities.........

कुं० श्री जसवन्त सिंह--That bench is safer.

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह दफा २० लैण्ड रेवेन्यू बिल पर....

श्री अध्यक्ष—No, we will first take the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1955, the motion of which was moved yesterday.

कु० श्री जसवन्तसिंह—May I make one submission, Sir ? I would again submit, Sir,...yesterday I had submitted that this Bill may be taken up today and the hon'ble Revenue Minister was pleased to give his consent. I would again submit for his consideration that there are certain provisions in this Bill which require mature consideration since it will have a far reaching effect. So I will again submit for his kind consideration that if we postpone it till the 13th we can have the opportunity to discuss it amongst ourselves, thrash out the Bill which will facilitate its passing without any delay. If you could kindly ask my friend to agree, it will go a long way......

श्री अध्यक्ष—Perhaps he is in a mood.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन को विदित है कि ये जागीर रिज़म्प्शन के सारे मामले हमने आपस में बैठकर बात-चीत से तय किये हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर माननीय विरोधी दल के नेता यह चाहते हैं कि इस विषय में भी पहले आपस में बात-चीत करके कुछ तय कर लें और तब तक के लिए इसे किसी आगे की तारीख के लिए रख दिया जावे तो मुझे इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। इसे किसी आगे की तारीख के लिए मुल्तवी कर दिया जाय। उस वक्त तक आपस में बात-चीत भी हो जावेगी।

श्री जवानसिंह—इस जगह पर आने के बाद sprit of accommodation has been approved.

श्री अध्यक्ष—Then we come to the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954.

The Revenue Minister will now reply.

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खन्डश : विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, लेन्ड रेवेन्यु बिल के क्लॉज २० पर कल से वाद-विवाद हो रहा है और वास्तव में एक बहुत ही महत्व पूर्ण सवाल है कि आया अपने राज्य में कमिश्नर रखे जांय या नहीं रखे जांय। इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने पेश किये हैं और दोनों तरह की राय सदन के सामने आई हैं। कुछ सदस्यों ने यह विचार पेश किये हैं कि कमिश्नरियों की आवश्यकता नहीं है और उनको राज्य में न रखा जाय और उनकी दलील यह है कि मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है इसके अन्दर कमिश्नरियों

[श्री दामोदरलाल व्यास]

का कोई उपयोग नहीं है। दूसरी तरफ यह राय भी है कि कमिश्नरियों की बहुत आवश्यकता है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जैसा कि, राजस्थान में इस वक्त चल रहा है उसमें कमिश्नरियों के रहने की बहुत जरूरत है। माननीय सदस्यों में से कुछ ने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश करके बताया कि एस्टीमेट्स कमेटी की एक राय है कि कमिश्नरियों की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों ने यह भी कोशिश की है कि मुझे काफी उत्तेजना दी जाय कि उस एस्टीमेट्स कमेटी का मैं भी एक सदस्य था और मेरी राय भी उस वक्त में यह रही है कि कमिश्नरियों की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं उस राय को तब्दील नहीं करूं और उस राय पर जमा रहूँ। माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त जो मेटीरियल एवीडेन्स एस्टीमेट्स कमेटी के सामने आई थी उस पर सब मेम्बरों के साथ मेरी भी यह राय थी कि कमिश्नरियों को रखने की आवश्यकता नहीं है (हियर, हियर)। परन्तु बाद में एक्सपीरियन्स, तजुर्बे, के ऊपर और दूसरा जो एवीडेन्श्यल मेटीरियल सामने आया उस पर अफसोस के साथ नहीं, बल्कि जोर के साथ मेम्बरों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी उक्त राय को तब्दील करने के लिए मजबूर हूँ.........

श्री मानसिंह महार—तजुर्बा मिनिस्ट्री के साथ बदल जाता है क्या? पहले तजुर्बे में और अब के तजुर्बे में फर्क है?

श्री अध्यक्ष—What is the difference between the former experience and the experience now gained?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि एस्टीमेट्स कमेटी के सामने जो मेटीरियल एवीडेन्स थी; एक चीफ सेक्रेटरी महोदय और एक कमिश्नर महोदय की एवीडेन्स थी और जो सदस्य वहां थे उस वक्त और जो आपस में बात-चीत हुई थी उसने और उसके बाद में जो फर्क आया है वह मैं अभी बता रहा हूँ, आप इम्पेशेन्ट न होइये। मैं यह कह रहा था कि जिस मेटेरियल एवीडेन्स के ऊपर मैंने उक्त राय दी थी उसके बाद जो एवीडेन्स और जो एक्सपीरियन्स एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान में आया उसके ऊपर मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तमिन्न हूँ कि कमिश्नरियां कायम रहें अपने राज्य में। मौजूदा स्थिति में उनकी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि परमावश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष, यह दलील जो एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दी है मैं उसी को दोहराना चाहता हूँ, कि मौजूदा जो अपने राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली है उसके अन्दर कमिश्नरियों की बहुत ही आवश्यकता है। उसका कारण है बहुत सीनियर और तजुर्बेकार अफसरों के नीचे की मातहत अदालतों के काम की निगरानी रखना। उनके ऊपर सुपरवीज़न रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह बात जरूरी है कि डिफरेन्ट डिपार्टमेंट्स जो सरकार के हैं, उनके अन्दर को-ऑर्डीनेशन के लिए कमिश्नर्स बहुत आवश्यक हैं। सदन को यह बात मालूम है कि अपने यहां राजस्थान में इन्टीग्रेशन आफ सर्विसेज़ कम्प्लीट नहीं हुआ है। अभी कस्टम्स डिपार्टमेंट के बहुत से

[श्री दामोदरलाल व्यास]

लोगों को सरप्लस डिक्लेअर करना पड़ा। सप्लाई डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ अभी एब्जोर्ब नहीं हुआ है। इन सब बातों के अन्दर कमिश्नरियों का बहुत बड़ा कार्य है और वे इस कार्य को कर रही हैं।

इस प्रकार देश के अन्दर जो अन्य राज्य हैं उनमें भी कमिश्नरियां रखी जांय या न रखी जांय, इस बात पर विचार किया जा रहा है। कल ही सदन में कहा गया कि यू. पी. में ३ कमिश्नरियां हैं लेकिन शायद उन माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि यू. पी. ने उनको ६ कर दिया है और शायद ११ करने जा रहे हैं। इस प्रकार मद्रास भी इस बात को सोच रहा है...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—लेन्ड रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड इन्टिग्रेशन का क्या सवाल आता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस सम्बन्ध में बता रहा हूँ...

श्री भैरूंसिंह (१६)—यह तजुर्बे की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास—तो इस प्रकार मैं मद्रास की बात कह रहा था। जहां तक मद्रास का सवाल है और जहां तक मुझे उसकी जानकारी है वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कमिश्नरियां कायम रखी जांय और उनको वास्तव में कमिश्नरियों की आवश्यकता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि पंजाब और मध्य भारत में भी कमिश्नरियां हैं और उनकी आवश्यकता समझी जा रही है। मगर जहां तक राजस्थान का प्रश्न है मैं यह बतोना चाहता हूँ सदन को कि कमिश्नरियों की जब तक जरूरत होगी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस वक्त तक उनकी जरूरत होगी और जिस; दिन सरकार यह समझ लेगी कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा ठीक जम गया है और अब कोई खास सीनियर ऑफिसर्स के सुपरवीज़न की आवश्यकता नहीं है, इन्टेग्रेशन खत्म हो गया है तो उस वक्त, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकार तुरन्त वह स्टेप लेगी जिससे कि यह कमिश्नरियां न रखी जांय। लेकिन मौजूदा सूरत में, मौजूदा हालत के अन्दर इन कमिश्नरियों के रखने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए जो एमेंडमेंट हमारे लायक दोस्त दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको स्वीकार नहीं करने को मैं मजबूर हूँ और उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय कल इस सदन में इस विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी सदन के माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे कि राजस्थान की वर्तमान परिस्थिति में कमिश्नरों के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण भी सदन के सामने प्रस्तुत किये गये थे। आज दुर्भाग्य है कि जिस तरह से कल इस सदन के अन्दर वातावरण बना कि जिस वातावरण में माननीय राजस्व मंत्री के लिए कठिनाई ही नहीं बल्कि दुस्साहस की बात होती, अपनी बातों को दोहराने में अपनी ही बातों को स्वीकार कराने

[श्री भैरूंसिंह]

में जिस तरह कि चुतराई के साथ आज इन्कार कर दिया है वैसा वे कल इन्कार नहीं कर सकते थे। खैर, उन्होंने ऐसा मौका प्राप्त किया और आज जो उन्होंने कमिश्नर्स के पद को रखने के बारे में जो दलील दी तो मैं समझता हूँ कि जो दलीलें माननीय सदस्यों की ओर से दी हुई हैं उनकी दलील में उनका कोई उत्तर नहीं है, कोई एवीडेन्स नहीं है। उनकी दलीलों में उन्होंने केवल यह कह दिया कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्सपीरियन्स हुआ है। यद्यपि आज तक उनको कोई ऐसा ऐवीडेन्स नहीं मिला है, ऑफिशियल एवीडेन्स लेने का कोई कार्य नहीं किया है और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ऑफिशियल एवीडेन्स प्राप्त करने का कार्य यदि उन्होंने किया होता तो सदन के सदस्यों को उसकी जानकारी होती। इस प्रकार विचारार्थ सक्युलेशन उन कागज़ात का होता। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल स्टेटस का किसी तरह का कोई एवीडेन्स नहीं लिया है कि जो एवीडेन्स एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद आकर उसके विपरीत राय जाहिर करता हो।

दूसरा सवाल आता है उनके एक्सपीरियन्स का। एक तरफ तो है उनका एक्सपीयन्स २० साल की वकालत का और दूसरी तरफ है एक साल में मंत्री पद का। एक साल के मंत्री पद में २० साल के मुकाबले में कहां इस बात का एक्सपीरियन्स हो गया कि जिस एक्पीरियन्स के आधार पर वे कह सकते हैं कि कमिश्नर के पद की आवश्यकता है। २० साल तक छोटी से छोटी कोर्ट से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक उन्होंने केसेज़ की पैरवी की और उस एक्सपीरियन्स के आधार पर, वकालत के एक्स-पीरियन्स के आधार पर काश्तकारों को किस तरह सुविधा दी जा सकती है, इन चीजों के आधार पर उन्होंने अपना एक्सपीरियन्स बनाया है। तो बीस साल का एक्सपीरियन्स जो अदालतों का है उसके मुकाबले में एक साल के मंत्री पद का एक्सपीरियन्स क्या हो सकता है, इसका अन्दाज़ा आप लगा लें कि बीस साल का एक्सपीरियन्स ज्यादा ठीक हो सकता है या एक साल के मंत्री पद का ज्यादा हो सकता है ....

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अब वे मेच्योर्ड हैं।

श्री भैरोंसिंह—पहले अनमेच्योर्ड थे क्या? अनमेच्योर्ड एक्सपीरियन्स के आधार पर यदि उन्होंने एस्टीमेट्स कमेटी की राय में राय मिला दी तो बात दूसरी है, लेकिन २० साल में जिनका एक्सपीरियन्स मेच्योर्ड नहीं हुआ तो फिर उनका एक साल में एक्सपीरियन्स मेच्योर्ड नहीं हो सकता है। एक साल के एक्सपीरियन्स के आधार पर प्रशासन की दृष्टि से कमिश्नर का पद रखें तो उनकी यह राय अनमेच्योर्ड है, उनके साथी के कहने के मुताबिक अनमेच्योर्ड है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेच्योर्ड राय के आधार पर जो उन्होंने राय जाहिर की है उसको राजस्थान सरकार के मंत्री बनने के बाद की राय से अच्छी साबित करने के लिए उनकी वास्तविक मेच्योर्ड राय के आधार पर कमिश्नर का पद हटा दिया जाय। वे यदि अनमेच्योर्ड राय से प्रेरित हैं तो बात दूसरी है। सदन और मंत्रीजी अनमेच्योर्ड एक्सपीरियन्स के आधार पर राय देने के लिए इसमें संकोच करेंगे और इन चीजों को स्वीकार करेंगे।

[श्री भैरूंसिंह]

उन्होंने इसके बारे में खास दलील दी है। यू. पी. और मद्रास का जिक्र किया है लेकिन वे दूसरे प्रान्तों को भूल गये जिनमें कि कमिश्नर्स नहीं हैं। ऐसे सारे हिन्दुस्तान के प्रान्तों के बारे में वह जानकारी करते तो उनको ऐसे प्रान्त भी मिलते जहां कमिश्नरों के पदों को समाप्त करने के लिए. जिस तरह कि अपने यहां एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की है वैसे ही उनको समाप्त करने की चीज़ वहां चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बम्बई प्रोविन्स में अभी विधान सभा में कमिश्नर्स के पदों को समाप्त करने के बारे में चर्चा हुई थी और सरकार ने आश्वासन दिलाया था कि कमिश्नर्स के पद को समाप्त करने के बारे में शीघ्र ही निर्णय करेगी। सरकार इस पक्ष में है कि कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर्स ही अच्छे ग्रेड के, अच्छी योग्यता के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर काम कर सकते हैं कमिश्नर्स किसी भी सूरत में उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। राजस्व मंत्रीजी ने अपनी दलील में कहा कि सर्विसेज़ के इन्टीग्रेशन में ये काफी मददगार हैं। अभी कस्टम्स का महकमा समाप्त हुआ है और उसमें से काफी कर्मचारी निकले हैं, उनको फिर से लगाने में कमिश्नर्स काफी मददगार हुए हैं। हो सकता है कि उनकी दृष्टि में वे मददगार सिद्ध हुए हैं लेकिन इस काम में भी उन्होंने क्या क्या कार्यवाहियें की हैं उसका छोटा सा नमूना पेश कर दूं तो आप को पता चल जायगा कि वे कितने मददगार हैं। अभी राजस्थान में कस्टम्स डिपार्टमेन्ट समाप्त हुआ। सरकार की तरफ से कस्टम्स के जितने कर्मचारी थे उनको पटवारियों में अपोइन्ट करने के लिये आदेश निकला। कमिश्नर्स से चर्चा की गई। कमिश्नर्स ने उन लोगों को अपोइन्ट करने के लिये उनसे यह कहा कि आप लोगों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई गई है और ट्रेनिंग के लिये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और शायद बीकानेर में भी क्लासेज़ खोली गई हैं, वहां आपको ट्रेनिंग लेनी पडेगी और उनको ट्रेनिंग के लिये अलग अलग सेन्टर्स में भेज दिया। इसके अलावा उन्होंने यह किया कि जितने जागीरों के एम्पलोइज़ थे और जो उनके पास आए उनको भी कह दिया कि आप लोग दरख्वास्त दे दो, आपको भी ट्रेनिंग में भेज देंगे; वे लोग भी ट्रेनिंग में चले गये। ३ महीनों के बाद ट्रेनिंग में जाने वाले कस्टम्स से निकले हुए कर्मचारियों को पता चलता है कि उनका एग्ज़ामिनेशन होगा और उस परीक्षा के सब्जेक्टस इस तरह के रख दिये कि कोई पटवारी उसमें पास नहीं हो सकता। पटवारियों के लिये जो इम्तहान की व्यवस्था बनाई उनके विरुद्ध उन लोगों ने सरकार को रिप्रेजेन्टेशन भेजा और सरकार से कहा कि जो सब्जेक्टस रखे हैं उनमें कोई पटवारी १२ महीनों में भी पास नही हो सकेगा, पटवारी तो मैट्रिक या मिडिल पास ही है; वे तो क्या पास होंगे, शायद स्वयं कमिश्नर साहब भी पास नहीं हो सकेंगे। सरकार ने इस कठिनाई को महसूस किया और कहा कि हार्ड सब्जेक्ट्स को निकाल देना चाहिये और हार्ड सब्जेक्ट्स निकाले गये। उन लोगों का टेस्ट हुआ, पास हुए लेकिन दो-दो महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली। कमिश्नर्स महीने ही महीने १५०० रू० ले लेते है और वे गरीब भूखों मरते हुए फिरते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री भैरोंसिंह]

मैं एक छोटी सी बात का और जिक्र करूंगा । पटवारियों की ट्रेनिंग के लिये जिन जागीर एम्पलॉइज़ को भेजा गया था उनको कहा गया कि हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे । वे बेचारे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि स्थानों में रहे, उन्होंने पढ़ाई की, वहां रह कर खर्चा किया और कमिश्नर की गलत आज्ञा के कारण उन बेचारों को नुकसान उठाना पड़ा और उनके लिये आदेश निकाल दिया गया कि तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा, फिर कभी होगा । जितना खर्चा हुआ वह सारा फालतू गया । मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्टिग्रेशन का काम वे किस तरह से करते हैं । इन्टिग्रेशन और को-ऑर्डिनेशन का काम कमिश्नरों के लिये इतना महत्व पूर्ण नहीं है । सारा काम सेक्रेटेरियट लेवल पर किया जाता है, कमिश्नर तो केवल रिकमन्डेशन करते हैं । इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि एक्सपर्ट कमेटी की मेजॉरिटी राय का ख्याल करते हुए कमिश्नर्स के पद को समाप्त कर दिया जाय । मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य एक मत होकर यह राय देंगे कि कमिश्नर्स के पद की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--I do not want to participate in the discussions but I wanted the Hon'ble Members only to reply and not to raise new questions by way of reply; they should keep it in mind.

Now I put Clause 20 to vote.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २० में श्री भैरूंसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Now we come to clause 5.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री):—No, Sir. जहां तक क्लॉजेज ५, ८ और ९ का सवाल है उन पर एक्सपर्ट ऑपीनियन के लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को हमने लिखा है, वहां से जवाब आने की इन्तजारी है । इसलिये प्रार्थना है कि इस क्लॉज़ को अभी डेफर रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—Then we come to Clause 21. प्रश्न यह है.......

श्री भैरूंसिंह—मैंने एक अमेन्डमेन्ट दिया, दिया तो अभी अभी है ,

Page No.33

श्री अध्यक्ष—अभी तो कई क्लॉजेज़ बाकी हैं, फिर बोलियेगा ।

श्री भैरूसिंह—लेकिन साहब यह बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—I would not allow. It has not come to me.

(श्री भैरोंसिंह के पुनः खड़े होने पर) Order please. It must be given in the notice office and then it will come in two days and then I w. .. ...

श्री भैरूसिंह—मैंने दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—There is no amendment.

श्री भैरूसिंह—मैं इसका विरोध करता हूँ, यह पास नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—Order please ! There will be no end to these discussions then. This Bill was referred to the Select Committee and more than two years have passed when it has come to this House. The Hon'ble Member ought to have studied the Bill and tabled the amendment earlier.

श्री भैरूसिंह—भूल से रह गया था, इसलिये इजाजत चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—What is there ? It is quite an innocent clause, power to create or abolish divisions ?

श्री भैरूसिंह—इसमें कई जबरदस्त घोटाले हैं । इच्छानुसार तहसील बनाते हैं, हटाते हैं, इसलिये मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—What have the Treasury Benches to say ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I do not know what the amendment is. So the clause may be taken. There is no amendment.

श्री अध्यक्ष—Yes.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, if there are no amendments, can it not be discussed also ?

श्री अध्यक्ष—I have looked to the nature of the amendment and I can very well anticipate what the Hon'ble Member wants to say It is not very relevant, it is not very material.

श्री भैंरूसिंह—मुझे सिर्फ दो मिनिट का मौका दिया जाय। मैं सब कुछ बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—All right, I will not allow the amendment to be moved,

कु० श्री जसवन्तसिंह—But if he wants to speak.........

श्री भैरूंसिंह—(दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। क्लॉज़ २१ में सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि स्टेट गवर्नमेन्ट यदि चाहे तो वह नई तहसीलें बना सकती है, पुरानी तहसीलों को खत्म कर सकती है, नये जिलों का निर्माण कर सकती हैं, पुराने जिलों को समाप्त कर सकती हैं। मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट को यदि ऐसा अधिकार दिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सरकार बनाई हुई तहसीलों को, बने हुए जिलों को और बने हुए डिविजन्स् को तोड़ कर तहसील, जिलों या डिविजन्स् का निर्माण कर सकती है। यदि सरकार को खुली छूट दें कि जिस जगह चाहे बनादे तो जबरदस्त अन्याय होने वाला है। खास कर विरोधी दल के सदस्यों के साथ अन्याय होने वाला है। वह किस तरह यह मैं आपको बताऊंगा। अभी एक मामला चल रहा है उनियारा तहसील का.......

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि सरकार को ऐसा अधिकार देना चाहिये। यदि वे नहीं चाहते हैं तो अमेन्डमेन्ट लाना चाहिये।

This is all irrelevant.

(श्री भेरूसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order please

(पुन; श्री भेरुसिंह के खडे होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order ! The majority party has its way, but the minority has its say.

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री भैंरुसिंह—(जारी) अर्ज करने का मेरा तात्पर्य यह था कि सरकार को तहसीलों के निर्माण में खुली छुट नहीं होनी चाहिये। कुछ शर्तें, रूलस् एवं कुछ परिस्थितियें सदन को निर्धारित

[श्री भैंरूसिंह]

करनी चाहिये जिनके आधार पर सरकार किसी तहसील को तब्दील करे। यदि सरकार को खुली छूट हुई तो जिस तरह का हाल उनियारा तहसील और सीकर की लक्ष्मणगढ तहसील का किया गया है उसी तरह का हाल दूसरी जगहों का भी होगा। जितने सदस्य इस सदन में विरोधी पक्ष के आते हैं उनको उन तहसीलों से वोट न मिले इसलिये दूसरी जगह हैड क्वार्टर परिवर्तन किया जायगा इस बारे में उणियारा के दृष्टांत को सामने रखने का कष्ट करें। जिस समय उणियारे के लोगों की मांग थी कि तहसील यहां बनाई जावे क्योंकि यह सेन्टर में पड़ता है तब यहां पर तहसील बनाई गई। जब उणियारे से आनेवाले माननीय सदस्य ने लोगों को यह बताया कि मैंने कोशिश करके यहां तहसील बनवाई है और इस बात का पता जब सरकार को चला तो उसने सोचा कि इसका फायदा ये सदस्य उठा लेंगे इसलिये इस तहसील को किसी तरह से हटाना चाहिये। उणियारा से तहसील को हटा कर अलीगढ़ ले गये। अब आप ज़रा अलीगढ़ और उणियारा का मुकाबिला करिये। उणियारा में हाईस्कूल है अलीगढ़ में मिडिल स्कूल है, उणियारा में सब पोस्ट ऑफिस है अलीगढ में ब्रांच पोस्ट ऑफिस है; अलीगढ में सिर्फ एक बस सवाई माधोपुर से आती है तो उणियारा में चारों तरफ से कई बसेज आती है; टोंक से, जयपुर से, सवाईमाधोपुर से चारों तरफ में बसें आती हैं। उणियारा की आबादी ५००० की है और अलीगढ की आबादी २००० की है। केवल अलीगढ में तहसील के लिये मकान है और उणियारा में मकान नहीं है। यदि मकान के कारण ही सरकार ने वहां से तहसील हेडक्वाटर बदला है तो यह कोई कारण नहीं है क्योंकि राव राजा साहब ने यहां तक कह दिया है कि मैं अपना गढ़ इसके लिये दे दूंगा या और कोई मकान की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तहसील यहीं रहने दी जाय। मकान की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, हाई स्कूल की दृष्टि से, पोस्ट ऑफिस और यातायात के साधनों की दृष्टि से हर दृष्टि से उणियारा अलीगढ की बनिस्पत ज्यादा उपयुक्त मालूम होता है। जब ऐसी स्थिति है तो उणियारा से हटाकर अलीगढ में करने की क्या आवश्यकता हुई?

कोई आवश्यकता नहीं थी इस दृष्टिकोण से कि अलीगढ़ में जो एक कोना है और उणियारा जो सेंटर प्लेस है, उणियारा से हटा कर अलीगढ़ में तहसील को ले जाया गया। माननीय अध्यक्ष, मेरे पास उस तहसील का नक्शा है, उसको अगर माननीय राजस्व मंत्री या और मंत्री देखना चाहें तो बता सकता हूँ। उसको राजस्व मंत्री देखें तो पता चलेगा कि उणियारा वहां की सेन्टरप्लेस है और अलीगढ़ एक कोने में आया हुवा है।

पर सिर्फ एक इस उद्देश्य से कि जो सदस्य यहां आये हुए हैं, उनको किसी तरह वहां के लोगों की सहानुभूति नहीं मिले; उनके वोट नहीं मिलें, और वहां की जनता इनसे नाराज हो जाय, इस उद्देश्य से उणियारा से अलीगढ जो कि एक छोटी की जगह है वहां पर तहसील का स्थानान्तरण किया गया है।

इस तरह की और कई मिसालें हैं। सीकर में लक्ष्मणगढ का बुरा हाल किया गया है। जब वहां की जनता ने विद्रोह किया और कहा कि अगर हमें उस तहसील के नीचे नहीं रखा गया तो

[श्री भैरूसिंह]

हम लगान नहीं देंगे; आन्दोलन करेंगे। उन्होंने हड़ताल की, आन्दोलन किया। यह सरकार आन्दोलन से बहुत घबराती है। पहले तो शेर की तरह दहाड़ती है पर जब आन्दोलन चलता है तो शेर से चटपट गीदड़ बन जाती है।

श्री अध्यक्ष—There should be no sarcasm which do not befit the dignity of the House.

श्री भैरूसिंह—अच्छी बात है साहब, मैंने तो बहादुरी बताई है साहब, शेर बताया है? मैं तो चाहता हूँ कि शेर के नीचे दर्जे पर नहीं आयें, पर बनते हैं इसका मैं क्या करूं?

वहां की जनता ने डर बताया तो मन्त्रीजी वहां पहुंचे और पब्लिक मीटिंग में अपनी पॉपुलेरिटी गेन करने के लिये ऐलान किया कि लक्ष्मणगढ़ में तहसील बनेगी। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आन्दोलन से सफलता हासिल की, उसी तरह उणियारा की जनता भी आन्दोलन करेगी।

श्री सरदारसिंह रावराजा उणियारा—उनियारा में २२ दिन हड़ताल हुई।

श्री भैरूसिंह—२२ दिन हड़ताल हुई, पर सरकार को अलीगढ़ की ओर ऐसा क्या एट्रेक्शन है कि वहां तहसील रखी ही जावे, ऐसा समझ में नहीं आता।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए में यह निवेदन करूंगा कि सरकार को ये खुले अधिकार कभी नहीं देने चाहिये, नहीं तो विरोधी दल को तो सरकार कहीं का नहीं रखेगी; कोई भगवान ही भला करे तो बात दूसरी है।

इसलिये ये जो दो शब्द हैं इनका लोप कर दिया जाय "Or abolish existing"

इन दो शब्दों को लोप कर दिया जाय तो फिर चाहे यह सब पास कर दिया जाय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

फिर यह रह जायगा :

Create new divisions, districts, sub-divisions, tehsils and sub-tehsils, and"

बीच में यह "Or abolish axisting"; इसको दूर करने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

(कु० श्री जसवन्तसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—There may be a psychological relevancy in all this.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Since minority must have is its say, I want to ceexrise my right.

श्री अध्यक्ष—Minority's rights are protected by the Chair.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Only in the House, not outside. मुझे यह फिक्र है कि......

श्री दामोदर व्यास (राजस्वमन्त्री)—Government protects you all right.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—If the Government can protect us outside, we need not say anything.

श्री दामोदर लाल व्यास—We do.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र ने अभी जो कुछ फरमाया था मैं भी थोड़े से शब्दों में उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अगर सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण न रख कर अपने कर्त्तव्य को करती रहे तो ऐसे पॉवर्स डेमोक्रेसी में दे सकते हैं परन्तु भारतवर्ष में और खास तौर से राजस्थान में इस प्रकार के पॉवर्स देना जनता के हित की बात नहीं होगी क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि सरकार की ओर से जो कोई कार्य किया जाय उसमें हमेशा राजनैतिक दृष्टिकोण रख दिया जाता है और खास तौर पर ये पॉवर्स उस वक्त जब कि आम चुनाव डेढ़ साल में आने वाले हैं और इस सदन द्वारा इतने वाइड पॉवर्स सरकार को दे दिये जायेंगे तो कम से कम विरोधी पक्ष की ओर से अच्छी तरह ख्याल किया जा सकता है कि कितनी तहसीलों का हेर-फेर सरकार कर सकेगी।

यह हमारा सोभाग्य है कि कॉन्स्टीट्युएन्सी का हेर-फेर हमारी सरकार के हाथ में नहीं है। यदि यह काम हमारी सरकार के हाथ में होता तो यह हमारी बदकिस्मती होती .....

श्री दामोदर लाल व्यास—सरकार की राय से बनाई जाती हैं।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—अगर चुनाव कमीशन ने सरकार की राय ली भी है तो उसे माना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—It is quite irrelevant to the present scope.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—He has asked me a question and I have to reply to it.

हमारी खुशकिस्मती है कि चुनाव कमीशन ने सरकार की वह राय बिल्कुल नहीं मानी।

श्री दामोदरलाल व्यास—सारी को सारो मानो है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तहसीलों के हेर-फेर के बारे में उनियारा की एक ऐसी मिसाल हमारे पास है जिसके लिये न सरकार के पास इसका कोई जवाब है और न सरकार इसके बारे में बोल ही सकती है ।

विरोधी दल के सदस्य रावराजा उनियारा को इस बात का फिक्र हुआ और कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो मैंने उन्हें सलाह दी कि थोडे दिनों के लिये आप कांग्रेस के सदस्य हो जावें और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी तहसील में कोई फर्क नहीं आवेगा, पर उनका सिद्धान्त ऐसा है कि कुछ कार्य कराने के लिये या स्वार्थ साधन के लिये इतनी महान् संस्था के सदस्य हों, यह दिल को गवारा नहीं होता । हम तो, जो कुछ इधर बैठे हुए हैं माइनोरिटी में रह कर ही लड़ेंगे।

तो इसमें एक कन्डीशन अवश्य होनी चाहिये । सदन इसे कभी पास नहीं करे कि अगले जनरल इलेक्शन्स जब तक नहीं हो जायं तब तक यह पॉवर सरकार को नहीं देने चाहिये । अगर दे दिये गये तो मैं चुनौती देता हूँ और मन्त्री महोदय ध्यान में रखें कि जिस तरह उनियारा को तोड़ कर तहसील ऐसी जगह रखी गई है जो एक कोने में है और उनियारा के मुकाबिले में बिल्कुल नहीं ठहर सकती, यही इन्हें और कई तहसीलों में देखने को मिलेगी और यह प्रेक्टिस हमारे जनतन्त्रवाद को, हमारी डेमोक्रेसी को हानि पहुंचायगी ।

मैं अपनी बहस का समर्थन करने के लिये उनियारा की जनता की तरफ से जो खुली चिट्ठी सरकार के नाम निकली है उसका एक पेराग्राफ सदन में पढ़ कर सुनाता हूँ ।

एक प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए टोंक से चुने गये कांग्रेस एम० एल० ए० श्री राम रतन ने उपरोक्त घटना के कारणों का स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि अभी क्या हुआ है, अभी तो इनकी शुरुआत ही है, सरकार ने उनियारे से स्कूल हटाने के सम्बन्ध में भी निर्णय ले लिया है और शीघ्र ही वहां से दीगर सुविधाएं भी कम करने की ओर कदम उठाये जायेंगे ।

हालांकि राजस्व मन्त्री महोदय राव राजा साहब उणियारा के घनिष्ट मित्र हैं पर राजनैतिक पार्टी के कारण मदद देना चाहते हुए भी नहीं दे सकते हैं ।

इसलिये यह निवेदन करूंगा कि और प्रतिबन्ध न लगायें तो कम से कम यह प्रतिबन्ध जरूर होना चाहिये कि अगले आम चुनावों तक तहसीलों के हेर-फेर करने का अधिकार, कम-ज्यादा करने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए ।

श्री रामरतन—माननीय अध्यक्ष, वहां की जनता से मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनियारा की जनता ने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट नहीं दिये इसलिये स्कूल भी बन्द हो जावेगी । मैंने तो खुद ने वहां की जनता की भलाई के लिये चीफ मिनिस्टर से वहां पर बांध बनवाने के लिये पंच-

[श्री रामरतन]

वर्षीय योजना में प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मंजूर होगी और काम चालू होगा। यह जो कहा जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। ज्यादती उन्होंने की, वे तहसील भवन देने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक भी मकान तहसील के लिये उपलब्ध नहीं है। जब उनसे मकान के लिये कहा गया तो राव राजाजी द्वारा सब अपने भाईयों और दूसरे रिश्तेदारों के नाम मकानात कर दिये गये हैं। जो पहले तहसील कार्यालय था······(घंटी)

श्री अध्यक्ष—आप तो चार्ज लगाने लग गये। आपके खिलाफ ऐसा चार्ज था, जो आपने (कुं० श्री जसवन्तसिंह) ने पढ़ा उसका जवाब देना चाहिये।

श्री रामरतन—ये पब्लिक की तरफ से नहीं है। ये रावराजा की तरफ से हैं, जो कि पेम्फलेट बांटे गये हैं, जहाँ रावराजा साहब के कृपा पात्र हैं·····

रावराजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन बोलने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मुतल्लिक भी कुछ कहा गया है और मेरा नाम भी इसमें आया है और चूंकि मैं भी वहां का रावराजा था; वहां कि पब्लिक ने मुझे दुर्भाग्य-वश वोट देकर अपना प्रतिनिधि बना कर भेज दिया और इसीलिये मैं यहां उनके प्रतिनिधि की हैसियत से हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी—यह दुर्भाग्य किसका है, पब्लिक का है या आपका है?

रावराजा श्री सरदार सिंह—यह पब्लिक का दुर्भाग्य है कि मेरी वजह से हुआ कि वहां से तहसील हटा दी गई और वहां पर नहीं रही है। अगर कोई कांग्रेस का नेता होता तो तहसील वहां होती और वहां से नहीं जाती।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सीकर, खेतड़ी और उनियारा के पुराने इतिहास से आप सभी वाकिफ हैं कि उनको क्या पॉवर्स थे। जब जागीरों का रिजम्शन हुआ तो सबसे पहले सीकर, खेतड़ी और उनियारा से ही इसका श्री गणेश हुआ और हमने ही लीड लिया और हमने कांग्रेस सरकार के साथ सहानुभूति प्रकट करके अपनी जागीरों को सबसे पहले सरकार को सम्भलाकर पब्लिक में आकर भाषण दिया कि पहले तो मैं रावराजा के रूप में आप लोगों की सेवा करता रहा था और अब आपकी सेवा, चूंकि आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बना कर और मुझ में अपना विश्वास प्रकट करके भेजा है, आपकी तकलीफों को वहां विधान सभा में जाकर रखूंगा और अब मैं आपकी सेवा आपके प्रतिनिधि के रूप में करूंगा। इसलिये सब वहां की जनता ने सहानुभूति बतलाई और उन्होंने यहां तक आश्वासन दिया कि पहले तो हम आपका रावराजा के नाते आदर करते थे लेकिन अब प्रतिनिधि के हैसियत से आपका दूना आदर करेंगे। उस समय ये नेताजी भी वहां पर हाजिर थे। जब उन्होंने जनता को यह कहते सुना तो आपके जैसे पितकालियें लग जाती हैं वैसे लगी।

श्री दामोदर व्यास—Is it a parliamentary langnage, माननीय अध्यक्ष !

रावराजा श्री सरदार सिंह—उस वक्त उनियारा में ४ तहसीलें थी।

(१) बनेठा (२) नगर (३) आवां और (४) उनियारा।

सन् १९४८ में जब शास्त्री गवर्नमेंट थी उस वक्त में सीकर, खेतड़ी और उनियारा तीनों ठिकानों की जुडिशियरी का एकीकरण हुआ था और इस सम्बन्ध में समझौता भी हुआ और यह उस समय शास्त्री सरकार ने तय किया था कि जब तक जागीरों का पुनः ग्रहण न हो इन तहसीलों का स्थान उनियारा ही रहे। उसके अनुसार हमारी तहसील तो बाल रही और जुडिशियल पॉवर सरकार ने ले ली। उसके बाद में जागीरें ले ली गई। जब रामपुरा (अलीगढ़) की तहसील एबोलिश कर दी गई उस समय भी उनियारा की तहसील ज्यों की त्यों रही। उसके बाद ऐसा हुआ कि श्री माणक्यलालजी का इलेक्शन हुआ। जब वहां माननीय मंत्री, जिनके नाम तो में लेना नहीं चाहता जो उस समय विधान सभा के सदस्य थे और आज मंत्री के पद पर हैं वे भी उनके साथ पधारे थे और उन्होंने मुझसे इलेक्शन के सिलसिले में मदद चाही तो मैंने उनसे कहा यह कहा कि मैं हर तरह से मदद देने के लिये तैयार हूँ। इन जैसे योग्य व्यक्ति कहां मिलेंगे ? आपके खिलाफ भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं रामराज्य परिषद् के नेता की हैसियत से खड़ा होकर यह नहीं कहूँगा कि आप इनको वोट दीजिये। हां, जितनी मदद मैं कर सकता हूँ करने को तैयार हूँ और मैंने मदद भी की। मैंने उनको १५० या २०० आदमी जो वहां स्कूलों में मास्टर काम करते थे, पटवारी थे आदि से दी; क्योंकि वे सब मेरे हेन्ड में थे। वे सब मैंने उनके साथ में उनकी मदद के लिये किये।

श्री भैरुसिंह— पटवारी वगैरह तो सब सरकार के आधीन थे, फिर आपके हाथ में कैसे थे ?

रावराजा श्री सरदार सिंह—सब मेरे हाथ में थे, उसके लिये ऑर्डर हो गये थे। तो उस वक्त परमात्मा ने चाहा तो वे कामयाब हुए। मगर बात यह हुई कि कई कई जगह ऐसी हुई कि उनकी पेटियों में बोटें नहीं पड़े, बल्कि कांग्रेस के क्षेत्रोंमें तो ऐसा हुआ कि कहीं कहीं पेटियें बन्द की बन्द पड़ी रह गई। मेरे यहां तो वोट पड़े भी तिलक पर थे मगर चूंकि में वहां का राव राजा था और ज्यादा वोट नहीं पड़े इसलिये यह वज्र पड़ा।

("हियर, हियर" विरोधी दल की ओर से)

इस जनतन्त्र में ऐसे हुआ और यह कहा गया कि यहां के रावराजा ने वोट देने वालों को मना कर दिया। मगर मैं यह कहूँगा कि राव राजा ऐसी छोटी-मोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देगें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह तो उम्मीद ही नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं बोलने के लिये उत्सुक था .....

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई सदस्य .....

श्री अध्यक्ष—जो सदस्य इस सदन में नहीं हैं उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाना चाहिये।

रावराजा श्री सरदार सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं चार वर्षों से बोलने को उत्सक था।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप १२ महीने और सब्र करते।

रावराजा श्री सरदार सिंह—चार वर्षों से मैं इसलिये नहीं बोला और चुप रहा कि मुख से हमारे ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिये जिससे किसी को दुःख हो लेकिन परसों के रोज हाउस का वातावरण ऐसा हो गया और परम्परा में आपत्ति आई इसलिये, मैं अपने आपको शान्त समझता था; आप शांति नहीं रखना चाहते हैं इसलिये बोलने की नोबत आई। क्योंकि आज तहसीलें हटा देंगे। कल स्कूलें, परसों आप ऐसी मशीन लगावेंगे कि जिसके जरिये रावराजा का महल उठा लेंगे। आप कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जागीर पुनःग्रहण के दो वर्ष होने आये हैं; हमारे मित्र भी उसी क्षेत्र से आये हैं उनको ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये और जब से यह तहसील हैड क्वाटर हटाया हुआ है जनता इसके लिये प्रार्थना कर रही है, मगर इसी क्षेत्र के हमारे मन्त्री होने पर भी कुछ नहीं हो रहा है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इस संबन्ध में अब तक कुछ नहीं किया; जो कि उनसे उम्मीद नहीं थी।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—ऐसी बातें कहने से बाद-विवाद अधिक बढ़ेगा और यह इस सम्बन्ध में भी नहीं है।

रावराजा श्री सरदार सिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुये) रहा सवाल मकानों का और जैसा कि टोंक क्षेत्र से आये रामरतनजी कह रहे थे, तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूं, माननीय मंत्रीजी कमीशन मुकर्रर कर दें। अगर वहां पर मकानों की कमी हो तो मैं कहें सो करने के लिए तैयार हूँ।

("हियर, हियर," विरोधी पक्ष द्वारा)

माननीय अध्यक्ष, मैं मानता हूँ कि वहां रेवेन्यू बोर्ड के पॉवर्स थे, हाई कोर्ट के पॉवर्स थे, ज्युडिशियल ऑफिसर्स रहते थे, मुन्सिफ रहते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते थे तो क्या वे सब सड़क पर बैठते थे ?

(हंसी एवं विपक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री राम रतन टिक्कीवाल—यह नहीं······

श्री अध्यक्ष—Order please ! Order please !!

श्री राव राजा सरदारसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र से ऐसे एम० एल० ए० आ गये कि आमने सामने दुश्मनी रखते हैं और दुश्मनी निकालते हैं; निकालें, लेकिन प्रजा के साथ क्यों ?

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर हियर")

इसीलिए में खड़ा हुआ हूँ कहने के लिए कि उनियारा की सेन्ट्रल जगह के लिहाज से पोपुलेशन के लिहाज सेऔर अन्य बातों के लिहाज से इन्क्वायरी की जाय। वहां हाई स्कूल है, ६ हजार की पॉपुलेशनहै, मकानात की कमी नहीं है और मैं माननीय मंत्री जी में कहता हूँ कि अगर वे वहां पर सब डिविजन खोल दें तो और भी मकान मैं देने के लिए तैयार हूँ।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर हियर" व हंसी)

वहां खोलने लायक है। मंत्री महोदय पधारें, सारा हाउस पधारे; मैं स्वागत करने के के लिए तैयार हूँ, मकान और देने के लिये तैयार हूँ।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर हियर")

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २१ के सम्बन्ध में अभी बहस चल रही थी और बहस को दोहराते हुए कुछ माननीय सदस्य बहुत आगे फरमाने लगे; किसी खास तहसील का जिक्र करते हुए और शायद उन्होंने इस आशा से कि उनका असर मैंन (main) कार्यों पर पड़ सकता है, यह वर्णन किया। जहां तक क्लॉज़ २१ के सिद्धांतों और उसूलों का जिक्र है यह सही है कि गवर्नमेंट में यह पॉवर निहित होना चाहिए कि डिविजन, सब डिविजन और तहसील के जो जो एरियाज़ हैं उसका वे निर्णय कर सकें और उनका निर्णय करने का गवर्नमेंट को अधिकार होना भी चाहिए। इसमें दो रायें हो नहीं सकती। हमें यह सबक सीखना है कि भारत की ऐसी स्टेट्स हैं वहां दूसरी परम्परा नहीं है, दूसरा कानून नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह साफ है कि २१ वें क्लॉज़ का जो प्रश्न है वह बदस्तूर रहता है और उसमें ऐसी कोई संभावना मालूम नहीं होती है कि उसमें परिवर्तन हो। यह प्रेक्टिकल भी है।

जैसा कि दो तीन दिनों से वातावरण चल रहा था, मेम्बर्स ऑफ बोर्ड के सम्बन्ध में, एडीशनल मेम्बर के सिलसिले में और फोर्मेशन ऑफ बोर्ड के सिलसिले में ज्युडिशियरी पावर्स हों, इन्डिपेन्डेन्स रहनी चाहिए। मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक गवर्नमेन्ट का प्रश्न है गवर्नमेन्ट जनता को रिप्रेजेन्ट करती है और किस प्रकार का कॉंस्टीट्यूशन है वह इस बात का प्रतीक है और

Page No.43

[श्री श्रीदास गोयल]

यह भी सुबूत है कि क्यों ऑपोजिशन से मेम्बर कांग्रेस में आये क्योंकि यह वाकई सही रिप्रेज़ेन्टेशन है।

(हियर, हियर)

ऐसी परिस्थिति में...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कांग्रेस से इधर (ऑपोजिशन में) क्यों आये ?

श्री श्रीदास गोयलः—आये नहीं थे, मुझे कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्षः— Relevant please.

श्री श्रीदास गोयलः—मैं यह निवेदन करूं कि डेमोक्रेसी में स्ट्रोंग ऑपोजिशन की आवश्यकता होती है। जहां जहां डेमोक्रेसी विद्यमान है; इंगलैंड में, दूसरे कन्ट्रीज़ में, वहां स्वस्थ परम्परायें है और वास्तव में ऑपोजिशन स्ट्रोंग होना चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फन्कशन कर सके। मैं यह कहूँगा कि माननीय मित्र बहुत आगे बढ़ गये, बहुत अच्छा होता कि इस पर हाफ एन अवर की डिबेट होती और वे इसका निर्णय कराते। लेकिन जहां तक क्लॉज़ २१ का प्रश्न है यह चीज़ इसमें नहीं आती है। अलीगढ़ और उनियारा, दोनों स्थान अपना अपना महत्व रखते हैं। कुछ माने में उनियारा तहसील हैडक्वार्टर बनने के लायक है तो अलीगढ़ भी कुछ माने में है। टोंक से सवाई माधोपुर जो सड़क जाती है तो अलीगढ़ सड़क पर आता है, जब कि उनियारा चार मील दूर रह जाता है। उनियारा फासले पर है।

रावराजा श्री सरदारसिंहः—सवाई माधोपुर को जो सड़क जाती है वह उनियारा होकर जाती है।

श्री कपिलदेव अग्रवालः—क्लॉज २१ में उनियारा सड़क कहां से आ गई ?

श्री श्रीदास गोयलः—मैं खत्म कर देना चाहता हूँ (घंटी) एक मिनट में ही। उनियारे के लिए जैसा कि माननीय मित्र कहते हैं, त्याग की भावना बताई; मान लें कि वे और बिल्डिंग्स तहसील के लिए देना चाहते हैं, तो सरकार के समक्ष हर वक्त कह सकते हैं, सरकार को हर वक्त अख्तियार है कि तहसील रखें या उसमें रद्दोबदल कर दें। यह हमेशा के लिए हो गया हो, ऐसी बात तो है नहीं, इस बात की गुन्जाइश भी नहीं है। अतः इस प्रकार की दृष्टि रखते हुए क्लाज २१ में जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसको वापिस ले लिया जावे और मैं यह कह देना चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ बदस्तूर कायम रहे।

श्री मानसिंह माहर—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २१ के लोप करने के बारे में विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

(हियर, हियर)

हमें यह देखना है कि क्या इन्डिविजुअल शिकायत हो सकती है ? मैं मानता हूँ कि उनियारा से आये हुए सदस्य को तकलीफ है......

कुं श्री जसवन्तसिंह:—उनको क्या तकलीफ है, जनता को तकलीफ है।

श्री मानसिंह माहर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) तहसील हट गई है तो जनता को भी दुख है। मेरे मित्र जो सवाई माधोपुर से आये हैं उन्होंने बताया कि दोनों के चान्सेज़ बराबर बराबर है। मैं यह तो मानकर चलता हूँ कि उनियारा का महत्व ज्यादा है।

(हियर, हियर)

लेकिन किसी इन्डिविजुअल केस को लेकर कोई काम नहीं करना है जल्दबाजी में। यह बात जरूर है कि उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य को उनियारा में तहसील कायम कराने के लिए मदद करूंगा। माननीय मंत्रीजी ध्यान में रखें क्योंकि उन्होंने दानवीर कर्ण का का रूप धारण किया है मकान देने के लिए।

इस क्लॉज़ २१ के महत्व को देखना चाहिए, इसमें जो पॉवर्स दिये हैं उनका लोप न हो जाय। हमारे राजस्थान की विचित्र स्थिति है। छोटी २ रियासतों की छोटी २ तहसीलें थीं और बड़ी बड़ी रियासतों की बड़ी बड़ी तहसीलें। अगर उन तहसीलों को बराबर नहीं किया जायगा तो जो न्याय मिलना चाहिए जनता को वह न्याय नहीं मिलेगा। छोटी तहसील को बड़ी करना और बड़ी तहसील को छोटी करना, यह जरूरी है राजस्थान के लिए। लेकिन इसमें यह कहें कि उनियारा में क्यों न हो, या लक्ष्मणगढ़ में क्यों न हो, यह किया जाय या वह किया जाय; तो मैं गलत मानता हूँ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के सिलसिले में उनियारा से आये हुए माननीय मित्र ने पर्सनल बातें बतायीं। उन्होंने कहा कि उधर जाने से लाभ होता है। तो मैं मानता हूँ कि लाभ जरूर होता है।

(हंसी व "हीयर, हीयर" विरोधी पक्ष द्वारा)

मैं जब कांग्रेस में नहीं आया तो जमुआ राममढ़ में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था और पिछले वर्ष में करीब १५ हजार रुपये खर्च हुये हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर")

[श्री मानसिंह महार]

आमेर में एस. डी. ओ मिले तो कहा कि पहले तो नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है; तो मैंने कहा कि दुर्भाग्यवश पहले में विरोधी पार्टी में था।

(हंसी)

ऐसी छोटी छोटी गलतियें हैं होती हैं; सभी सरकारों से होती है, सब को बर्दाश्त करना चाहिए और हमारी तरफ कांग्रेस में आना चाहिए।

(हंसी)

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि व्यक्ति विशेष को या गांव की जनता को तकलीफ होती है तो उसको दूर करना चाहिए। उनियारा की बात जो है वाजिब मालूम होती है।

टोंक से आये हुए माननीय सदस्य की खोखलाहट से यह मालूम हुआ है कि जो कुछ बात वे कह रहे है गलत कह रहे हैं। ऐसी सूरत में माननीय मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि वे इस क्लॉज़ को जैसा है वैसा ही रहने दें किन्तु सदन में जिन लोगों को थोड़ी बहुत शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे ताकि आयन्दा इस प्रकार का मौका न आये छींटाकशी करने का। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करता हूँ कि ओरीजिनल जो क्लॉज़ है उसको लोप न किया जाय। मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--माननीय अध्यक्ष, जहां तक मूल क्लॉज़ को डिलीट करने का सवाल है मेरा यह निवेदन है कि ये अधिकार तो सरकार के पास रहने चाहिये। प्रशासनिक दृष्टि से इन अधिकारों का सरकार के पास रहना आवश्यक है। तहसीलों के निर्माण या उनमें रद्दोबदल करने की जरूरत हो सकती है यह अधिकार सरकार के पास रहने आवश्यक हैं।

इस धारा पर बोलते हुए बहुत जोर-शोर से तहसील उणियारा को हटा कर अलीगढ़ में लाने की बात की कन्ट्रोवसी चली लेकिन माननीय अध्यक्ष, दरअसल उणियारा को अलीगढ़ तहसील हैडक्वार्टर पर स्थानान्तरण करने की वास्तविक स्थिति में माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूँ। दातारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस चीज को बड़े जोर-शोर से रखा। अगर वास्तविक स्थिति उनको मालूम होती तो शायद वे इस प्रकार से अपने विचार प्रकट नहीं करते...

कु० श्री जसवन्त सिंह—और ज्यादा करते...

श्री दामोदरलाल व्यास--(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब मैं माननीय अध्यक्ष, यह बताना चाहता हूँ कि तहसील उनियारा से तहसील हैडक्वर्टर क्यों हटाया गया ! जिस समय

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तहसील उणियारा को हैडक्वार्टर बनाया उस समय रावराजा उनियारा, माननीय सदस्य जो उणियारा से आये हुए हैं, उन्होंने एक दफ़तर के लिए दो कमरे दिये जिनके अन्दर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का दफ़तर था....

श्री कपिलदेव—Why discuss this ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I have got to say. Charges have been levelled against Government and I must explain the charges. (जारी रखते हुए) सिर्फ दो कमरे जिसके अन्दर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का दफ़तर था उसके अलावा कोई मकान देने को तैयार नहीं थे।

आज रावराजा साहब कहते हैं कि मैं महल देने को तैयार हूँ, यह दूसरी बात है। जब उणियारा में तहसील का हैड क्वार्टर बनाया गया उस समय जो नये तहसीलदार आये उसके अमले के लिए रहने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, उनको किसी प्रकार की सुविधा रावराजा साहब की तरफ से नहीं दी गई। तहसीलदार को रावराजा साहब ने अपने गेस्ट हाउस में जगह दी, लेकिन आठवें दिन ही उनसे यह तकाजा होता रहा कि मकान खाली करो।

इसके अलावा अलीगढ़ के लिए यह कहा जाता है कि न तो वह सेन्टर में है (और एक कोने में है) और न कोई सुविधा ही वहां है। माननीय अध्यक्ष, उणियारा से अलीगढ़ का फासला सिर्फ ढाई मील का है। तो क्या ढाई मील के फासले से उणियारा तो सेन्टर में हो जाता है और अलीगढ़ कोने में पड़ जाता है, यह समझ में नहीं आया। रावराजा साहब यह ख्याल करेंगे कि उणियारा और अलीगढ़ में कोई फर्क नहीं, इसमें कोना और सेन्टर का सवाल पैदा नहीं होता।

दूसरा कारण यह है कि अलीगढ़ में सरकार की इमारतें बनी हुई हैं। वहां टोंक रियासत के समय एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर था। वहां तहसीलदार का ऑफिस तहसीलदार के रहने के लिए क्वार्टर है, वेटरनरी हॉस्पीटल है, डॉक्टर्स और कम्पाउन्डर्स के रहने के लिए डाक बंगला बना हुआ है; अन्य सरकारी इमारतें भी बहुत खाली पड़ी हैं। इसलिये उणियारा से तहसील हैडक्वार्टर अलीगढ़ बदल दिया गया। जब रावराजा साहब से तहसील के दफ़तर के लिए और उनके स्टाफ के रहने के लिये मकान मांगा गया तो वे मकान देने के लिये तैयार नहीं थे लेकिन आज वे सदन के सामने कह रहे हैं कि मैं अपने महल देने को तैयार हूँ। जब इनकी तरफ से किसी प्रकार की सुविधा और मकान नहीं दिया गया तब उणियारा से तीन मील दूर दूसरा स्थान था जिसको किसी कदर उणियारा से कम महत्व का नहीं कह सकते। जहां सरकारी मकानात बने हुए हैं सब तरह की सुविधा है वहां उणियारा से बदल कर तहसील का हैड क्वार्टर ले आया गया।

यह भी कहा गया कि उणियारा रावराजा साहब की कोन्स्टीटयूएन्सी थी, इस दृष्टि से यह कदम उठाया गया। माननीय अध्यक्ष, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि रावराजा साहब

[श्री दामोदरलाल व्यास]

केवल उणियारा के ही सदस्य नहीं उनकी कोन्स्टीट्यूएन्सी में अलीगढ़ भी आता है और वहां के मतदाताओं के मतों से वे विजयी भी हुए हैं और सदन के अन्दर आये हैं, तो उनको यह भूल नहीं जाना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी उनको उणियारा के प्रति है उससे कम अलीगढ़ के प्रति कदापि नहीं होनी चाहिये। वे अलीगढ़ में रहने वाली जनता के भी प्रतिनिधि हैं और वहां की जनता के प्रति भी जिम्मेदार है। उणियारा के तो, माननीय सदस्य, निवासी हैं। इस प्रकार दृष्टिकोण अगर सरकार का होता कि रावराजा साहब की कोन्स्टीट्यूएन्सी में तहसील हैड क्वार्टर को नहीं रखना है तो सरकार दूसरा कदम उठाती, दूनी में तहसील हैडक्वार्टर ले आते। इसलिए सिर्फ यह कहना कि रावराजा साहब की कोन्स्टीट्यूएन्सी में तहसील हैड क्वार्टर नहीं रखना चाहते क्योंकि वहां की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, यह गलत है। मैं आशा करता हूँ कि जिस हमदर्दी के साथ उनको वहां की जनता ने चुना, जिस हमदर्दी के साथ लोगों ने उनसे कहा कि वे उनकी दुगुनी सेवा करेंगे, वास्तव में वैसा ही होगा; मैं इसको गलत नहीं मानता। हो सकता है कि वे उस समय कम पूजनीय हों, अब तहसील के हटने से ज्यादा लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत ज्यादा इज्जत हो गई हो। मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन जहां तक सरकार का दृष्टिकोण यहां से तहसील को हटाने से था वह सिर्फ यह था कि यहां मकानों की सुविधा नहीं थी जब कि पास ही एक जगह काफी मकान खाली पड़े हैं। प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रखते हुए तहसील हैड क्वार्टर को अलीगढ़ लाया गया। मैं रावराजा साहब से प्रर्थना करूंगा कि वे भी इन बातों से खुद परिचित हैं कि उनसे टोंक कलेक्टर ने कितनी दफा प्रार्थना की कि आप अपने मकानों को रेवेन्यू अधिकारियों को दे दें; आज तो रावराजा साहब महल देने को तैयार हैं! वास्तव में तहसील के हैड क्वार्टर के हट जाने के बाद रावराजा साहब की तरफ से यह कहा जा रहा है। तहसील का हैड क्वार्टर हट कर दूसरी जगह चला गया वहां काम शुरू हो गया तब जाकर रावराजा साहब इस बात पर रजामन्द हो गये, ताकि वहां की जनता को यह पता चल सके कि रावराजा साहब तो मकान देने के लिए तैयार थे।

मैं खुद उणियारा गया हूँ। मैंने देखा है रावराजा साहब के जितने भी मकानात है उन पर सब पर बोर्ड लगा हुआ है। खैर, इससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं। आज वहां हाईस्कूल है लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए मकान की कमी है। अगर वास्तव में रावराजा साहब को वहां की जनता से हमदर्दी है तो वे प्राइमरी स्कूल के लिए जगह दे सकते हैं ताकि वहां के बालक पढ़-लिख कर होशियार हो सकें। यदि वस्तव में वे वहां जनता की सेवा करना चाहते हैं और सरकार की मदद करना चाहते हैं, उनियारा की तरक्की के लिए लालायित हैं तो वे बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान नहीं है, स्थान दे सकते हैं। अब जो तहसील के लिए मकान देना चाहते हैं वे इस काम के लिए दे दें। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उणियारा से तहसील हटाने के जो कारण हैं, वे प्रशासनिक दृष्टि के और मकानों की असुविधा के कारण हैं जिनकी वजह से हैडक्वार्टर हटाया गया है और वह वहां से तीन मील दूर ले जाया गया है जहां पर सरकारी दफ्तर के लिए सब प्रकार की उपयुक्त सुविधा है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि सदन में जो गलत भ्रम फैलाया या है वह दूर हुआ होगा।

Page No.48

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अब मैं माननीय अध्यक्ष, सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि क्लॉज़ २१ जिस प्रकार है उसे पास किया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो गलत बात कही गई है मुझे उसका जवाब देने दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ कहेंगे फिर मैं जवाब दूंगा; इस तरह से इस बहस का कोई एन्ड (end) नहीं होगा। It will form bad precedent

श्री अध्यक्ष—order ! The point has been sufficiently debated.

रावराजा श्री सरदार सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि राजा साहब मकान देने के लिये तैयार नहीं थे तो वे मेरा चेलेन्ज मन्जूर करें। मैं उनका चेलेन्ज स्वीकार करता हूं, वे इसको साबित करें। मैंने दूनी तहसील के लिये भी आवां का किला देने के लिये कलेक्टर और कमिश्नर दोनों को लिखा था जब कि वहां एक पटेल के नौहरे के अन्दर तहसील का हैडक्वार्टर हो। मैं मकानात देने के लिये हमेशा तैयार रहा हूं...

श्री दामोदर लाल व्यास—आपने दूनी तहसील के लिये तो लिखा था, लेकिन उणियारा के लिये लिखा क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) और जब कि कमिश्नर भगवत सिंह जी वहां गये और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट उस मकान में काम कर रहे थे तब वहां से एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी हटा ली गई तो सब मकानात तहसील के काम में आ गये। मैंने भगवन्तसिंहजी से यह उस वक्त कहा था कि यदि और मकानों की आवश्यकता पड़े तो मैं सदैव देने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मकान की कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Order please ! The point has been sufficiently discussed. There is no occasion for any such thing.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ विधेयक का अंग बने

(मत-दान के पश्चात्)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—आवाज तो ' ना ' की ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष—It depends on the number of voices.

कु ० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it. Sir.

श्री अध्यक्ष—तो क्या डिविज़न लिया जावे ? अच्छी बात है ।

(विभाजन घंटी के पश्चात् अल्प विराम के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ को बिल का अंगभूत स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज २२, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

(श्री भैंरूसिंह अपनी बैठक पर न होने के कारण)

श्री जवानसिंह

(श्री जवान सिंह के खड़े होने के साथ ही श्री भैरूंसिंह का अपनी बैठक पर आना)

श्री भैंरूंसिंह—(दांता रामगढ़) माननीय अध्यक्ष .....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—मुझे तो यह निवेदन कर देना है कि क्लॉज़ २२ को डिलीट करने का मैंने अपना संशोधन रक्खा है । क्लॉज़ २२ व २० का सम्बन्ध परस्पर इतना घनिष्ट रहा है कि वे तमाम बातें जो क्लॉज़ २० के लिए कही गई हैं वही बातें क्लॉज़ २२ के लिए कही जा सकती हैं और इस क्लॉज़ २२ के बारे में जो कुछ भी कहना है वे सब क्लॉज़ २० पर विचार करते समय कह दी गई हैं ।

सवाल कमिश्नर को रखने न रखने का था । आया उसे रखना चाहिये या नहीं और इसके विषय में तमाम बातें, एस्टीमेट कमेटी की राय और अन्य स्टेटों में इसके बारे में क्या किया जा रहा

[श्री जवानसिंह]

हैं, डिस्कस हो चुके, क्लॉज़ २० को डिस्कस करते समय और उसके प्रत्युत्तर में मैंने जो माननीय मंत्री जी से सुना उससे मालूम हुआ कि वे इस वक्त लैण्ड रेवेन्यू बिल पर विचार कर रहे हैं, न कि उसके प्रोसेस की दृष्टि से कि कमिश्नर आवश्यक है या नहीं। तो मैं इस विषय में केवल दो शब्द यहां निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमें इस लैण्ड रेवेन्यू बिल को विचार में लेते हुए इस बात को देख लेना है कि इस कानून के तहत में कमिश्नर की क्या आवश्यकता है ?

कलेक्टर के यहां के फैसले की अपील कमिश्नर के पास किया करेंगे और इसकी वहां सुनवाई होगी। यह काम हमने रक्खा है कमिश्नर के तहत में और अलावा इसके वह रेवेन्यू साइड का सुपर्विज़न भी करेगा। तो इन चीजों को हम जब देखते हैं तो बहतर यही होगा कि जनता को सस्ता न्याय देने के लिए बीच में से यह सीढ़ी हटा दी जावें ताकि लोगों को अगर तहसीलदार की अपील करनी है तो एस. डी. ओ. और कलेक्टर को करनी है और इससे ऊपर अगर करने जावें तो सीधा रेवेन्यू बोर्ड में कर सकता है। यह बीच की कमिश्नर की सीढ़ी हट सकती है और मेरा ख्याल है कि लोगों को सस्ता न्याय तभी मिलेगा जब उनको बहुत दूर-दूर भी नहीं जाना पड़े। देशी रियासतों के समय में यह विशेषता थी कि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिल जाया करता था, उनके वक्त में इतनी सीढ़ियां नहीं थीं। इस चीज़ को अगर हम ध्यान में लाते हैं तो आज क्या होता है, एक आदमी को न्याय हासिल करने के लिए जैसलमेर से जयपुर आना पड़ता है, रेवेन्यू बोर्ड में अपनी सुनवाई कराने के लिए, दूसरा झालावाड़ से आता है और एक बार आने से ही सुनवाई हो जाय यह भी नहीं, कभी कुछ कारण बन जाता है और कभी कुछ, कभी वकील बीमार हो जाता है, तो कभी बोर्ड की भी पेशियां पड़ जाती हैं। तो इतने लम्बे-चौड़े राजस्थान के लिए अपील की एक ही जगह मुकर्रर करना और उस पर फिर कमिश्नर के बीच की सीढ़ी और बना देना जिससे उसको न्याय प्राप्त करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड में तो आना पड़े सो आना ही पड़े पर एक जगह और जाना पड़े। तो ये परेशानियां जो पैदा हो गई हैं आज एक आदमी को न्याय प्राप्त करने में वे कम हो सकती है। अगर बीच में से यह एक सीढ़ी तोड़ दी जाय और दूसरा, रेवेन्यू बोर्ड की जगह-जगह बैठकें होनी लग जावें।

तो इन परिस्थितियों पर विचार करके मैंने यह संशोधन रक्खा है ताकि लोगों को इन्साफ हासिल करने में समय ज्यादा नहीं खराब करना पड़े और पैसे की भी बचत हो। आशा है, सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—Sufficiently discussed. Yes, reply.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, दफा बीस की बहस के वक्त में मैंने विस्तार से कमिश्नर को रखने के लिए दलीलें पेश कर दी हैं और मैं अब समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने यह जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका जवाब भी उसमें आ जाता है। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि वे इनका यह संशोधन नामन्जूर करें और इस क्लॉज़ को पास करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २२ में श्री जवानसिंह ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जवे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २३ पर मेरा अमेन्डमेन्ट है कि उसको डिलीट कर दिया जावे। शायद इस अमेन्डमेन्ट से सबको आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन जब मैं अपने विचार प्रकट करूंगा तो ......

श्री अध्यक्ष—अभी करिये, फिर कब करेंगे ?

श्री हिम्मतसिंह—कर रहा हूँ। तो सदस्यों को पता लग जावेगा कि मेरा अमेन्डमेन्ट कहां तक वाजिब है ?

सैटलमेन्ट क्यों किया जाता है, सबसे पहले यह विचारने की बात है। सरकार काश्तकारों से लगान वसूल करने के लिए सैटलमेन्ट करती है, इसके सिवाय और कोई मतलब नहीं। कम से कम तीन-चार बार सैटलमेन्ट किये जा चुके हैं और इस बारे में मेरी काश्तकारों से बातें हुई हैं कई जगहों पर। उनकी बातों से मुझे पता लगा कि लगान हर सैटलमेन्ट में उनका बढ़ता जाता है। जो पहला सैटलमेन्ट हुआ उसमें लगान तय हुआ ५०), दूसरे में वही ७५) हो गया और तीसरे में १००) कर दिया गया और शायद चौथे में १२५) कर दिया जावेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गवर्नमेन्ट सैटलमेन्ट इसलिए करती है और इसके पीछे यह बैकग्राउन्ड है कि किस प्रकार से काश्तकारों पर लगान बढ़ाया जाकर सरकार के कोष में रुपया ज्यादा से ज्यादा आवे। यह तो सैटलमेन्ट का बेसिक प्रिन्सिपल है, जो सरकार ने अडॉप्ट कर रक्खा है।

[श्री हिम्मतसिंह]

अब सेटिलमेंट के ऊपर कितना खर्चा होता है और इसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बाबत में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। राजस्थान में सेटलमेंट विभाग के ऊपर लाखों रूपये का हर साल व्यय होता है ? मैं यह समझता हूं कि इतना व्यय सेटलमेन्ट विभाग के ऊपर होता है वह बिल्कुल व्यर्थ जाता है सिवाय इसके कि सरकार के कोष मे रुपये अधिक आयें। इस बात से अधिक और कोई फायदा नहीं है ? बहुत सारा काम तो सेटिलमेंट विभाग का बरसात के दिनों में करीब २ बन्द ही रहता है और साल में ४, ६ महीने तो सेटिलमेंट वाले मुफ्त की तनख्वाह पाते हैं। सेटिलमेन्ट क्या करते हैं, यह भी एक जानने की बात है। जिह तरह का सेटिलमेन्ट हो रहा है उसको देखने से पता चलता है कि यह सेटिलमेन्ट है या मखौल बाजी है। सेटिलमेन्ट ऑफिसर कोई खास सेटिलमेन्ट की बातों के एक्सपर्ट भी नहीं हैं। गांव वाले भी इस बात को महसूस करते हैं, और खास तोर से डिवीजन कोट के बाबत कहना चाहता हूँ कि जहां अच्छे २ सेटिलमेन्ट ऑफिसर रह चुके हैं और जिन्होंने सेटिलमेंट किया है उनके मुकाबले में जो इस वक्त सैटिलमेंट चल रहा है और जो होता रहा है और जिस तरीके से सेटिलमेंट किया जा रहा है वह वहां की जनता को भी प्रिय नहीं है। वह ठीक नहीं मालूम होता है और नावाजिब समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह नक्शा किसी गांव या तहसील का लेकर उस पर लाइन खींच देते हैं कि यह सब से अच्छा ब्लॉक है और दूसरा यह उससे घटिया ब्लॉक है और तीसरी लाइन खींची जाकर बता देते हैं कि यह सबसे निकृष्ट ब्लॉक है। वे इस तरह से ब्लॉक करके सेटिलमेंट करते हैं। इस सेटिलमेंट में, यों कहना चाहिए, कोई वाजबियत नहीं है। जमीन अच्छी या बुरी यह कोई चीज नहीं है। उन्होंने डिमार्केशन कर दिया। जो चकबन्दी की है वह उसी चकबन्दी और उसी लगान को देने के योग्य है। एक खेत के पास में एक खेत अच्छा हो सकता है और एक खेत बुरा हो सकता है लेकिन भाग्यवश उस सेटिलमेंन्ट से नतीजा क्या निकलता है कि लगान उस बेचारे को जिसका कि खराब खेत है ज्यादा देना पड़ता है। कोटा रियासत में सेटिलमेंट हो चुका है। वह इस बेसिस पर नहीं हुआ है। वहां खेतवार जांच होकर रकम कायम की गई है। सेटिलमेंट ऑफिसर से बातचीत करने के सिलसिले में यह मालूम हुआ है कि पुराने सेटिलमेंट में और इस सेटिलमेंट में ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है और चकबन्दी कम से कम उसी लाइन पर रखी है। सिर्फ आंकड़ों में ही कुछ टोटल में बेशी की गई है। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ध्येय गवर्नमेंट का यही रहता है कि किसी तरह से लगान गवर्नमेंट का बेशी होना चाहिए। मेरे इसका विरोध करने का मतलब यह है कि गांव की जमीन है और गांव वाले ही उसके जिम्मेवार हैं और गांव वाले, मैं समझता हूँ, सेटिलमेंट ऑफिसर से ज्यादा योग्य हैं, इस बात की जांच करने में कि एक जमीन कितना लगान देने के काबिल है। इस जमाने में जब हम पंचायत राज्य काम करने जा रहे हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि वह सेटिलमेंट विभाग को रखकर, कितना खर्चा करके सरकार प्रजा के रुपये का इस तरह से अपव्यय क्यों कर रही है, अगर गांव वालों को यह अधिकार दे दिया जाय कि अपना सेटिलमेंट खुद ही करलें तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्पत इसके कि सेटिलमेंट विभाग के ऊपर लाखों रुपये खर्च किये जांय और यह रुपये ख्वामख्वाह बिल्कुल बर्बाद किये जांय ......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह बजट स्पीच में कहें।

श्री हिम्मतसिंह—इसके अलावा सेट्लमेंट से लोग-बाग खुश भी नहीं हैं। सेटलमेंट वालों में जिस तरह का करप्शन निगाह में आता है उसको देखते हुए इस सेट्लमेंट विभाग को रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ....

श्री अध्यक्ष—नो आर्ग्युमेंट कि करप्शन है इसलिए नहीं रखना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यह ठीक है आपने फरमाया जो, लेकिन करपशन ऐसी चीज़ है ख्वामख्वाह जिससे कि गफलत पैदा होती है। ऐसा चान्स क्यों दिया जाय कि करप्शन को मौका मिले ? जो काम गांव वाले अपने आप कर सकते हैं उसके लिए सरकार इतना बड़ा खर्चा क्यों करे ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सेट्लमेंट ऑफिसर, सेटिलमेंट कमिश्नर रखने का क्लॉज़ जो रखा गया है यह बेकार है और इस क्लॉज़ को डिलीट करने से यह सेट्लमेंट विभाग खत्म किया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष...

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात पर कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—फिर बोलियेगा।

श्री मानसिंह महार—इसमें बहुत ज्यादती हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष....

(श्री मानसिंह महार के पुनः बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Order ! order !! (श्री दामोदरलाल व्यास से) आप बोलिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार का एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने रखा है, उससे मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। एक प्रकार की विशेषता से यह एमेन्डमेन्ट लाया गया है और दलील यह है कि तहसीलदार अगर करप्ट है तो तहसील को तोड़ दिया जाय, सेटिलमेंट विभाग में करप्शन है तो उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाय। माननीय सदस्य खुद सेन्टिलमेंट कमिश्नर रह चुके हैं और इस सेटिलमेंट विभाग की, मैं समझता हूँ, अहमियत और इसकी उपयोगिता को जानते होंगे अच्छी तरह से। खास तौर से पंचायतों को सौंपने का जो सुझाव रखा है, सेटिलमेंट डिपार्टमेंट को वह तो एक अजीबोगरीब सुझाव है। मैं खुद समझता हूँ ..

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Wonderful वे सेटिलमेंट ऑफिसर रह चुके हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, १०. ३७ बजे पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास—रह चुके हैं, लेकिन वे भूल गये हैं सेटिलमेंट की टेक्निकेलिटीज़ को, वर्ना इस तरह का सुझाव नहीं देते।

माननीय सदस्य ने सेटिलमेंट डिपार्टमेंट का फन्क्शन सिर्फ गांव का सेटिलमेंट करने का और लगान वसूल करने का ही बतलाया है और ये फन्कशन्स जो पंचायतों के हैं वे कर सकती हैं। लेकिन सेटिलमेंट डिपार्टमेंट के फन्कशन्स दूसरे हैं और वे बिल्कुल टेक्निकल हैं और वे फन्कशन्स पंचायतें नहीं कर सकती हैं। यह माननीय सदस्य खुद भी जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इसलिए यह कहना कि सेटिलमेंट डिपार्टमेंट को तोड़ दिया जाय, रखा नहीं जाय और इसमें जो दलील दी गई है वह उचित व आवश्यक नहीं है; मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात से कन्विंस होंगे और अपने आपको विद्ड्रॉ करेंगे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपके जो सेटिलमेंट ऑफिसर हैं वे कहां से एक्सपर्ट का सार्टिफिकेट लेकर आये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनको ट्रेन किया जाता है बाकायदा सेटिलमेंट डिपार्टमेंट के अन्दर।

(श्री हिम्मतसिंह के बोलने के लिए फिर खड़े होने पर)

अभी मैंने खत्म नहीं किया है। मुझे कुछ कहना है।

माननीय अध्यक्ष, जहां यह हो जाता है कि सेटिलमेंट डिपार्टमेंट में यह करपशन है कि नक्शे लेकर ब्लॉक्स कर दिये जाते हैं; दरअसल में अगर आप कायदे और कानूनों को उठाकर देखें तो एक तरीका है सेटिलमेंट का। उसके नियम बने हुये हैं। नियम और तरीके से सेटिलमेंट किया जाता है। नक्शा उठाकर, लाइन फिरा देने से वहां सेटिलमेंट हो गया और सोइल का क्लासिफिकेशन हो गया, यह बात नहीं है। सोइल क्लासीफिकेशन के अन्दर सेटिलमेंट ऑफिसर्स को खेत २ की जांच करनी पड़ती है और मेरे ख्याल से इस बिल को मुहाहिजा करेंगे तो इसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। आप भी जानते होंगे, माननीय उपाध्यक्ष, आप भी सेटिलमेंट के माहिर अफसर रहे हुए हैं। बहुत ज्यादा तरीके को जानते हैं। यह एमेंडमेंट वैसे ही पेश कर दिया गया है, इसलिए इसको वापिस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह(१६)—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि राजस्थान में सेटिलमेंट का कोई मेनुअल्स बना हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटिलमेंट मेन्युअल्स अलग २ स्टेट्स में अलग २ थे। राजस्थान में अब बन रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मंत्री महोदय मेरी बात को समझ नहीं सके और उसको बहुत लाइटली ले लिया और हंसी में उड़ा दिया ....।

श्री दामोदरलाल व्यास—हंसी में बिल्कुल नही उड़ाया। अगर इसमें अहमियत होगी तो जरूर समझने की कोशिश करेंगें।

श्री तेजमल बाफना—आपने अहमियत समझने की कोशिश नहीं की।

श्री हिम्मतसिंह—वे नहीं समझ सके हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है। यदि वे नहीं समझ सके हैं तो मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं। मैंने जो बात कही है यह वाजिब है और आजकल के जमाने के माफिक है। हम पंचायतों का राज्य बनाने जा रहे है। इस राज्य में पंचायतों को सब अधिकार होने चाहिये, उनको अपने क्षेत्र पर पूरा अधिकार होना चाहिये। सरकार को पंचायतों के क्षेत्र में या उस गांव में जो पंचायत क्षेत्र में है वहां पर उनके निजी कामों में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है?

मैंने यह अर्ज किया था कि इस सेटलमेन्ट विभाग पर लाखों रूपया सरकार का खर्च हो रहा है। यह खर्चा बिलकुल वेस्ट है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपके सेटलमेन्ट ऑफीसर की निस्बत वहां का काश्तकार और पटेल जमीन की असलियत और खूबी को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है और वे खुद अच्छा काम कर सकते हैं बनिस्पत सेटलमेन्ट ऑफिसर के। सेटलमेन्ट ऑफिसर्स के खर्चे में कमी करने के लिये और राज्य की बचत करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है और आपने उसको लाइटली टरका दिया। मुझे बड़ा दुःख है कि आप जमाने को नहीं देखते हैं कि वह कैसे बदल रहा हैं। लोगों की दृष्टि इस बात पर लगी हुई है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हों और सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करे। मैं फिर पूरे जोर से कहता हूं कि आप इस पर पूरा गौर करके समझने की कोशिश करें कि गांव वाले क्या चाहते हैं। आप डिपार्टमेन्ट पर क्यों इतना खर्चा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम बहुत आसानी से, सस्ताई से हो सकता है उसके बजाय इतना खर्च लगाकर क्यों भार लादा जा रहा है? आपने इस बात को नहीं समझा और कह गये कि सेटलमेन्ट ऑफिसर्स बड़े एक्सपर्ट हैं और आप कहते हैं कि इस तरह से लाइन डालनी पडती है। आप मेरे साथ चलिये मौके पर, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का बंदोबस्त किया है। मैं अपने ही गांव की मिसाल देना चाहता हूं जहां अभी सेटलमेन्ट ऑफिसर्स ने बन्दोबस्त किया है। मैंने उनसे बात की थी कि उसका सम टोटल यह है कि उन्होंने कहा कि आपको इससे नुकसान क्या है, अगर किस्म बंदी एक गांव से दूसरे गांव में नहीं मिलती तो आपको नुकसान क्या है, आपके गांव का लगान बढ़ाया ही गया है। मैंने उनसे कहा यदि लगान ही बढ़ाना है तो आपका सेटलमेन्ट अपने पास रखिये, मुझे नहीं चाहिये। इस पर भी मंत्री जी कह गये कि सेटलमेन्ट ऑफिसर्स खेत-खेत पर जाकर बड़ी चक बंदी करते हैं, किस्म बंदी करते हैं। यह केवल कहने की ही बात है मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैंने खुदने जो अनुभव किया है उसके विपरीत मुझे कैसे विश्वास हो? इसलिये मैं कहूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर फिर गौर करें और प्रस्ताव को मंजूर करें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २३ पर श्री हिम्मतसिंह (अटरू) ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—I do not want to press it. Sir

श्री उपाध्यक्ष— Do you want to withdraw it ?

श्री हिम्मतसिंह—If I am permitted by the House to withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने की श्री हिम्मत सिंह को इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री हिम्मतसिंह—I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लाज़ २३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

श्री उपाध्यक्ष –Clause 24,Shri Chand Mal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy Speaker, Sir. I beg to move the following amendment to clause 24:

"Dele e the clause."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ २४ इस प्रकार है :

"The State Government shall appoint for the whole of the State a Director of Land Records and may appoint as many Additional and Assistant Directors of Land Records as it may consider necessary,"

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के माफिक सरकार अपने हाथ में यह अधिकार रखती है कि वह डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड की नियुक्ति करेगी और साथ ही यदि सरकार चाहे तो वह भी अधिकार रखना चाहती है कि डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड्स की भी नियुक्ति कर दें। मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने

[श्री चांदमल मेहता]

इस क्लॉज़ को रख कर कुछ व्यक्तियों की बेकारी दूर करने का प्रयत्न किया। इस धारा के रखने से कुछ बड़े अफसरों की बेकारी ही दूर नहीं होगी बल्कि उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल सकेंगी। लेकिन माननीय मंत्रीजी ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इस धारा को रखने से सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इस धारा के रखने से शासन व्यवस्था में कितनी दिक्कत होगी, कितनी कठिनाइयां होंगी। यदि इस बात का ख्याल रखते तो शायद इस तरह की धारा इस बिल में नहीं होती। शायद राजस्थान के निर्माण के पहले भी डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का ऑफिस था। नहीं। राजस्थान में आम चुनाव होने से पहले डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का ऑफिस था। आम चुनाव के बाद ज्यों ही विधान सभा बनी और उसमें इस बात के लिये आवाज उठाई गई कि यह ऑफिस बहुत अनावश्यक है और इसके जरिये से न केवल राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ा है बल्कि शासन संबंधी कई कठिनाइयां भी बढ़ी हैं। तो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्डस का ऑफिस तोड़ दिया गया। आज फिर मौका आ रहा है जब सरकार फिर अपने हाथ में अधिकार रखना चाहती है कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स ही नहीं बल्कि और कुछ ऑफिसर्स यदि सरकार चाहे तो मुकर्रर कर दे। एक बार जो भूल की थी उसको दुरुस्त किया और अब और भी संगीन भूल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का क्या काम होगा, इस सम्बन्ध में इस बिल को देखने से दो एक क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जिनमें इसके बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है। इस बिल के क्लॉज़ ३० (३) में बताया है कि, "The Director of Land Records shall be incharge of all matters relating to Survey and the preparation, revision and maintenance of land records throughout the State and shall in respect there of exercise such powers and discharge such duties as are conferred and imposed on him by or under this Act or any other law for the time being in force."

दूसरी जो कुछ भी चर्चा इस बिल में डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के संबंध में की गई है वह क्लॉज़ ६७ में की गई है। वह इस प्रकार है।

" with the previous sanction of the state Government, the Director of land Records may arrange the patwari circles of each district into land Records inspection circles. "

इन दो क्लॉजेज के सिवाय इस सारे बिल में डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकार्ड्स के क्या फंक्शन्स हैं, कहीं कुछ भी दर्ज नहीं है। जहां तक सर्वे और लैंड रेकॉर्ड के कागज़ात बनाने और मेन्टेन करने और सुपरवाइज़ करने का ताल्लुक है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यह काम कलेक्टर बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वे करते हैं और सफल भी हुए हैं। आज यह काम आम तौर पर कलेक्टर्स की निगरानी में ही है। जहां तक पटवारी सर्कल बनाने का ताल्लुक है, मैं निवेदन

[श्री चांदमल मेहता]

करूंगा कि उसके लिये कोई आवश्यकता नहीं कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्डस् ही यह काम करें। अब तक जब डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का ऑफिस था तब भी ऐसी व्यवस्था थी कि पटवारी और उनके ऊपर के अफसर कानूनगो, इन्सपेक्टर लैंड रेवेन्यु करते थे और उसके बाद डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकार्डस् के अधिकार में जाता था और उनसे संबंधित बातें मामूली होती थीं, उनका कलेक्टर से सम्बन्ध नहीं होता था। अब यदि इस तरह की व्यवस्था आवे तो नतीजा यह होगा कि उसमें बडी कठिनाइयां आवेंगीं। मुझे अनुभव है कि जब इस तरह की व्यवस्था थी तब लैंड रेकार्ड्स ऑफिसर थे। यदि कोई पटवारी काम नहीं करता तो उसको हटाने का अधिकार एस. डी. ओ. या कलेक्टर को नहीं था बल्कि लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर को होता था और उसके बाद डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के पास जाता था। अब लैंड रेकॉर्ड्स का जहां तक ताल्लुक है इस बिल में लिखा है कि वहां कलेक्टर का ताल्लुक नहीं है, डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का ताल्लुक है। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इन सब बातों से शासन के सम्बन्ध में कठिनाइयां बड़ेंगीं। इसमें खर्चा बढ़ेगा और कोई हित नहीं होगा। सरकार के दिमाग में कुछ आदमियों को नौकरियां देने का है और खास तौर से उच्च ओहदों की नौकरियां देने का हुआ तो सरकार को इस प्रकार की छूट हो जायगी कि वह अपने व्यक्तियों को लगा देगी।

शायद मन्त्री महोदय उत्तर देते समय दलील देंगे कि मुमकिन है सरकार डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड का अधिकार कमिश्नर्स को दे सकती है और शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि यहां 'शेल' शब्द है। दूसरे सरकार की आज तक की नीति को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार ने आज तक शासन में सुव्यवस्था लाने की दृष्टि से इस तरह की जगहें क्रियेट नहीं की हैं, सरकार ने अधिक यही देखा है कि अपने आदमीयों को जगहों पर लगा सकती है, यह मौका है कि जब तक पॉवर हाथ में है तब तक अपने व्यक्तियों को, अपने आदमियों को काम पर लगावे। अपने आदमियों को काम पर लगाने की दृष्टि से सरकार की ओर से कोई काम किया जाता है वहां न सिर्फ डाइरेक्टर लैंड रेकार्ड बल्कि डिप्टी डायरेक्टर लैंड रेकार्ड भी, मौका आयेगा तो नया पद क्रियेट करके बनाया जायगा। और इस तरह राजस्थान सरकार पर एक लाख, डेढ़ लाख रूपया प्रतिवर्ष का भार पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जनता पर यह बोझा पड़ेगा, वह यहां की जनता पर बोझा होगा और इसकी पूर्ति कर से होगी और जनता पर कर बढ़ेंगे।

तो मैं राजस्व मंत्री से, जो कि कानून के पंडित हैं, बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि कानून के पंडित होते हुए भी ऐसी बात न करें जो कि वास्तविकता से परे हो, आर्ग्यूमेंट्स दिये जांय वे पूरे सोच-विचार के बाद दिये जॉय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह(दांता रामगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी संशोधन इस प्रकार का था कि क्लॉज़ ४४ को डिलीट कर दिया जाय, पर चूंकि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर दिया है अतः मैं उनके संशोधन का समर्थन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जिस समय रेवेन्यु बोर्ड के विषय में चर्चा हुई, कमिश्नर्स के विषय में चर्चा हुई तो सब ने कमिश्नर्स के विषय में संदेह प्रकट किया कि इनके पास क्या काम होगा और सरकार की ओर से जो आश्वसन मिला वह केवल यह था कि अभी तक कलेक्टर्स के ऊपर सुपरविजन की आवश्यकता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में कोओर्डिनेशन का काम बाकी है, सरप्लस ओफीसर्स के इन्टिग्रेशन का काम बाकी है इसलिये कमिश्नर्स की आवश्यकता है और इस कारण कमिश्नर्स के पद को बनाये रखने वाला क्लॉज़ सदन ने अभी स्वीकार किया है।

दूसरा क्लॉज़ आया तो मुझे भय लगा कि जो कानून बनने जा रहा हैं जिससे काश्तकारों और सरकार के सम्बन्ध बनाये रखने हैं और जिसको इसे सरकार और काश्तकारों के सम्बन्ध बनाये रखने वाला कानून कहा जाता है, इसे आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह सरकार और काश्तकारों के सम्बन्ध बनाये रखने वाला कानून है या नये नये महकमे खोलने वाला कानून है। नये महकमे खोलने का सदन में विरोध किया गया है। यह क्लॉज़ भी सरकार और काश्तकारों के सम्बन्ध बनाये रखने वाला क्लॉज़ नहीं है, यह काश्तकारों के सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखने की व्यवस्था करने वाला नहीं बल्कि नये महकमें खोलने वाला है।

डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड की पोस्ट पहले भी थी ओर जहां तक मुझे याद है, लाला छैल विहारी लाल उसके अन्तिम डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स (Recrds) थे। सरकार ने उस पद के लिये यह आवश्यक समझा कि यह काम वह तहसीलों, डिस्ट्रिक्ट्स-और कमिश्नर्स के द्वारा करा सकती हैं इसलिये इस पद को रखना आवश्यक नहीं। या तो यह हो सकता है कि सरकार लाला छैलबिहारी लालजी को हटाना चाहती थी और चूंकि उनको इस विषय का काफी ज्ञान था इसलिये अगर सरकार उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रखती तो यह चर्चा होती कि एक एक्सपीरियेंस्ड् आदमी की जगह दूसरे अयोग्य व्यक्ति को लिया गया है। यदि इस भावना से उस पोस्ट को उस समय खत्म किया तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, पर उत्तर देते हुए सरकार की ओर से यह उत्तर मिलेगा कि उस भावना के अन्तर्गत तो नहीं पर उस समय सरकार ने इसे आवश्यक समझा था कि यह पद अनावश्यक है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ३ वर्ष पहले जिस बात को अनावश्यक समझते हैं उसको अब आवश्यक समझने लग गये, यह बात समझ में नहीं आती। यह हो सकता है कि पहले एक्सपीरियेंस न होने के कारण उसे अनावश्यक समझा और अब एक्सपीरियेंस होने के कारण आवश्यक समझा है।

डायरेक्टर of लैंड रेकॉर्ड का क्या अधिकार क्षेत्र रहेगा, उसका क्या काम होगा इन चीजों का इस कानून में समावेश नहीं किया; इससे स्पष्ट झलक आती है कि डारेक्टर लैंड

Page No.60

(श्री भैंरूसिंह]

रेकॉर्ड के पास कोई काम नहीं रहेगा और अगर डायरेक्टर लैंड रेकॉर्ड के पास काम नहीं रहेगा तो इस सम्बन्ध का कमिश्नर्स के पास कोई काम नहीं रहेगा, कमिश्नर्स के पास नहीं रहेगा तो कलेक्टर्स के पास कोई काम नहीं रहेगा।

इस महकमें के काम की शुरुआत गांव से होती है। इस सदन में पंचायत का कानून पास किया है और उसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया है कि पटवारी पंचायतों के सब्ओर्डिनेट रहेंगे।

पटवारियों की तहसीलदारों के अन्डर में भी दिया गया है और डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकार्ड के हाथ में भी पटवारियों पर कन्ट्रोल करने का अधिकार दिया गया है।

तो एक तरफ तो पंचायतों के हाथ में पटवरियों पर कन्ट्रोल करने का अधिकार दिया गया, दूसरी ओर तहसीलदारों के हाथ में पटवारियों का कन्ट्रोल दिया गया है और तीसरी तरफ डायरेक्टर ओफ लैंड रेकॉर्ड्स के हाथ में यह कन्ट्रोल सौंपा गया है इससे सरकार के महकमों में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा या आपस में झगड़ा बढ़ेगा, यह देखना है।

तहसीलदार पटवारी को यह आदेश देता है कि तुम अमुक प्रकार से लैंड रेकार्ड तैयार करो और पंचायतें उन्हें किसी और प्रकार से लैंड रेकार्ड तैयार करने का आदेश देती हैं और फिर डायरेक्टर लैंड रेकॉर्ड पटवारियों को किसी और ही प्रकार का लैंड रेकॉर्ड तैयार करने का हुक्म देते हैं; तो क्या तीन प्रकार का लैंड रेकॉर्ड तैयार किया जायगा ? यह कोओर्डिनेशन हुआ कि आपस में महकमों महकमों में लड़ाई है।

कोओर्डिनेशन तो यह है कि एक दूसरे से मिल कर काम करें और इस मेल-जोल के जरिये सरकार का काम ठीक ढंग से हो।

इससे तो गांवो में लड़ाई होगी, तहसीलदार और पटवारी में लड़ाई होगी, पंचायतों और डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड में लड़ाई होगी। पटवारी और पंचायतों का आपस में बहुत संबन्ध है। लेकिन पटवारी के संबन्ध में हमने पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिये है। हमने दूसरों को अधिकार दिये हैं। हमने जो कानून बनाये हैं उसके अनुसार विलेज सरवेन्ट्स और पटेल भी होंगे। पटवारी आदि तहसीलदार के नीचे काम करेंगे मगर उनको एपोइन्ट करेगा कौन ? डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड Records तहसीलदार को केवल विलेज सरवेन्ट्स को रखने का पॉवर होगा। काम वे करेंगे, (पटवारी) तहसीदार के नीचे मगर उनका एपोइन्टमेंट दूसरे अधिकारी करेंगे। जो अधिकारी एपोइन्ट कर सकता है वही सजा भी दे सकता है। अतः सजा देने का अधिकार तहसीदार को नहीं होगा। भला काम करेंगे जिस अधिकारी के नीचे और गलती करेंगे तो यदि उस अधिकारी को सजा देने का अधिकार नहीं होता है तो फिर किस की परवाह करेंगे

[श्री भैंरूंसिंह]

मान लीजिये कि पटवारी और तहसीदार के आपस में अन-बन हो गई या झगड़ा हो गया और वह उसके हुक्म का पालन नहीं करता है, तो तहसीलदार को तो उसको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। उसको तो पटवरी को सजा देने के लिये शिकायत डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्डस के पास करनी ही होगी और पटवारी अपना उस तरह काम करता रहेगा। इससे आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और कोओर्डीनेशन के न होने से कोई काम अच्छी तरह से न होगा और न जनता की भलाई होगी।

हमें अभी तक गांवों की व्यवस्था को बदलनी है। मगर जिस तरह से आज भी शासन की स्थिति है उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि किसी तरह से यह शासन सफल हो सकता है ? ऐसी व्यवस्था की जावे कि पटवारी और विलेज सरवेन्ट दोनों एक ही अधिकारी के मातहत होने चाहिये ताकि किसी तरह का झगड़ा न हो। अगर पटवारी और विलेज सरवेन्ट में झगडा होता है तो भी लोगों को नुकसान होता है और शासन को चलाने में अड़चन होती है। पटवारी जो डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्डस के अन्दर में होता है उसका काम क्या होता है ? उसका काम लगान वसूल करना होता है और यह देखना होता है कि किसान ने कितनी खेती की है और किस किस अनाज की की है। कितना मोठ बोया है और किसने कितना बाजार व मक्का आदि बोया है ? पैदावार कितनी होने वाली है ? यह सब काम जो गांव के मुत्तल्लिक जमीन से संबन्ध रखते हैं; उसके जितने भी मामले होते हैं उस सब का रेकॉर्ड रखने का काम पटवारी का होता है। इसी रेकॉर्ड को हम लैंन्ड रेकॉर्ड कहते हैं। यह सब काम किसके हाथ में है ? यह सारा का सारा काम पटवारी के हाथ में हैं और पटवारी के काम का कौन निरीक्षण करेगा, उसके काम को तहसील में ओफिस कानूनगो निरीक्षण करेंगे। उस कानूनगो को एपोइन्ट कोन करेगा ? उसको भी डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड करेगा। वह काम करेगा तहसीलदार के नीचे, मगर एपोइन्टमेंट करने वाले दूसरे अधिकारी होंगे। जो एपोइन्टमेंट कर सकता है कानूनन वही सजा दे सकता है, दूसरा नहीं। अगर पटवारी और कानूनगो कोई गलती करेंगे तो तहसीलदार तो उनको सजा दे ही नहीं सकता उसको तो उन्हें सजा दिलाने के लिये थ्रू प्रोपर चेनल शिकायत करनी होगी और एस. डी. एम., कलेक्टर व कमिश्नर के मारफत कागज भेजना होगा। इसमें महीना पन्द्रह दिन लग जावेंगे। तब तक तो वह बे-लगाम ऑफिसर की तरह काम करता या करते रहेंगे। इससे काम में बहुत नुकसान होगा। चूंकि हमको लैंड रेकॉर्ड तैयार कराना है और वह काम पटवारी का है, उसको करना होगा। मगर फिर भी हमने उस पटवारी के भरोसे पर सारे गांव का काम छोड़ दिया तो मुश्किल होगी। इसके अलवा पंचायतों को सब मालूम रहता है कि कौन सी साख तैयार हो गई हैं या कहां की साख तैयार नहीं हुई है। अगर पटवारी को ग्राम पंचायतों के आधीन रख दिया जाता है तो वह किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकेगा क्योंकि वे लोग मालूम कर लेंगे आसानी से कि कितनी फसल हुई हैं, किसने कितनी जमीन काश्त की है, कौन से खेत में क्या बोया गया है। यह सब पंचायतों को आसानी से मालूम हो सकता है और जब पंचायतों को मालूम रहता है तो पटवारी किसी प्रकार की रेकॉर्ड में गड़बड़ी नहीं कर सकेगा। अगर पंचायतों के आधीन पटवारी को

[श्री भैंरूसिंह]

नहीं रखेंगे तो यह मालूम नहीं कर सकेंगे कि किसने कितनी जमीन काश्त की और पटवारी ने जो कुछ लिखा है वह ठीक ही है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसका उत्तर राजस्व मंत्री यह देंगे कि रेकॉर्ड का वेरीफिकेशन होता है। मगर जब एक तरफ आप यह कहते हो कि काश्तकार भोले होते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं रहता कि पटवारी ने क्या लिखा है तो फिर वेरीफिकेशन कैसे हो सकता है? इसके अलावा दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि ये लोग गरीब हैं। जब ये लोग भोले और गरीब हैं तो क्या इनके भोलेपन और गरीबी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाले? इसके लिये पंचायतों के आधीन रखने की बात ठीक है क्योंकि पंचायतों में कोई भी जाकर इतिला दे सकता है और जब पंचायतों में किसी की इतिला मिलती है तो वे जाकर देखेंगे कि एन्ट्रीज़ जो पटवारी ने की हैं वे सही है या गलत। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमने कर दी तो लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर हमने उनका सीधा संबन्ध डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड से रखा तो फिर वही हाल होगा जैसा मैंने अभी बताया है कि पटवारी की शिकायत तहसीलदार एस. डी. एम. को लिखेगा और एस. डी. एम. कलेक्टर को और कलेक्टर कमीश्नर को और फिर कहीं कमिश्नर डाइरेक्टर ऑफ लैंन्ड रेकॉर्ड्स को लिखेगा। तब तक पटवारी बे लगाम काम करेंगे और जैसा चाहेंगे करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष, अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होता है तो ऐसी हालत में कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होने के नाते वह डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर भी होता है, अगर वह भी किसी पटवारी को सजा देना चाहता है तो नहीं दे सकता। हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि डिस्ट्रिक्ट (District) लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर ही पटवारी का एपोइन्टमेंट करेगा, तबादला करेगा दूसरा नहीं करेगा। मगर शासन की दृष्टि से कलेक्टर को पूरा अधिकार होना चाहिये और हमें कलेक्टर को ऐसे पॉवर्स देने चाहिये जो हमने उसको नहीं देकर District लैंड रेकॉर्डस ऑफिसर को दिये हैं। इस प्रकार २३ डिस्ट्रिक्टों के २३ ऐसे अधिकारी होंगे और जहां डाइरेक्टर होंगे वहां पर अवश्य ही डिप्टी डाइरेक्टर होंगे और इसके अलावा दूसरा स्टाफ भी होगा ही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर माननीय राजस्व मंत्री को विचार करना चाहिये और मैं समझता हूँ कि राजस्व मंत्री यह कहेंगे कि उन्होंने कमिश्नरों के साथ कोओपरेशन के लिये यह रखा है; तो मैं यह कहूँगा कि यह कोऑर्डीनेशन के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है और इसके जरिये वे इस प्रकार के अपने आदमियों को घुसाना चाहते हैं और जिससे किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष, इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि जिन पदों को पहले समाप्त किया गया है उनको फिर से क्यों कायम किया जा रहा है? मैं अच्छी तरह कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जब गेडगिल कमिशन की रिपोर्ट हुई थी उसके अनुसार खर्चा कम किया जाने के लिये गवर्नमेंट officers को एग्जामिन किया गया था और उसके बाद ऐसा पता लगा है कि सब की राय हुई कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स की पोस्ट हटा दी जावे। मुझे वह रिपोर्ट मिली नहीं। उम्मीद है, माननीय राजस्व मंत्री उत्तर देंगे उसके बाद जवाब दूंगा, तब तक मिल जाएगी। मगर मैं यह कहूँगा कि वह

[श्री भैंरूसिंह]

रिपोर्ट जो फाइनेन्स Commission को पेश हुई है उसके खिलाफ तो नहीं होना चाहिये । जब उस कमेटी ने इस पोस्ट को नहीं रखा है तो फिर क्यों रखी जा रही है ? शासन की सुविधा की दृष्टि से व खर्च की दृष्टि से डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स की पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहती इसलिये इस पोस्ट को बिल्कुल नहीं रखना चाहिये ।

लगान वसूल करने के लिये पटवारियों को पंचायतों के आधीन देना होगा और लगान वसूल करने का अधिकार पंचायतों को देना होगा । गवर्नमेंट चाहे तो दे, इसके लिये मैं यह कहूँगा कि गवर्नमेंट को वाध्य किया जावेगा कि लगान वसूल करने के अधिकार पंचायतों को दे । जब ऐसा होगा तब उसके (पटवारी) के रेकॉर्ड की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी । एक मामूली ४० रुपये पाने वाले पर सारे गांव के शासन की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है । आज माननीय राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि हम इस बात को सोच रहे हैं कि यह अधिकार पंचायतों को देना चाहिये या नहीं। आज पंचायतों में आर्थिक संकट है और इस कारण से वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं, लोग टेक्स नहीं दे रहे हैं । अगर लगान पंचायतों के मारफत वसूल होने लगे तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जावेगी । अगर सरकार ने लगान वसूल करने की बात पंचायतों के मारफत, मंजूरी नहीं की तो सरकार को मजबूर किया जावेगा, इसको मंजूर करने के लिये ।

लेकिन इस परिस्थिति में जब हम यह सोचते है कि पंचायतों को अधिकार देने पड़ेंगे और जब पंचायतों को अधिकार देने पड़ेंगे तो पंचायत ही लगान वसूल करेंगी और जब उनको इस प्रकार के लगान वसूल करने के अधिकार देने पडेंगे तो सारी जमीनों के बारे में जो नकशा है वह अपने आप से ठीक हो जायगा, उनके अधिकारों को मान लेने से ठीक हो जायगा और उसके बाद पटवारी के कार्य में भी सुधार हो जावेगा और उस हालत में डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकर्ड्स की आवश्यकता भी नहीं रहेगी । कलेक्टर तो लगान वसूल करने वाला होता नहीं है, लगान तो वसूल करते हैं उसके मातहत लेकिन फिर भी उसका कन्ट्रोल माना गया है । उसी प्रकार से जो उसके मातहत पंचायतें हैं वे ही लगान वसूल करेंगीं । यहां कलेक्टर का नाम रखा गया है, लेकिन उसके पास कई काम हैं, वह सीधा collect नहीं कर सकता, लेकिन केवल नाम ही रखा जाता है जिसके लिए मेरा संशोधन है जो बाद में रखूंगा । (अश्रव्य) कलेक्टर के पास सिवाय कंट्रोल करने के और कोई कार्य नहीं होगा । वैसे तो उसको तहसील कंट्रोल करेगी, एस. डी. एम. कंट्रोल करेगा और कलेक्टर उसके बाद अपने आप करता रहेगा । अगर सरकार के ऊपर पिछले दो सालों में कोई आफत आ गई हो डाइरेक्टर लैंन्ड रेकॉर्ड्स का ऑफिस नहीं होने से अथवा कोई घोटाला हो गया हो, तो मैं नहीं समझता । जो भी घोटाला हुआ है वह इस कारण से मालूम नहीं होता किन्तु पटवारियों के ऊपर अनुचित दबाव डाले जाने से हुआ है, आजकल वर्तमान नेताओं का जो तबका निकला है उसके असर से यह होता है । वे इसका उत्तदायित्व अपने ऊपर लें । पटवारियों के ऊपर कलेक्टर का कन्ट्रोल नहीं था इस वजह से यह सब हुआ किन्तु यह चीज वास्तव में नहीं है । अगर कलेक्टर और तहसीलदार, एस. डी. एम. का कन्ट्रोल नहीं था तो मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकॉर्डस् का

[श्री भैरूसिंह]

भी पटवारियों पर कन्ट्रोल नहीं रह सकेगा, वे कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी हो वैसा जमीन का नक्शा बना लो, तुम्हारी मर्जी हो उस जमीन के पड़त बता दो, तुम्हारी मर्जी हो उस जमीन को उपजाऊ, कृषि योग्य बता दो। इन सब चीजों को सामने रखते हुए यदि हम आज कमिश्नर्स जो काम कर रहे हैं, वे बैठे मक्खियां मार रहे हैं और उसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट लैंड रेकर्ड्स का पद जो कायम किया जायगा तो वह बिलकुल बेकार होगा, खर्चा भी उसमें ज्यादा होगा, और जब खर्चा भी ज्यादा होगा तो खर्चा कम करने की दृष्टि से भी उस चीज को समाप्त किया जाना चाहिए। पटवारी अच्छी तरह से काम कर सकता है और अच्छी तरह से कन्ट्रोल रहा तो वह काम कर सकेगा ही इसमें कोई सन्देह नहीं, उसके उपर इमिडियेट ऑफिसर्स का कन्ट्रोल रहेगा, कानूनगो का रहेगा, तहसील का रहेगा, एस. डी. एम. का रहेगा और फिर कलेक्टर का रहेगा और जो इमिडियेट ऑफिसर्स हैं वे अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यह उचित समझता हूँ कि इस पद को समाप्त कर देना चाहिये।

दूसरा सवाल आता है, एक पोइन्ट और है; जिसे माननीय उपाध्यक्ष जी रखने वाले हैं सैटलमेन्ट के बारे में। सैटलमेन्ट में रेकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। उस रेकॉर्ड को पर्याप्त कह सकते हैं। नक्शे वगैरह कौन तैयार करता है. वह है सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट। वह सर्वे करके बतावेगा कि अमुक आदमी के पास अमुक गांव में इतनी जमीन है, उसमें से इतनी तो काश्त की है, अमुक जमीन पड़त है। जब सैटलमेन्ट ने रेकॉर्ड बना दिया तो क्या उस रेकॉर्ड को मैन्टेन करने के लिये आप यह उचित समझते हैं कि उसके लिए एक लैन्ड रेकॉर्ड्स ऑफिस मुकर्रर किया जाय, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अनुचित है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल रेकॉर्ड को मेन्टेन करने के लिए और आगे की एन्ट्रीज़ भरने के लिए यदि, माननीय उपाध्यक्षजी, एक डाइरेक्टर के ऑफिस की जरूरत हो तो यह एक सोचने का विषय है, बड़ा विचारणीय विषय है कि कैसे इसकी आवश्यकता महसूस होती है? सेटलमेन्ट करने के लिए अलग विभाग है, सर्वे की जा चुकी है, एन्ट्री हो चुकी है, उसका लगान वसूल करने के लिए दूसरा ऑफिस है; उसके लिए विलेज़ सर्वेन्ट हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, गिरदावर हैं, वे उनकी एन्ट्रीज़ करते हैं। पटवारी का सीधा सम्बन्ध किसानों से है, वह एन्ट्री करता है। लगान की वसूली करने वाले दूसरे हैं। यदि पंचायतों को ये अधिकार दे दिये गये तो पंचायतें करेंगी और कहेंगे कि वसूली लगान की कौन करती है? पंचायतें। लेकिन केवल एन्ट्रीज़ के लिए कि अमुक जमीन काश्त की हैं, अमुक जमीन बंजर है और इस प्रकार की एन्ट्रीज़ के रेकॉर्ड को मेन्टेन करने के लिए लाखों रुपयों का खर्चा करें तो यह एक शर्म की चीज़ है और सोचने की चीज़ है। काम कलेक्टर करते हैं, कलेक्टर कन्ट्रोल करते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति उन रेकॉर्डस् को मेन्टेन करते हैं, किसकी जिम्मेदारी है उस रेकॉर्ड को मेन्टेन करने को? वह जिम्मेदारी है पटवारी की, वह जिम्मेदारी है तहसील की और वे ही उसको मेन्टेन कर सकेंगे। मैं समझता हूँ क्योंकि ये आई. ए. एस. आर. ए. एस., के कलेक्टर, सरकार के रेकॉर्ड को नहीं रख सकते? उसको दीमक खा जायगी, उसको सीत लग जायगी, अगर उनको दीमक खा जायगी तो उनका कोई नुक्सान

[श्री भैंरूसिंह]

नहीं होगा, दीमक उनको नहीं खायगी जो इस जगह पर नियुक्त किये गये हैं, वह तहसीलदार से एस. डी. एम. और एस. डी एम. से कलेक्टर बना दिये जावेंगे, परन्तु दीमक खा जायगी सरकारी पैसे को जो जनता के कठोर परिश्रम से इकट्ठा किया जाता है ।

अगर केवल रेकॉर्ड को Maintain करने के लिए ही डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड्स की और उसके ऑफिस की आवश्यकता है तो मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन करूंगा कि यह कार्य तो कलेक्टर ही कर सकेंगे, वे लोग इसके लिए उचित व्यवस्था कर लेंगे और जब उचित व्यवस्था हो जाती है तो इस प्रकार के खर्चे करके जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि सदन इस बात से सहमत होगा और मैं राजस्व मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि वे पिछले दो सालों के पर्याप्त अनुभवों को अपने सामने रखते हुए मेरी बात से सहमत होकर इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री टीकाराम पालीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, काफी बहस हुई थी और बहुत से कारण भी दिये गये । कई कारणों में से अधिकांश कारणों में काफी वजन मालूम होता है; कोई कम वजनदार होगा तो कोई ज्यादा वजनदार होगा । मैं स्वयं ही कोई नई बात नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन मुझे दो कारण बहुत वजनदार मालूम होते हैं उस अमेन्डमेंट के पक्ष में । पिछले अनुभव ने यह बताया है कि लैंड रेकॉर्ड्स डिपार्टमेन्ट अलग से रखना कोई जरूरी नहीं था और उस पर जो खर्चा हो रहा था वह आवश्यक खर्चा नहीं था । इसलिये एक समय राजस्थान सरकार ने उस डिपार्टमेन्ट को खत्म किया । हमारी जैसी आर्थिक स्थिति है उसमें वास्तव में कोई अनावश्यक खर्चा कर नही सकते । यह हो सकता है कि जैसी आर्थिक स्थिति हमारी इस समय है वह आगे जाकर वैसी न रहे और कुछ ठीक हो जाय लेकिन फिर भी राज्य की आर्थिक स्थिति सोचनीय नहीं है तो वह खर्चा अधिक आवश्यक कार्यों में लगाया जा सकता है । एक तो आवश्यक खर्चे को रोकने की दृष्टि से इस डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है; मैंने पहले शायद यह समझा था कि गवर्नमेन्ट के लिए यह डिस्क्रेशनरी होगा कि डाइरेक्टर, लैंड रेकॉर्ड्स अपोइन्ट करें या नहीं । मैंने दुबारा देखा है जो कि मेन्डेटरी है । "गवर्नमेन्ट शेल अपोइन्ट"; अपोइन्ट करना आवश्यक हो जायगा और यह हम जानते हैं कि जहां हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट नियुक्त किया जाता है तो उसका पैराफरनालिया भी स्कीम के अनुसार चलते ही हैं । एक पोस्ट जब रहती है तो बहुत आवश्यक नहीं होने पर भी वह (पैराफरनालिया) रखा जाता है । पिछला अनुभव है और इसमें दो राय नही हो सकती कि अनावश्यक चीजों की जो नितान्त आवश्यक नहीं है, वे कम न करें । यह ठीक है कि ये पॉवर्स किसी दूसरे ऑफिसर्स को डेलीगेट किये जा सकते हैं । फिर भी टेम्पटेशन सामने रहता ही है कि नयी पोस्ट के लिये नये आदमी हों और यह खर्चा बढ़ जाय । खर्चे की दृष्टि से यह अमेन्डमेंट स्वीकार किया जाना चाहिये और इस क्लॉज को डिलीट करना आवश्यक है ।

इससे भी ज्यादा दूसरा कारण है जो वेग मालूम होता है । वह यह है कि दोनों डिपार्टमेंट के अलग रहने से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स वगैरह और उनके साथ साथ

[श्री टीकाराम पालीवाल]

डाइरेक्टर लैंड रेकॉर्ड्स का अलग डिपार्टमेन्ट होने से निश्चित रूप से प्रशासनिक दिक्कतें होंगी।

ये दिक्कतें हमें पिछले अनुभव से हुई हैं। कई बार बड़ी एम्बेरेसिंह पोज़ीशन क्रिएट हो जाती है। पटवारी जो होता है उस पर अपने ऑफिसर का कन्ट्रोल होता है। जब कोई कमिश्नर या कलेक्टर कुछ चाहता है और स्थानीय अधिकारी उसे अनावश्यक समझता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह तो दूसरे अफसर के मातहत है।

पिछले दिनों मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, किस मामले में क्या हुआ किन्तु ऐसे कई मामले थे जिनमें इस विचार धारा से सरकार के सामने कठिनाई आई। कई बार एम्बेरेसिंग पोजीशन हो गई। नतीजा इससे यह होता है कि कन्ट्रोल ढीला पड़ जाता है जब कि काम एफीशियेन्सी से होना चाहिये, जो नहीं हो सकता।

अत: इस पर ज्यादा वाद-विवाद में न पड़कर मैं गवर्नमेंट को सलाह दूंगा, अगर उनके जचे तो, कि इस चीज पर दुबारा सोचें। इस महकमे को न रखा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री तेजमल बापना—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल की क्लॉज़ २४ पर परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देखना यह है कि यह लैंन्ड रेवेन्यू बिल जब कि सदन के सामने चल रहा है, इस पर वाद-विवाद हो रहा है तो विशेष रूप से हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसका सम्बन्ध सीधा किसान वर्ग से हैं। इसलिये हमें यह देखना चाहिये कि हम इसमें ज्यादा पेचीदगी और प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाई पैदा न करें क्योंकि पहले से ही किसान वर्ग को कठिनाई और दिक्कतें बहुत हैं।

इसलिये हमें चाहिये कि किसान वर्ग को कम दिक्कतें हों। आज भी जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी लैंन्ड रेकॉर्डस विभाग काम कर रहे हैं फिर भी जो आज अलग अलग किसानों के सम्बन्धी विभाग है उनसे भी किसानों को बड़ी कठिनाई होती है। किसानों का ज्यादातर सम्बन्ध अपने खेत से होता है। इस सम्बन्ध में उनका बहुत ज्यादा काम पटवारियों, तहसीलदार, एस० डी० ओ० और कलेक्टर वगैरह से होता है। पहली धारा २० के अन्दर भी जब कमिश्नर का जिक्र आया उस समय भी सदन में और सिलेक्ट कमेटी में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा चली है और उसमें सदस्यों के इस प्रकार के विचार आये थे कि आया कमिश्नर्स की पोस्ट कायम रहनी चाहिये या नहीं। लेकिन चूंकि अभी कुछ कठिनाईयों की वजह से पूरा इन्टीग्रेशन नहीं होने की वजह से कमिश्नर्स और डिवीजन्स का कायम रखना जरूरी समझा गया है। लेकिन जहां तक लैंन्ड रेकॉर्ड्स के विभाग के रखने का ताल्लुक है इसके डाइरेक्टर को रखना कतई मैं जरूरी नहीं समझता। इसके लिये कई सदस्यों ने यह बताया कि कमिश्नर्स के पास कोई काम नहीं, कलेक्टर्स इस काम को आसानी-

[श्री तेजमल आपना]

से कर सकते हैं। यह कहना तो उचित नहीं होगा कि कलेक्टर्स के पास ज्यादा काम नहीं है क्यों कि उनके पास भी पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है, रेवेन्यू के केसेज़ होते है, अपीलों का व इब्तदाई काम हैं। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड रेकॉर्ड विभाग को अलग न कायम किया जाकर जहां कमिश्नरियां हैं, वहां कमिश्नर्स के अन्तर्गत और जहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां कलेक्टर के अन्तर्गत और तहसीलों का तहसीलदारों के अन्तर्गत वहां के क्लर्कस या अफसरों को सौंप दिया जाय ताकि जन साधारण को और किसान वर्ग को सहूलियत हो सके। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। आशा है इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मंत्रीजी करेंगे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, चर्चा सदन में क्लॉज़ २४ पर चल रही है उसके डिलीशन के मुतल्लिक। इससे मेरे संशोधन को पेश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर क्लॉज़ २४ को डिलीट करने का संशोधन माननीय मंत्रीजी मन्जूर कर लेते हैं तो मेरा अमेंडमेंट मूव करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये निवेदन यह है कि पहले इस पर डिसीज़न ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—आप अपना अमेंडमेंट तो मूव कर दीजिये।

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा अमेंडमेंट है। यह क्लॉज़ इस तरह से है, "The state Government shall appoint for the whole of the State a Director of Land Records and may appoint as many Additional and Assistant Directors of Land Records as it may consider necessary."

इस क्लॉज़ में असिस्टेंट डाइरेक्टर लेन्ड रेकॉर्ड्स का प्रोवीजन किया गया है। इसके साथ अगर हम क्लॉज़ २६ को देखते हैं तो उसमें सबोर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एन्ड ऑफिसर्स और उसके सब क्लॉज़ (७) को देखिये जिसमें लिखा है "All Additional Directors of Land Records, Collectors, Additional Collectors, Land Record Officers, etc. etc."

इस सब क्लॉज़ में एडीशनल डाइरेक्टर के सबोर्डिनेशन के लिये लिख दिया गया है, वे सबोर्डिनेट होंगे डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकर्ड्स के।

अब देखना यह है कि असिस्टेंट डाइरेक्टर लेन्ड रेकर्डस की वहां पोजीशन क्या होगी। एक पोस्ट क्रिएट तो की जाय लेकिन यह उल्लेख नहीं किया कि वह किसका सबोर्डिनेट होगा?

इसी तरह से क्लॉज़ ३० को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें पॉवर्स एन्ड ड्युटिज़ ऑफ कोर्ट्स एन्ड ऑफिसर्स का उल्लेख हैं। इसके सब क्लॉज़ (६) में आप देखेंगे तो उसमें यह है...

[श्री वेदपाल त्यागी]

...' An Additional Commissioner or an Additionl Settlement Commissioner or an Additional Director of Land Records or an Additional Collector or an Additional Tehsildar" so on and so forth...

इसमें भी इसके क्या पॉवर्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी; असिस्टेंट डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकर्ड्स का नाम नहीं है। यह पोस्ट तो आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया है कि इस पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, क्या ड्यूटिज़ होंगी और यह किसके मातहत होगा। अगर आप इस क्लॉज़ में इन शब्दों को रखना ही मुनासिब समझते हैं तो ये शब्द बढ़ाये जांय उन धाराओं में जो कि मैंने अपने अमेन्डमेन्ट में रखे हैं।

इस क्लॉज़ के डिलीशन करने के सिलसिले में मुझे केवल यही अर्ज करना है। मैं अनुभव से यह बतलाता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकर्ड के लिए सेपरेट (Separate) एस्टेब्लिश-मेन्ट होना कोई जरुरी बात नहीं। इससे प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी कठिनाइयां होती हैं जिनको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। मैं उस वक्त की हालात जानता हूँ जब कि डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकर्ड्स का अलग ऑफिस था। उस वक्त ऐसे मौके आये हैं जहां पटवारियों ने तहसीलदार का कहना नहीं माना, नाजिम का कहना नहीं माना। उस समय तहसीलदार और नाजिम लाचार थे। उसके खिलाफ भी बोल नहीं सकते थे क्योंकि वह लेन्ड रेकर्ड डाइरेक्टर के अधीन होते थे। उनको यदि किसी पटवारी के खिलाफ शिकायत होती तो डाइरेक्टर लेन्ड रेकर्ड्स से उनको कहना पड़ता था। तहसील में जब तहसीलदार इमिजिएट प्रशासनिक अधिकारी है तो उसका कहना मानना चाहिये लेकिन वे पटवारी के खिलाफ कुछ भी करने में हेल्पलेस थे। उनको उसके लिए आगे लिखना पड़ता था कि चाहे तो पटवारी काम करे या न करे, इसीलिये यह ऑफिस तोड़ दिया गया। लेकिन अभी तक इस पोस्ट का काम चेयरमेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के पास है। यह मैं मानता हूँ कि सरवे के सिलसिले में, सेटलमेन्ट के सिलसिले में रेकर्ड्स का रहना जरुरी है और जब रेकर्ड्स का रहना जरुरी है तो उसके लिये ऑफिसर इनचार्ज का होना जरुरी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस धारा में जहां shall शब्द लिखा गया है वहां 'में' वार्ड होता तो यह मेल खा जाता धारा ३१ से। मेल खाने के के बाद यह चीज ठीक हो जाती। धारा २४ का जहां तक मैं मतलब समझा हूँ, इसका मतलब सेपरेट ऑफिस होगा डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकर्ड्स का।

क्लॉज ३१ में कुछ पावर्स दिये हैं:--

" The state Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, confer......"

इसमें (एच) है :

[श्री वेदपाल त्यागी]

" On the settlement Commissioner, all or any of the powers of the Director of Land Records."

इसी तरह (जी) भी हैं

" On a commissioner, all or any of the powers of the settlement commissioner or the Director of Land Records, and"

इस क्लॉज़ ३१ का जहां तक मैं मतलब समझता हूं वह यह है डाईरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकार्ड्स की पॉवर्स उसको दी जा सकती हैं। यह अपनी ड्यूटी के साथ साथ वह ड्यूटी भी अन्जाम करे। एक सब डिविज़नल ऑफिसर को लैंड रेकार्ड ऑफिसर, सेटलमेन्ट आफिसर या क्लेक्टर के पॉवर्स दिये जा सकते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि लेंड रिकॉर्ड ऑफिसर न हों, सेटलमेंन्ट आफिसर न हों या क्लेक्टर न हो। इसी तरह एक क्लेक्टर को लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर या सेटलमेन्ट ऑफिसर की 'पॉवर्स' कन्फर की जाती है' तो इसका मतलब यह नहीं कि क्लेक्टर हो, लेण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेन्ट ऑफिसर न हों। यह तो ऐसा है कि इन एडिश्नल हिज ड्यूटी वह यह भी काम कर सकता है।

यह "शैल" शब्द जो है यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकॉर्ड्स हो ही हो। अगर काम ज्यादा है तो कमिश्नर को दें दो, सेटलमेन्ट कमिश्नर को दे दो।

इसलिये अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकॉर्ड के लिए क्लॉज़ २४ में शब्द "शैल" को हटाकर, 'में' शब्द कर दिया जाना चाहिये, वरना क्लॉज़ ३१ में फिर यह बहस की जायगी कि हमारा तो अलग आदमी इस ऑफिस में नहीं है और डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकॉर्ड्स आज भी है। इस प्रकार की बात कहें तो चलेगा नहीं, 'मे' शब्द से चलेगा। क्लेक्टर होता है, इसी तरह सेटलमेंन्ट कमिश्नर होता है। तो सेटलमेन्ट कमिश्नर और डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकॉर्ड्स दोनों एक में कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ लेण्ड रेकॉर्ड्स को ज्यादा काम है, ऐसी बात नहीं। काम के लिहाज से और जब तक सेटलमेन्ट चलता है तब तक एन्ट्री वगैरह सेटलमेंन्ट के यहां से होती है। जब सेटलमेन्ट खतम हो जाता है उसके बाद जितना भी काम होता है वह सब डिवीज़नल ऑफिसर से होता है। इसलिये अगर उसको न रक्खा जावे तो उससे एक सुविधा होगी और वह यह जैसा कि आम तौर से ऐसा ख्याल है कि यह नया ऑफिस इसलिये क्रियेट किया जा रहा है कि बहुत से आदमियों को इसमें अपोइन्टमेन्ट मिल जावेगा। तो वह भावना ही इसकी खतम हो जावेगी, अगर ऐसा हुआ तो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करताहूं और आशा करता हूं कि आप यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लेंगे।

श्री मानसिंह मद्दार—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ के बारे में मुझे विशेष बात कहने की आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन परबतसर से आये हुए सदस्य ने और दातां रामगढ़ से आये आये हुए सदस्य ने जो डिलीट करने की बात कही वह तो बहुत उत्तम थी, लेकिन हमारे नादोती से आये मित्र ने उसमें कुछ वेगनैस पैदा कर दी इसलिये यह आवश्यक समझा मैंने कि इस बात को माननीय मन्त्री के सामने आपके ज़रिये, माननीय उपाध्यक्षजी, क्लेरिफ़ाई कर दूं ताकि उनके दिमाग में किसी प्रकार की वेगनैस न रह जावे।

(हंसी)

मेरी राय में डाइरेक्टर ऑफ़ लैण्ड रेकॉर्ड का पद राजस्थान में एक सुपरफ़्लुअस पद होगा। सरकार के लिये आज के युग में जब हम चारों तरफ़ से रिट्रैन्चमेन्ट के बारे में सोच रहें हैं, खर्चा कम करने के लिये सोच रहे हैं तो इस जमाने में इस प्रकार के नये नये पदों को आविष्कार करना कोई उचित बात नहीं होगी। मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार भी इस समय घाटे में जा रही है और घाटे में जाने के अलावा, आगे जाकर जब साल दो साल में इस राज्य में शराब बंदी हो जावेगी तो वह घाटा और भी अधिक हो जावेगा, उसी सूरत में अगर हम इस प्रकार के नये नये पदों का आविष्कार करेंगे और राजस्थान की जनता पर वह बोझा लादने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत ही खतरनाक चीज होगी।

यहां डाइरेक्टर ऑफ़ लैण्ड रेकॉर्ड्स के पॉवर की जो बात है वह इस समय बहुत ही साफ़ है। इस प्रकार के पॉवर्स रेवेन्यु कमिश्नर और कलेक्टर को दिये हुए हैं और वे यह सारा काम सुचारू ढंग से चला रहे हैं।

एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर भी राजस्थान में डाइरेक्टर ऑफ़ लैण्ड रेकॉर्ड्स का दफ़तर अलग करने की और उसको चलाने की बात सोची जाती लेकिन ऐसा एक्सपेरीमेन्ट पहले भी किया जा चुका है और वह एक्सपेरीमेन्ट बिलकुल फेल हो चुका है। उस एक्सपेरीमेन्ट के फेल हो जाने के बाद इस राजस्थान के लैण्ड रेवेन्यू बिल के अन्दर इस प्रकार की बात को समावेश करना और सरकार को यह अधिकार देना कि अगर सरकार जरूरत समझे तो डाइरेक्टर ऑफ़ लैण्ड रेकार्ड ही नहीं बल्कि डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स भी अपोइन्ट कर दे, इस बात को हम उचित नहीं मानते। हमी मानते हैं कि यह प्रोविजो ऐसा है कि सरकार अगर चाहे तो करे। पर हम यह कहते हैं कि क्यों इसमें ऐसी गुंजाइश ही रक्खी जाय। सरकार ने किया और करने के बाद रद्द कर दिया, ऐसी बात क्यों रक्खी जाय? एक बार पहले जब डाइरेक्टर ऑफ़ लैण्ड रेकार्ड का पद यहां रक्खा गया था तो उस पद को खतम कर दिया था सरकार ने। उसने यह महसूस किया कि यह एडीशनल रेड टेपिज़्म रखने की जरूरत नहीं। पर फिर दुबारा यह प्रोविज़न रक्खा जावे, यह विचित्र बात लगती है। हमारे मन्त्री महोदय तो बड़े एडवान्स्ड हैं इस मामले में। वे स्वयं रेड टेपिज़्म को बर्दाश्त नहीं करते। हर काम को बहुत जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं और उनका खुद का यह तजुर्बा है कि रेड टैपिज़्म से कितनी दिक्कतें होती हैं; तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सीधा सम्पर्क स्थापित करना वे चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह चीज जो उसमें आई है वह नाकाबिल चीज है। लेकिन अब खैर, कोई किसी को

[श्री मानसिंह महार]

गलती से या नीचे वाले ड्राफ्ट्स-मैन की गलती से यह चीज आ गई है तो हमारे काबिल मन्त्री ऐसी नाकाबिल चीज को करेंगे, यह मेरी कल्पना में नहीं आ सकती। क्योंकि नाकाबिल चीज को काबिल आदमी पसन्द अगर करने लगें तो उन पर यह आक्षेप हो सकता है कि कहीं वे तो नाकाबिल नहीं हैं। ऐसा आक्षेप सुनने के लिए मैं मन्त्रीजी महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि वे हम लोगों को कुछ कहने की गुंजाइश का मौका ही न दें। जिस प्रकार हमारे हिन्डौन से आने वाले सदस्य इतनी मैच्योर राय के हो सकते हैं, जिनका काफी पास्ट एक्सपीरियेन्स है, उनको तो तपाक से उठकर कह देना चाहिये था कि अच्छा हम यह धारा उठा रहे हैं। अगर वे ऐसा कह देते तो हमें यहां कुछ कहने की गुजाइश नहीं होती। पर फिर भी हम यह मानते हैं कि जिस प्रकार पत्थर पर भी रस्सी की बार बार की रगड़ से घिसन आ जाती है तो उसी प्रकार हम लोगों की जबान को घिसते घिसते हमारे मन्त्री महोदय को अगर बार बार यह बात कही जावेगी तो वे अवश्य उसे मानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह तो एक बहुत उचित बात है। इसके लिए तो आपको कहना ही क्या है? इसके लिए तो कहना केवल यह है कि माननीय मन्त्रीजी उन उलझनों में न पड़ें और वे यह समझें कि अगर वे किसी सद्नीयत से भी करेंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकेगा, इसका दुरुपयोग उनके सबोर्डिनेट उनसे करा लेंगे, उनको भुलावे में डालकर वे उनसे करा लेंगे। अगर इन सेक्रेटरियों को या रेवेन्यू सेक्रेटरी को या और किसी अधिकारी को अपने पिट्ठू को इस प्रकार का पद देना होगा या दिलवाना होगा तो वे उनके हाथों से करा लेंगे। तो हमारे मन्त्रीजी जब हमारी स्थिति में थे तो यह कहते थे कि राजस्थान में तो मनुष्यों के लिए पद दिया जाता है, पदों के लिए आदमी नहीं चुने जाते। यह देखा जाता है।...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य जो यह बात कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री मानसिंह महार—मन्त्री होने से पहले यह कहते थे। तब आपने एस्टीमेट कमेटी में दस्तखत किये थे। यह मैं मानता हूँ कि अब आप नहीं कहते। पर पहले अक्सर हमारे साथ हंसी-मजाक में कहा करते थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब इस प्रकार का मौका न आवे, ऐसी बात सोचकर इस संशोधन के लिए तो यह करेंगे कि, जो संशोधन परबतसर से आये सदस्य ने रक्खा है, वह बहुत ही उचित है और मन्त्री जी जो सलाह मशविरा करते हैं वह भी उचित नहीं है। उनको अपनी स्वयं की राय भी देनी चाहिये। अपने नीचे वालों की राय पर इतने मुनस्सर न रहें।

(घंटी)

और हम लोगों की राय को भी वेल्यु दें। यही सोचकर मैं यह कहता हूँ कि मुझे यह बात बहुत ही नागवार गुजरती है कि वे पीछे की तरफ जाकर एरिस्ट्रोक्रैट्स की राय लेते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

दो मिनिट साहब। मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति की राय-बार बार ली जाती है वह ऐसा एरिस्ट्रोक्रैट् आदमी है कि मैं .....

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री मानसिंह महार—अगर आप नाराज होते हैं मेरे कहने से तो नाराज न हों। आप तो खाली इसको डिलीट कर दें तो हम तो आपको सब कुछ मान लेंगें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं सर्वप्रथम तो यह निवेदन करूंगा कि जहां तक क्लॉज़ २४ का प्रश्न है कि डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स के ऑफिस को पैदा करें और उसके सबोर्डिनेट ऑफिशियल्स के लिए और फोर्मेशन करें वहां तक गवर्नमेंट के रूपये को बरबाद करने के बराबर वह है। ज्यादा अच्छा होता कि यहां पर इस 'शेल' की जगह 'में' वर्ड भी नहीं होता क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जो कि जमुआ रामगढ़ से तशरीफ लाये हैं उन्होंने कुछ उसके कारण कहे कि एक व्यक्ति को इन्डाइरेक्ट वे से, पिछले दरवाजे से लाने की गुंजाइश है तो इन्हीं के द्वारा हो जाता है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर जस्टिस करना ही जरूरी नहीं है बल्कि वह किया गया है, उसके प्रति विश्वास है; यह भी जनता को दिखाने की निहायत जरूरत है। जब कि आज जनतन्त्र है, जनता की सरकार की राज्यप्रणाली है इसलिए इस प्रकार से लोगों का हमारे तरीकों पर, हमारे चरित्र पर पूर्ण विश्वास हो, वे यह अनुभव करें, यह महसूस करें; इस प्रकार का उत्तरदायित्व समझें कि सब लोगों की सरकार है। जहां तक क्लॉज़ २८ का प्रश्न है बहुत सम्भव है कि एक्स्प्लेनेशन में ३१ को ठीक करने की कोशिश भी मेरे मानीय मित्र जो कि बामनियावास से तशरीफ लाये हैं उन्होंने की है लेकिन इसका उत्तर पूर्ण नहीं मिला। इसके अलावा क्लॉज़ २६ से निराकरण होने की संभावना प्रतीत होती है। क्लॉज़ २६ जो है वह यह है कि —

"Appointments ex—offfcio—Any appointment under section 22 or section 23 or section 24 or section 25 may be made by virtue of office."

लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की डिस्क्रीशनरी पॉवर्स की भी क्यों बिला वजह इस तरह के प्रोसीजर के अन्दर गुंजाइश रखने का मौका दिया जाय जब कि यह महसूस किया जा रहा है, जब कि गाडगिल कमीशन की रिपोर्ट साफ है। इसके लिए अपने अनुभव के आधार पर जो माननीय सदस्य जमुआ रामगढ़ से तशरीफ लाये है और जिन्हें कि जयपुर राज्य के माल विभाग में राजस्व संबंधी बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ अनुभव है उनके साफ शब्दों को, जब हम उनके अनुभव को देखते हैं, जनता के ऊपर जब कि इन चीज़ों को गलत मानते हैं, मूलभूत रूप में गलत मानते हैं तो मज़बूती के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तव में डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड्स का पद और स्टाफ अनुपयुक्त है, बिल्कुल गैर जरूरी है, बिल्कुल महत्व का नहीं है राजस्थान सरकार के लिए।

Page No.73

[श्री श्रीदास गोयल]

इसलिए इस क्लॉज को डिलीट कर देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति ही क्यों हो कि दूसरी क्लॉज़ बिल में इन्डाइरेक्टली लाने की गुंजाइश रखें। वह दलील जिसको कि मेरे माननीय मित्र ने जो कि जमुआ रामगढ़ से तशरीफ लाये हैं, ने बड़ी सफाई के साथ प्रकट की कि इस प्रकार की दलील को गुंजाइश नहीं देना चाहिए, इस प्रकार का चरित्र दिखाना चाहिए, इस प्रकार का स्पष्ट मत प्रकट होना चाहिए और कानून हमारे इतने क्लिअर होने चाहिए कि उसमें इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं हो। जहां कि डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकार्ड्स का पूरा काम करने के लिए सेटिलमेंट कमिश्नर या कमिश्नर्स जो अलग २ डिवीजन्स के हैं वे उनके समान हैं और वे बड़ी एफिशियन्टली पूरा कर सकते हैं, तो यह पूर्ण रूपेण सिद्ध है। इसके लिए दो राय नहीं है कि यह क्लॉज़ अवांछनीय है। डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकार्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ मैं निवेदन करूंगा एक उदाहरण के ऊपर जो मेरे खुद का अनुभव है कि एक पटवारी का तबादला हिन्डौन से क्लेक्टर सवाई माधोपुर ने कर दिया, जो वहां के बड़े अच्छे क्लेक्टर थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और उसका कारण बड़ा सही था, लेकिन ऐन केन प्रकारेण उस पटवारी ने डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड से जुगत भिडाई और ट्रान्सफर केन्सिल करवा लिया और क्लेक्टर मुंह की खाकर रह गया। एक क्लेक्टर जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, जो जिलाधीश के नाम से हिन्दी में पुकारा जाता है, उस क्लेक्टर ने एक पटवारी के मुताल्लिक, जिसके मिसकन्डक्ट की वजह से एक आदेश जारी किया था बड़ी गम्भीर बातें सुनी, लेकिन दो मिनट के अन्दर उसका तबादला केन्सिल हो जाता है; उस पटवारी का तबादला केन्सिल हो जाता है जिसको कि डिसमिस किया जाना चाहिए था।

मैं यह समझता हूं कि 'मे' और "शैल" के छिछले रास्ते से छिछेले एपोइन्टमेन्ट्स करें तो अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड्स का बड़ा अनुपयुक्त पद है। अनुपयुक्त पद तो 'मे' की वजह से क्लॉज़ २६ में और क्लॉज़ ३१ में एडीशनल पावर्स देने का प्रोवीज़न है, उससे स्पष्टीकरण होता है। उसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें पॉवर्स अथाह समुद्र की तरह हैं। उनका एप्वाइन्टमेंट भी हो सकता है और उनको एडिशनल पॉवर्स भी दिये जा सकते हैं। क्लॉज़ ३१ में साफ है, यद्यपि क्लॉज़ २६ से इसके निराकरण की संभावना है। उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में है, उसको पढ़ लें। उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। मेरे मित्र इस बारे में विचार करें कि वास्तव में डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकार्ड्स को रखना है; एक सेपेरेट पोस्ट करना है तो साफ लिखें कि वास्तविक तौर से राजस्थान जैसी सरकार के लिये उसको बढ़ाना है। अगर वे गलती मानते हैं तो फिर क्लॉज़ २६ और ३१ के अन्त में स्पष्टीकरण करना कोई मायने नहीं रखता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास--अंत में इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि कोई एमेन्डमेंट हैं, वास्तव में टेक्सेशन को बचाने के लिए संभावना हो सकती है, सरकार का रुपया बच सकता है तो उसको मानने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष, वैसे इस एमेंडमेंट के फेवर में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो राय माननीय सदस्यों ने यहां बताई है कि डिलीट कर दिया जाय इस क्लॉज़ को तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम यहीं कानून बना रहे हैं और कानून ऐसा बनाना है जिसके अन्दर किस प्रकार के रेवेन्यू के अधिकारी हों, इसकी पूरी व्यवस्था करना है। हमें यहां इस बात पर फैसला नहीं करना है कि जो अधिकारी किसी पद पर नियुक्त किया जा रहा है उसकी नियुक्ति उचित है या अनुचित है। यह फैसला करने का इस वक्त सवाल नहीं है। सवाल इस वक्त यह है कि कानून जो बनाया जाय, उसमें रेवेन्यू के अधिकारी किस प्रकार के, किस किस हैसियत के, कौन कौन होने चाहिए, इसका फैसला करना है। यह बात तो सब मानते हैं कि जहां तक लेन्ड रेकॉर्ड्स का ताल्लुक है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसमें अप टू डेट लेन्ड रेकार्ड्स मेनटेन करने की बहुत बड़ी चीज़ है और जो परमावश्यक है; इसके लिए डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकार्ड्स की नियुक्ति, लेन्ड रेकार्ड्स ऑफिसर की नियुक्ति तथा और कई नियुक्तियां करनी ही पड़ेंगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब सेक्शन (खंड) २४ के अन्दर जहां डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकार्ड्स की नियुक्ति के लिए प्रोवीज़न रखा है, वहां इसी के साथ में अगर क्लॉज़ २६ और ३१ को पढ़ा जाय तो यह साफ प्रकट हो जायगा कि जरूरत नहीं है कि डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड्स अलग खास आदमी मुकर्रर किया जाय। बाई वर्चु ऑफ ऑफिस जो सीनियर और एक्सपीरियन्स्ड ऑफिसर होगा कमिश्नर के दर्जे का, उसको डाइरेक्टर ऑफ लेन्ड रेकॉर्ड्स के अधिकार दिये जा सकते हैं और अलग नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार कानून के अन्दर प्रोवीज़न है। जो डिस्ट्रिक्ट के लेन्ड रेकॉर्ड्स ऑफिसर होंगे वे बाई वर्चु ऑफ ऑफिस कलेक्टर्स और असिस्टेन्ट लेन्ड रेकॉर्ड्स ऑफिसर के पॉवर्स एस.डी.ओ. वगैरह को दिये जा सकते हैं। इसलिए इस कानून में कहीं रिजीडिटी नहीं हैं कि इस तरह की नियुक्तियां सरकार के लिए बिल्कुल अनिवार्य होंगीं। हमने यह जो प्रोवीज़न रखा है कि इस प्रकार की ऐसी नियुक्तियां की जा सकती है उससे उनको यह सोचना कि यह संभावना है कि अपने किसी आदमी को, किसी की महरबानी वाले आदमी को, इसके अन्दर नियुक्त करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, मेरे खयाल से, माननीय उपाध्यक्ष, न्याय संगत बात नहीं होगी सरकार के लिए। वे यह कानून बना रहे हैं हर कॉन्टिन्जेन्सी के लिए। इस सदन में हमने दो रोज़ तक इस बात पर वाद-विवाद किया कि कमिश्नरियों का रखना उचित है नहीं। उसके सिलसिले में मैंने सदन में यह अर्ज किया था कि जिस दिन यह सरकार महसूस करेगी कि कमिश्नर्स का रहना या कमिश्नर्स के पद का रहना आवश्यक नहीं है उसी रोज़ कमिश्नरियां खत्म कर दी जांयगीं। ऐसा वक्त आ सकता हैं कि जब कमिश्नर्स न रहें तो फिर डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉड्स का कार्य किसी को देना पड़ेगा। आज कलेक्टर्स तक के पास प्लानिंग वगैरह का इतना काम इकट्ठा हो गया है कि जिसकी वजह से उनको फरसत कम मिलती है। हो सकता है कि किसी समय काम ऐसा बढ़ जाय कि सरकार यह महसूस

[श्री श्रीदास गोयल]

करने लगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लेन्ड रेकॉर्ड्स ऑफिसर अलग मुकर्रर होने चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड का काम किसी न किसी को देगी। लेन्ड रेकॉर्ड के काम का कम महत्व नहीं है। मैं समझता हूँ कि डेटाज़ का अप-टू-डेट (up to date) होना बड़ा अनिवार्य है। उनको कम महत्व का स्तर देंगे तो, मेरे ख्याल से, बड़ी गलती होगी।

इसलिए इस बात का प्रोवीजन है। यदि यह प्रोविजन कानून में न रखें और कभी ऐसा वक्त आये कि जिस वक्त कलेक्टर्स या दूसरे अधिकारियों के पास काम की अधिकता की वजह से समय न हो तो हम दूसरे अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकेंगे। यह ठीक नहीं होगा। यह कानून का ताल्लुक है। सरकार को इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए। लेकिन यह प्रोविज़न रखा गया है इसलिए सरकार के लिये यह अनिवार्य नहीं होगा कि उस ऑफिसर को नियुक्त करे ही। बाइ वर्च्यु ऑफ ऑफिस अन्य सीनियर ऑफिसर को डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का काम भी करने के लिये दिया जायगा। आज भी ऐसा है। रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड् का काम भी करते हैं, कमिश्नर्स और कलेक्टर्स भी लैंड रेकार्ड्स का काम करते हैं बाइ वर्च्यु ऑफ ऑफिस। कानून बनाने का यह मतलब नहीं है कि हम तरीके को तब्दील करना चाहते हैं। आप कहीं का भी कानून देखेंगे, उत्तर प्रदेश आदि का तो आपको उस कानून में यह मिलेगा कि उसमें डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स का प्रोविज़न है। यदि उसको नियुक्त करने की आवश्यता हुई तो नियुक्ति की जायगी वरना मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आवश्यकता नहीं होगी तो उनकी नियुक्ति नहीं की जायगी क्योंकि काफी सदस्यों ने यह राय दी है कि यह प्रोवीज़न नहीं रखा जाय और इम्पोर्टेंट सदस्यों ने इसको डिलीट करने की राय दी है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस क्लॉज़ को अभी डेफर कर दिया जाय और कुछ समय दें ताकि हम इस पर विचार कर सकें।

(करतल ध्वनि)

श्री चांदमल मेहता—मुझे इसका जवाब देने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे डेफर कर दिया गया है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जब मंत्री महोदय जवाब देते हैं तब कुछ ऐसी बातें कह देते हैं हाउस को इन्फ्लुएन्स करने के लिये, जो वास्तव में सत्यता से दूर है। अभी आपने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के कानून में यह पद है और दूसरी जगह भी है। मैं माननीय मंत्रीजी की सेवा में उत्तर प्रदेश का लैंड रेवेन्यू एक्ट पेश करता हूँ जिसमें कहां इस पद के बारे में लिखा है, यह कृपा करके बता दें और आयन्दा ऐसी बात न कही जाय सदन में, जो सत्यता से दूर हो।

श्री जवानसिंह—सदन की मेज पर इसकी कॉपी रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह क्लॉज़ फिलहाल मुलतवी रखा जाय ?

श्री जसवन्तसिंह—मंत्री महोदय इसको मान ही लें तो अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मान तो कैसे लें, सोचना पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ डिफर किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४ डिफर करने की अनुमति दी गई ।

(विराम)

क्लॉज़ २५ ।

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा अमेन्डमेंट इस क्लॉज़ में है और मेरा ख्याल यह है कि गलती से इस क्लॉज़ में कुछ बातें रह गई हैं । क्लॉज़ २५ (सी) (२) में लिखा है, "a tehsildar or a Naib tehsilbar in-charge of one or more suh-tehsils of a tehsil and" दरअसल में एक तहसीलदार इन्चार्ज होता है एक तहसील का या एक से ज्यादा तहसील का और नायब तहसीलदार के चार्ज में होती है एक सब तहसील या एक से ज्यादा सब तहसीलें यहां पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों को ही एक या एक से अधिक सब तहसील का इन्चार्ज कर दिया है; तो फिर तहसील के चार्ज में रहने वाला कौन होगा या तहसील किस के चार्ज में होगी, यह साफ नहीं है । इसलिये मैंने ये लफ्ज़ और एड करने का प्रोविजन किया है :—

"In charge of one or more tehsils."

इसके इन्सर्शन के बाद यह क्लॉज़ इस तरह होगा :

"A tehsildar-in-charge of one or more Tehsils or Naib Tehsildar in-charge of one or more sub-Tehsils of a Tehsil : and"

मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा अमेन्डमेंट है जिसे मंजूर करना चाहिये ।

श्री भैरूसिंह—मेरा भी एक संशोधन है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह अमेन्डमेन्ट डिस-अलाऊ कर दिया गया है ।

श्री भैरूसिंह—मुझे उसका विरोध करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—यह स्पीकर साहब का डिसीजन है ।

श्री भैरोंसिंह—मैं इस क्लॉज़ का विरोध कर रहा हूँ, आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ ।

[श्री भैंरूसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उस पर अपने विचार व्यक्त करता किन्तु परिस्थितिवश मुझे वह चीज़ छोड़ कर इस क्लॉज़ का विरोध करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। इसमें अपोइन्टमेंट ऑफ ओफिसर्स के सिलसिले में लिखा है :

"**Appointment of other officers.**—The State Government shall appoint a Collector in each District......"

माननीय उपाध्यक्षजी मेरा मतभेद यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिये 'कलेक्टर' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि "कलेक्टर" शब्द के स्थान पर "डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ओफिसर" के नाम से नियुक्ति की जाय। इसके कुछ कारण हैं। आज ..

श्री दामोदरलाल व्यास—आप इस क्लॉज़ पर डिसकशन कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं लेकिन आपने तो इसका अमेन्डमेंट ही कर दिया है, that is not proper.

श्री भैरोंसिंह—यह अमेन्डमेन्ट नहीं है। इसमें खामी है इसलिये 'कलेक्टर'के स्थान पर 'वेलफेअर ऑफिसर' करते तो अच्छा रहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—That will not be proper unless he moves an amendment.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—This is democracy. It can be put in any way.

श्री दामोदरलाल व्यास—We can waste our time in any way ?

श्री भैंरूसिंह—हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसको पैदा करने वाले कौन हैं, इसका ऐतिहासिक सम्बन्ध क्या है ? यदि इन तीनों चीजों को अलग अलग देखेंगे तो ..

श्री उपाध्यक्ष—"अपोइन्टमेन्ट्स" से रिलेवेन्ट आम बातें कही जांय जो स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट हों। "अपोइन्टमेन्ट" पर रोशनी डालने वाली जो चीज है वही कही जानी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, अभी क्लॉज़ २४को डेफर कर दिया गया है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से यह आवश्यक हो जाता है कि यह क्लॉज़ भी उसके साथ पेन्डिंग रखा जाय क्योंकि इसके साथ लैंड रेकॉर्ड्स ओफिसर्स को अपोइन्ट करने की बात है। यदि उनकी अपोइन्टमेन्ट होती है तो यह साफ है कि डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकर्ड्स की भी अपोइन्टमेन्ट करनी पड़ती है। ऐसी हालत में जब क्लॉज़ २४ को डेफर किया है तो क्लॉज़ २५ को भी डेफर करना चाहिये। मैंने एक अमेन्डमेन्ट भेजा था इस क्लॉज़ को डिलीट करने का, लेकिन पता

[श्री चांदमल मेहता]

नहीं क्यों सरक्युलेट नहीं हुआ । जब तक डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के बारे में फैसला नहीं होता तब तक इस पर भी नहीं होना चाहिये क्योंकि यह उससे सम्बन्धित है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस पर भी बहस होनी चाहिये । मत लेने के लिए डेफर कर सकते हैं । पिछली क्लॉज़ के बारे में भी मैंने जवाब दिया था, फिर उसको डेफर किया । फिलहाल बहस कर ली जाय, बाद में अगर जरूरत हो तो डेफर कर दिया जाय ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मैंने जिक्र किया था कि कलेक्टर्स के अपोइन्टमेन्ट की आवश्यकता नहीं है, वह इसलिये कि जो पद इस नाम से बनाने जा रहे हैं उस नाम की ऐतिहासिक परिस्थिति क्या है, यह जानना चाहिये । कलेक्टर का मतलब और तरह का निकलता है । कलेक्टर सब तरह से डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है ।

रेवेन्यु पॉवर्स उनके हाथ में होंगे तो उनको कलेक्टर्स कहेंगे और जुडिशियल पॉवर के आधार पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट magistrate कहेंगे । जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको इस प्रकार के दोनों पॉवर्स हैं । परन्तु कलेक्टर शब्द का ऐतिहासिक सम्बन्ध क्या है ? इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है, इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी अंग्रेज जिन्होंने कलेक्टर शब्द की उत्पत्ति इसलिये की थी कि जब बंगाल में ज्यादा लगान लगाया गया तो उस ज्यादा लगान को जबरदस्ती, सरकार की पुलिस और फौज की सहायता से वसूल करें, और वह भी उस समय जब कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ा हुआ था । उस ज्यादा लगान को वसूल करने के लिये कलेक्टर शब्द की उत्पत्ति की गई और callector नियुक्त किये गये; तो जमींदारों से जागीरदारों से वह ज्यादा लगान वसूल करने वाले थे कलेक्टर्स । इस कलेक्टर शब्द की उत्पत्ति करने वाले थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत को गुलाम बनाये रखा । डिक्शनेरी में इसका अर्थ देखें तो वह है लगान वसूल करने वाला । तो ऐसी सूरत में सारी डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है उसको सिर्फ कलेक्टर के नाम से, लगान वसूल करने वाले के नाम से सम्बोधित करना कहां तक ठीक कहा जा सकता है ? प्रेक्टिकली लगान पटवारी, तहसीलदार वसूल करते हैं, उनको हम डिक्शनेरी के मतलब के आधार पर कलेक्टर्स कह सकते हैं । पर जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डिस्ट्रिक्ट के काम को सुपरवाइज़ करने वाला है उसको सिर्फ कलेक्टर कहें, यह कहां तक ठीक है ? इसका ऐतिहासिक सम्बन्ध क्या है, जिनको यह अधिकार दिया था ? उन कलेक्टर्स ने अंग्रेजों के इशारे पर देश की आज़ादी के लिये लड़ाई लड़ने वालों को जेलों में भेजा और पीटा है, तो इसका इससे थोड़ा सा ऐतिहासिक सम्बन्ध है ।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि कलेक्टर के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट वेल फेअर ऑफिसर नाम रखा जाय जिसके पास डिस्ट्रिक्ट्स की भलाइयों का काम है, जिसके जिम्मे बांध बन्धवाना है, जिसके जिम्मे फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत सब काम करवाना है, जिसके जिम्मे पटवारियों के काम का निरीक्षण करने का काम है, उनको काम देने का और उन पर कन्ट्रोल करने का काम है, अकाल में

[श्री भैंरूं सिंह]

राहत पहुंचाना, बाढ़ों को रोकने का काम, यदि गवर्नमेंट के किसी अफसर के खिलाफ शिकायत आ गई तो उनकी जांच करवाने आदि अनेक अधिकार सरकार उनके अधिकार में देने वाली है, उनके लिये कलेक्टर शब्द का रखा जाना जो कि सिर्फ लगान वसूल करने का अर्थ रखता है, यह कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना के खिलाफ पड़ता है। आप कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं परन्तु जब तक बोली में, ऑफीसर्स के पदों में यह कल्याणवादी भावना नहीं आयेगी और उनके पदों में सुधार नहीं किया जायगा तब तक कल्याणकारी राज्य बनाने में बाधाएं आयेंगी। इसलिये में अर्ज करूंगा कि कल्याणकारी भावना पैदा करने वाली भावना का पदों के नामों में सामावेश करना चाहिये।

दूसरे, मेरा विरोध करने का कारण है एडीशनल कलेक्टर्स का अपोइन्टमेंन्ट। माननीय उपाध्यक्ष, यह एडीशनल कलेक्टर्स का अपोइन्टमेंट करने का अधिकार सरकार लेती है वह दरअसल कुनबा परस्ती की भावना से लेती है, क्षेत्रीयता और जातीयता की भावना के आधार पर ये नियुक्तियां की जाती हैं जो शासन को बुरा बताने वाली भावना हो सकती है; उन भावनाओं के आधार पर अपने कुटुम्ब के लोगों का कैसे पोषण हो सकता है? उसके आधार पर ये नियुक्तियां की जाती हैं; ये भावनाएं एडीशनल कलेक्टर्स की नियुक्तियां करने में। यह कोई नई बात नहीं है, राजस्थान में ऐसा हुआ है। ये जो हाल ही में एडीशनल कलेक्टर्स की नई नियुक्तियां हुई हैं; जातीयता, क्षेत्रीयता, पक्षपात और प्रादेशिक भावनाओं को उन नियुक्तियों में प्रोत्साहन मिला।

एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमें प्रादेशिक भावनाओं को और क्षेत्रीयता की भावनाओं को खत्म करना है और दूसरी तरफ यह देखते हैं कि एडीशनल कलेक्टर्स की नियुक्तियों में हम इन भावनाओं को भूलते नहीं, जो एडिशनल कलेक्टर्स की नियुक्तियां की गई हैं, मैं सदन के सामने उनके नाम रखूंगा...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल इर्रिलेवेन्ट डिस्कशन है, जो क्लॉज है उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह - यह सब आपको बताने के लिये कहा जा रहा है।

श्री दामोदर लाल व्यास—बताने के तो और भी कई मौके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह भाषण हो गया है और अपोइन्टमेंट के बारे में कोई ऐसी बात हो जो खास हो तो वह बतायें। जातीय या क्षेत्रीय भावनाओं पर इस समय बोलना उचित नहीं। जो कहने की बातें हैं उनके लिये अलग अलग समय रखा गया है। इस समय लेजिस्लेशन का काम चल रहा है। गवर्नमेंट के अपोइन्टमेंट में कोई गलती होती है और हरेक चीज को इसमें लिया जाता है तो यह सारे सदन का समय वृथा नष्ट करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बिजनेस पोइन्ट ऑफ व्यू से सदन की कार्यवाही को करना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्य

[श्री उपाध्यक्ष]

से कहूंगा कि वे जो स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट हों, जो बिल्कुल मेटिरियेल हों; इससे सम्बन्ध रखने वाली बातें हों, वही कहें।

श्री भैरों सिंह— माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह रिलेवेन्ट इस प्रकार है कि गवर्नमेन्ट इसके मातहत अधिकार ले रही है वह यह ले रही है "may appoint an additional Collector in a District or in two or more Districts combined."

यह जो गवर्नमेन्ट अधिकार ले रही है, उससे मेरा विरोध है, विरोध क्यों है, यह मैंने बताया है। विरोध इसलिये है कि ये नियुक्तियां बिलकुल जातिवाद के आधार पर, पक्षपात के आधार पर की जाती हैं। यदि इसमें शक हो तो मैं तीन-चार नियुक्तियां जो हुई हैं, उनके नाम बताऊंगा।

(घंटी, लगातार घंटी)

मैं जिस पोइन्ट को लेकर विरोध कर रहा हूं उस पोइन्ट को अगर पूरी तरह सुना गया और उसकी सदन की पूरी तरह जानकारी हुई तो जिस तरह से माननीय राजस्व मन्त्री को सदस्यों ने मजबूर कर दिया कि पहले की सेक्शन को डेफर करें, एक भी सदस्य उसके पक्ष में नहीं था, उसी तरह मुझे मौका दिया गया तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि आज-कल की नियुक्तियों में जातिवाद किस तरह पनपता है और यह अधिकार सरकार के पास में रहा तो इसका दुरुपयोग कितना होगा, अगर सरकार को यह स्वन्त्रता दी तो . .

श्री उपाध्यक्ष—एक एक विषय में इस तरह की शिकायतें इस क्लॉज़ में ली जायंगी तो लेजिस्लेशन के मुतल्लिक बहस रह जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—सवाल यह नहीं है कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति की जाय; स्थान रखा जावे या नहीं, सवाल यह है। आपको अगर उस पर कहना है तो और मौके हैं, और तरीका है।

श्री भैरोंसिंह—ये स्थान रखना ही अनावश्यक है। मैं जड़ से ही काटना चाहता हूं कि ऐसा स्थान न रहे। स्थान नहीं रहेगा तो सरकार नियुक्ति किसकी करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—स्थान आवश्यक है या नहीं, इसके बारे में कहें।

श्री भैरोंसिंह—बिल्कुल अनावश्यक है, इसलिये कि अपने लोगों को पनपाने के लिये सरकार इस प्रकार के स्थान निर्माण करना चाहती है और सरकार को कानून के अन्दर

[श्री भैंरूसिंह]

अधिकार दिया गया है वह नहीं दिया जाना चाहिये। अभी राजस्थान में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें इन्द्रसिंह मेहता की सवाई माधोपुर में डिप्टी कलेक्टर ....

(घन्टी, लगातार घन्टी)

श्री **भैरों सिंह**—इसमें इर्रिलेवेन्सी क्या है ?

श्री **उपाध्यक्ष**—पोस्ट रखने न रखने पर कहिये।

श्री **भैरोंसिंह**—मेरा कहना है कि पोस्ट न रखी जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**—अपोइन्टमेंट की बात और है। यह कह सकते हैं कि क्लेक्टर यह काम कर लेगा, उनके पास थोड़ा काम है, इसलिये यह पोस्ट न रखी जाय। यह नहीं है कि गलत आदमी को अपोइन्ट कर दिया, यह बहस लेजिस्लेशन में करने की नहीं है।

श्री **भैंरूसिंह**—अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि एडीश्नल कलेक्टर आदि के एपोइन्टमेंट की जरूरत क्यों होती है वह इसीलिए होती है कि उनके लिये स्थान है।

श्री **उपाध्यक्ष**—आपको कह दिया गया है कि यह बहस नहीं की जावे और न इसके लिये इन्स्टान्सेज़ ही दिये जावें। आपको जब संशोधन के लिये मना कर दिया गया तो आपने रूल्स के आधार पर यह दूसरा रास्ता अख्त्यार कर लिया।

श्री **भैंरूसिंह**—मुझे खेद है कि मैं इन्सटान्सेज़ नहीं दे सकता हूँ। अगर इन्स्टासेज़ देता तो सब मामला अच्छी तरह से.....

श्री **उपाध्यक्ष**—इसके लिये अलग तरीके है।

एक माननीय **सदस्य** (कांग्रेस)—मैं यह कहूंगा कि जो फेक्ट्स बताये जा रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं और गलत हैं।

श्री **भैंरूसिंह** (वि० सं० १६) बहुत जोश आ गया है। ऐसा न हो कि इससे उछल न जावें और जिस जिस का निर्माण इस कानून से करना है क्यों नहीं किया जावे......

श्री **दामोदरलाल व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल से जो आपने आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिये। आपने यह आज्ञा दी है कि इन्सटान्सेज़ के बारे में न बोलें और

[श्री दामोदरलाल व्यास]

न उस पर कोई बात बताएं। फिर भी वे उन्हीं बातों को रीपीट करते जा रहे हैं। आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री भैरूंसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ और यह कहकर कि मैं आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहा हूँ, हाउस में गलतफहमी पैदा की जा रही है। इसको भी मैं स्पष्ट करूंगा। उन्होने बताया कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र नहीं करूं। लेकिन जिसके जरिये से हम एसिस्टेन्ट क्लेक्टर की पोस्ट को कायम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसका मैं विरोध करता हूं और मेरा यह अधिकार है और उसके बारे में ही मैं अपना भाषण दे रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—वजुहात दीजिये और कोई बात आप न कहें।

श्री भैरूंसिंह—तो इस सारे क्लॉज़ में कलेक्टर, तहसीलदार, लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, नायब तहसीलदार आदि जितने भी अधिकारी चाहें लेने का अधिकार होगा और इसमें लिखा है—

"As many Assistant Collectors in each District as it thinks fit."

फिर नीचे कर दिया गया हैं—

"as many Naib-Tehsildars in each Tehsil as it thinks fit."

वे कितने फिट समझेंगे, यह सब सरकार की मर्जी पर होगा; जितनों की आवश्यकता समझेगी, कितने नायब तहसीलदारों की आवश्यकता होगी, यह सारा का सारा डिसिज़न सरकार के हाथ में रखा गया है। यह नहीं लिखा है कि वे ट्रेन्ड को रखेंगे या किसको रखेंगे। कलेक्टर के लिए किस ग्रेड के आदमी होंगे, क्या क्वालीफिकेशन होगी, तहसीलदार किस ग्रेड के होंगे, नायब तहसीलदार किस ग्रेड के होंगे, एडिश्नल तहसीलदार किस ग्रेड के होंगे; इन सब को एपोइन्ट करने का सारा का सारा अधिकार सरकार के ही डिस्पोज़ल पर किया गया है। सरकार जिसको चाहेगी उसको रखेगी। इसके लिये कोई ग्रेड और क्वालीफिकेशन नहीं रखी गई हैं क्योंकि अभी भी हम देखते है कि राजस्थान में मेहता ही मेहता भरे हैं और उनसे सीनियरों को भी जुनियर बना दिया गया है। यह इस बात की स्पष्ट झलक है कि इसमें जातिवाद और पक्षपात किस हद तक हो रहा है ? इसीलिये हमें कहना पड़ता है कि जो इस प्रकार से कलेक्टर, तहसीलदार आदि का इसके जरिये से इन स्थानों का निर्माण होने वाला है यह सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार एडीशनल कलेक्टर, तहसीलदार आदि के जिस प्रकार हमारे यहां ग्रेड्स और क्वालीफिकेशन फिक्स्ड हैं लिख देती तो ज्यादा अच्छा होता। एक तहसीलदार एस. डी. एम. और एस. डी. एम.

[श्री भैंरूसिंह]

कलेक्टर केवल इसलिये बन जाते हैं कि वे एक खास क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसीलिये कलेक्टर हो जाते हैं। यदि सरकार को इसी प्रकार नियुक्ति करने के लिए अधिकार दिये जावेंगे तो वे अपने अपने लोगों को प्रोत्साहन देंगे और जो लोग अपने काम को अच्छी तरह से व इमानदारी से करते हैं और बहुत सीनियर हैं और इस बात की उम्मीद लगाये हुए हैं कि हमारा भी नम्बर आना चाहिए उनका कुछ नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष, अच्छा होता अगर मैं व्यक्तियों का जिक्र करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग जानते हैं कि इस वर्ष में किस प्रकार लोगों की सीनियोरीटी को सुपरसीड किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस भाग को डिलीट कर दिया जावे। डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स के क्लॉज़ को भी परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य के बहस पर डेफर कर दिया गया है तो मैं यह कहूँगा कि यदि इसके बाद में इसकी आवश्यकता के लिये उसी वक्त निर्णय होगा, जब फाइनली डिसाइड कर दें कि District लेन्ड रेकर्ड ऑफीसर की जरूरत नहीं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जब डाइरेक्टर ऑफ लेंड रेकर्ड का निर्णय हो जावे तब इस पर निर्णय किया जावे।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २५ में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में चर्चा है और इसमें २५ के (बी) में लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेन्ट ऑफिसर आदि की व्यवस्था हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इसमें सरकार ने ये अधिकार अपने हाथ में लेने चाहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक लेन्ड रेवेन्यू ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। सरकार ने काफी अच्छे ढंग से सोचा है और सरकार की काफी अच्छी सूझ-बूझ है कि इसके जरिये २५ आदमियों का पालन किया जावेगा। २५ आदमियों को सरकार चाहे तो डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर बना सकती है। इस प्रकार के अधिकारी राजस्थान में पहले भी थे और राजस्थान में आम चुनाव होने के बाद भी इस सभा में समय समय पर आवाज उठाई और लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर के जो स्थान थे वे समाप्त हुए और उसका वह कार्य कलेक्टर को चला गया और वह कार्य कलेक्टर के पास जाने से काम में काफी सुविधायें हुई और उस जमाने में लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर थे जिनके नीचे पटवारी और इन्सपेक्टर काम करते थे वे अपने आपको ऐसा मानते थे कि हम लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के मातहत हैं और कलेक्टर और एस. डी. ओ. आदि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इसलिये कई गलतियें जब इन्सपेक्टरों और पटवारियों ने कीं और एस. डी. ओ. व कलेक्टरों ने चाहा कि उनको वे डिसमिस कर दें या कोई सजा दें, मगर वे कुछ नहीं कर सके। यह लैन्ड रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट खत्म हुई लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बिल के जरिये वे उस पोस्ट को वापिस क्यों लाना चाहते हैं अभी अभी धारा २४ में, जिसमें यह बताने की कोशिश की कि सरकार के हाथ में यह अधिकार चाहिये, यह नहीं कि हम ऐसा करेंगे ही। लेकिन अधिकार होने चाहिये। अगर सरकार यह तय करदे कि इसकी आवश्यकता ही नहीं तो फिर इस अधिकार की क्या जरूरत है जब यह तय करे कि इसकी आवश्यकता है तब इसकी व्यवस्था करनी है ? अभी अभी पहले लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर के बारे में उत्तर प्रदेश की बात कह कर सदन को इन्फ्ल्युएन्स करने की कोशिश की गई थी, मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए मैंने जो कुछ कहा था और अब भी मेरा खयाल है कि उत्तर प्रदेश में डाईरेक्टर लेन्ड रेकाडर्स की व्यवस्था है और जैसे माननीय मित्र ने किताब बतायी वैसा मैंने देखा था कि लैंड रेकडर्स के लिए अलहदा एक्ट है, हालां कि उसके लिए मैं सर्टन नहीं हूँ। मैंने जानबूझ कर कोई गलत नहीं कहा है। मेरी जानकारी में जो बात थी और शायद वह ठीक होगी, लेकिन सर्टनूटी के साथ वह बात नहीं कही थी इसलिए उसके लिए इम्प्यूट करना, या मैंने कोई ब्लफ देने के लिहाज से गलत बात कही हो ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा मालूम था, मेरी जानकारी में ऐसा था इसलिए मैंने कहा। मेरा खयाल था और जहां तक मैंने आपको बताया स्पेसिफिकेली लैंड रेकडर्स एक्ट है और उसमें प्रोविजन है। हो सकता है कि मेरा कन्फर्मेशन गलत हो। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह दूं कि मैंने जानबूझ कर कोई बात गलत नहीं कही थी।

श्री भरू सिंह—आप इस बात में सर्टन है कि क्या वहां ऐसा है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि सर्टन नहीं हूँ। मेरे खयाल में था, फिर मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो क्या सारा सदन उम्मीद करता था कि सरकार की ओर से जो बात कही जाती है, जो जानकारी में होती है वही कही जाती है और जानकारी में नहीं हैं तो नहीं कही जाती। अतः मैं यह मान लेता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने पूरी तरह से देख कर नहीं कहा।

मैं जानकारी में ला देना चाहता हूँ माननीय मन्त्री महोदय के कि उत्तर प्रदेश काफी विकसित प्रदेश है और वहां की शासन व्यवस्था जमी हुई है, वहां लैंड रेकडर्स डिपार्टमेंट की कोई व्यवस्था नहीं रखी है। लैंड रेकडर्स के अधिकार कलेक्टर के हाथ में है। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस क्लॉज को पेंडिंग रख दें और यदि तैयार न हों तो जहां तक लैंड रेकडर्स ओफिसर की नियुक्ति का सम्बन्ध है वह इस क्लॉज़ में से निकाल दें।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ २५ के सम्बन्ध में अभी मेरे माननीय मित्र, जो वामनिया वास नादोती से तशरीफ लाये हैं, ने एक अमेन्डमेन्ट रखा था वह नायब तहसीलदार और तहसीलदार के क्षेत्र के बारे में था। वे इस अमेन्डमेन्ट को शायद वापस ले लेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस क्लॉज २५ के (ए) में लिखा है।

"tehsildar in each tehsil;" की अपोइन्टमेन्ट का जो सवाल है वह साफ हो जाता है और यहां जो नायब तहसीलदार के लिए है "One tehsil or more than one tehsil; यह बिलकुल सेपरेट हैं। इसलिए इस अमेन्ड-मेन्ट की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसको वे वापिस ले लेंगे।

[श्री श्रीदास गोयल]

माननीय मित्र जो दांता रामगढ़ से तशरीफ लाये हैं उनको एक दिमागी भय है और जब खयाली भय होता है तो उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है तावक्ते कि भय दूर नहीं कर दिया जाय। मैं मानता हूँ कि उपयुक्त स्थानों में राजस्थान में, दो शब्द जरूर कह देना चाहता हूँ कि अपोइन्टमेन्ट रिलेवेन्सी में आता है। एक दफा सदन में माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बातें रखी और मार्ग दर्शन किया था। वे शब्द थे कि अपोइन्टमेन्ट करते वक्त, तरक्कियां करते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति आज शासन चलाते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जनता के दुःख-दर्दों को राहत पहुँचाने का जिनका जिम्मा है, उनके लिए एक गुप्त रेकॉर्ड रखा जाय और केवल एन्टी करप्शन के ऊपर ही निर्भर न हों, and as is the principle in the Penal Code, everydody is innocent unless the guilt is proved, और उसको मान कर ही अपोईन्टमेन्ट, तरक्की, तनज्जुली करनी होगी। इसमें भी यह होता है कि जो लोग इमानदार हैं, त्यागी हैं, चरित्रवान हैं, न गड़बड़ी करते हैं और न प्रभावित ही होते हैं और पूरी इमानदारी से रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तवमें वे इमानदार होते हुए भी तरक्कियां नहीं पाते हैं और दूसरे व्यक्ति जो इमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं हैं वे जम जाते हैं। अत: इस ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। और आगे भी विश्वास रख कर चलना चाहिए और एक गुप्त रेकॉर्ड रहना चाहिए और जो रिपोर्ट्स आती रहें वे तथ्यपूर्ण हों और जो वास्तव में चरित्रवान हैं, इमानदार हैं जनता के साथ उनकी हमदर्दी है तो उनको वास्त में तरक्की दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य जो भय महसूस करते हैं वह उनके दिमाग से निकल जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज में ऐसी बहस हुई है कि जिसका सवाल दीगर और जवाब दीगर। मामला कुछ और है और बहस की गई है अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ओब्जेक्शन क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास-ओपरेशन करना हीं पड़ेगा।

अपोइन्टमेन्ट्स का जहां तक मेन क्लाज़ है, माननीय उपाध्यक्ष, उसके लिए मैं समझता हूं कि जवाब देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई खास उसके सिद्धांन्त पर बात नहीं कही गई है।

दांता रामगढ़ से आये सदस्य ने कहा है कि एडीशनल कलेक्टर पद रखेंगे और कलेक्टर रखेंगे तो यह होगा वह होगा, और तीन चार हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में उन्होंने कहा है। जहां तक व्यक्तियों का सवाल है, ये सीनियर पोस्ट्स हैं और सिनियोरिटी के बेसिस पर ही ये नियुक्तियां की गई हैं। सीनियोरिटी लिस्ट यदि वे निकाल कर देखते तो उन्हें मालूम होता कि सीनियोरिटी और मेरिट्स के लिहाज से उनका नम्बर आता है और इसी वजह से उनकी नियुक्तियां

[श्री दामोदरलाल व्यास]

की गई है। सीनियोरिटी की वजह से किसी खास जगह के आदमी आ गये और उसके लिए एक तरह का मोटिव इम्प्यूट करना कि तरफदारी की गई हैं, मैं उचित नहीं समझता। आर० ए० एस० की लिस्ट निकाल कर देखिये तो आपको मालूम होगा कि ये ही लोग हैं। अगर किसी के राइट्स सुपरसीड किये गये हैं तो मेरिट्स के बेसिस पर ही किये गये होंगे।

लायक दोस्त श्री श्रीदासजी ने चरित्र के ऊपर कहा और यह भी कहा कि सरकार को गुप्त रेकर्ड मंगाना चाहिए, सरकारी अफसरों का रेकर्ड रखना चाहिए। माननीय श्रीदासजी यह जानते होते कि सरकारी रेकर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से रखना जरूरी है और रहता है प्रत्येक ऑफिसर का।

श्री श्रीदास गोयल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक तो रेकर्ड रखने के साथ साथ और मंगाने के साथ साथ सत्यता की भी जानकारी करनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास-रेकर्ड जब रहता है तो जानकारी रहती ही है। यह नहीं समझा जाय कि सरकार के पास अधिकारियों का रेकॉर्ड नहीं है और स्टेटस की जानकारी नहीं रहती है। मैं समझता हूँ कि सब जानकारी रहती है, अपोइन्टमेन्ट्स जो किये जाते हैं, वे सिनियोरिटी और मेरिट्स पर किये जाते हैं, कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

इस क्लॉज़ के अन्दर जो लैंड रैकर्ड्स ऑफिसर का प्रोविजन है और जैसा कि चांदमल जी चाहते हैं क्लॉज २४ के साथ इसको भी डेफर कर दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है; only for voting, no discussion will take place since I have given a reply.

कु० श्री जसवन्तसिंह—एडीशनल कलेक्टर्स नियुक्त (अपोइन्ट) हुए है, वे सब एक ही नाम के हुए हैं या कोई एक्सीडेन्ट हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक ही नाम कैसे?

कु० श्री जसवन्तसिंह--जैसे मेहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात नहीं है। यदि आप देखेंगे तो दो आदमियों के नाम में मेहता आता है। अगर आप लिस्ट ऑफ आर. ए. एस. ऑफिसर्स निकाल कर देखेंगे तो सीनियोरिटी में ये ही लोग आते हैं; यह भी इत्तिफाक है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह भी इत्तिफाक है।

श्री दामोदरलाल व्यास—एक्सीडेन्ट का सवाल नहीं है, सीनियोरिटी में आते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं को-इन्सीडेन्स (co-incedence) का कह रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य—क्या इनसे कोई व्यक्ति सीनियर नहीं है जिनको चान्स नहीं दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—वे उजरदारी कर सकते हैं। मैंने निवेदन किया कि सीनीयोरिटी के साथ मेरिट् भी बेसिस माना गया है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ २५ मुल्तवी रखा जा रहा है। अब सोमवार को सायंकाल ३ बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होगी।

श्री जवानसिंह—उस दिन के लिये क्या प्रोग्राम है?

श्री उपाध्यक्ष—प्रोग्राम अभी तय नहीं?

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३० मिनट मध्यान्ह पर, सोमवार, दिनांक १० अक्टूबर १९५५ के ३ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-७ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

(परिशिष्ट)

(कृपया प्रश्न संख्या २८८ का उत्तर देखिये)

डाक्टरों के नाम की सूची जिनके तबादले डिविजन (यूनिट) के बाहर किये ग

१. डा० पद्मा तनात्रल*
२. ,, के. एन. रैव
३. ,, शिवकुमार
४. ,, मिसेज ओ.के. शिवकुमार
५. ,, के. डी. शर्मा
६. ,, पी. आर. मेहता
७. ,, बालकृष्ण जाजू*
८. ,, प्रीतमसिंह बीजान*
९. ,, श्यामलाल*
१०. ,, आर. पी. माथुर*
११. ,, मुरलीलाल माथुर*
१२. ,, मिस. एस. भट्टाचार्य*
१३. ,, एस. डी. माथुर*
१४. डा० डी. डी. के. गुगलानी*
१५. ,, एम. ए. सरूपिया*
१६. ,, मिसेज शान्ता शर्मा*
१७. ,, मंगतराम*
१८. ,, जयसिंह कपूर*
१९. ,, बी. एल. लोढा*
२०. ,, जे. एस. भटनागर
२१. ,, के. एम, सोलंकी*
२२. ,, डी. एस. लोढा*
२३. ,, ए. एच. कुरैशी*
२४. ,, एच. एस. ब्रोका
२५. ,, मिसेज कमलेश प्रकाश*
२६. ,, रिपुदमनसिंह*

नोट—२५० रुपया से कम वेतन वाले डाक्टरों के नाम पर सूची में * का चिन्ह लगा दिया गया है ऐसे डाक्टरों की संख्या १९ है।

उदयपुर डिवीजन में वर्ष 1977–78 में अब तक खुले आदेश औषधियों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	जिला	चिकित्सा पद्धति
1.	घर का बाडा बास	उदयपुर	आयुर्वेदिक
2.	नोरज	,,	,,
3.	मृतणि	,,	,,
4.	धनकौवा	,,	,,
5.	बामनहेड़ा	,,	,,
6.	डीडवाना	,,	,,
7.	अवटालिया	,,	,,
8.	खिवरड़ा	,,	,,
9.	करणपुर	,,	,,
10.	नारायणपुरा	,,	,,
11.	बाहरी	,,	,,
12.	टूकरवाड़	भीलवाड़ा	,,
13.	सिडिवास	,,	,,
14.	भरकेकड़ी	,,	,,
15.	गंगापुर	,,	,,
16.	मालपुरा	,,	,,
17.	विकरण	,,	,,
18.	जनपुरा	,,	,,
19.	एर्केदरखो	,,	,,
20.	भीलवाड़ा (शहर)	,,	होम्योपैथिक
21.	भावूआ	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक
22.	मंडेसरा	,,	,,
23.	शांकी	,,	,,